छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा **चतुर्थ सत्र**

सोमवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2024

(अग्रहायण 25, शक सम्वत् 1946)

[अंक 01]

Web Copy

विधान सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष	डॉ. रमन सिंह
सचिव	श्री दिनेश शर्मा

सभापति तालिका

1. श्री विक्रम उसेण्डी
2. श्री धर्मजीत सिंह
3. सुश्री लता उसेण्डी
4. श्री लखेश्वर बघेल
5. श्री दलेश्वर साहू
6. श्री प्रबोध मिंज

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय राज्यपाल

श्री रमेन डेका

मंत्रिमण्डल के सदस्यों की सूची

01.	श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री	सामान्य प्रशासन, खनिज साधन, ऊर्जा, जनसम्पर्क, वाणिज्यिक कर (आबकारी), परिवहन एवं अन्य विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित ना हो.
02.	श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री	लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विधि और विधायी कार्य एवं नगरीय प्रशासन
03.	श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री	गृह एवं जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी
04.	श्री रामविचार नेताम, मंत्री	आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण
05.	श्री दयाल दास बघेल, मंत्री	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
06.	श्री केदार कश्यप, मंत्री	संसदीय कार्य, वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता
07.	श्री लखनलाल देवांगन, मंत्री	वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम
08.	श्री श्याम बिहारी जायसवाल, मंत्री	लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, बीस सूत्रीय कार्यान्वयन
09.	श्री ओ. पी. चौधरी, मंत्री	वित्त, वाणिज्यिक कर, आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी,
10.	श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, मंत्री	महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण
11.	श्री टंक राम वर्मा, मंत्री	खेलकूद एवं युवा कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सदस्यों की वर्णात्मक सूची
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम तथा क्रमांक सहित)

अ

01.	अंबिका मरकाम, श्रीमती	56-सिहावा (अ.ज.जा.)
02.	अजय चन्द्राकर	57-कुरूद
03.	अटल श्रीवास्तव	25-कोटा
04.	अनिला भेंडिया, श्रीमती	60-डौंडीलोहारा (अ.ज.जा.)
05.	अनुज शर्मा	47-धरसींवा
06.	अमर अग्रवाल	30-बिलासपुर
07.	अरूण साव	26-लोरमी
08.	आशाराम नेताम	81-कांकेर (अ.ज.जा.)

इ

01.	इंद्र कुमार साहू	53-अभनपुर
02.	इंद्र साव	46-भाटापारा
03.	इन्द्रशाह मंडावी	78-मोहला-मानपुर (अ.ज.जा.)
04.	ईश्वर साहू	68-साजा

उ

01.	उत्तरी गनपत जांगड़े, श्रीमती	17-सारंगढ़ (अ.जा.)
02.	उद्धेश्वरी पैकरा, श्रीमती	08-सामरी (अ.ज.जा.)
03	उमेश पटेल	18-खरसिया

ओ

01.	ओंकार साहू	58-धमतरी
02.	ओ.पी.चौधरी	16-रायगढ़

क

01.	कवासी लखमा	90-कोन्टा (अ.ज.जा.)
02.	कविता प्राण लहरे, श्रीमती	43-बिलाईगढ़ (अ.जा.)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

03.	किरण देव	86-जगदलपुर
04.	कुंवर सिंह निषाद	61-गुण्डरदेही
05.	केदार कश्यप	84-नारायणपुर (अ.ज.जा.)

ग

01.	गजेन्द्र यादव	64-दुर्ग शहर
02.	गुरू खुशवंत साहेब	52-आरंग (अ.जा.)
03.	गोमती साय, श्रीमती	14-पत्थलगांव (अ.ज.जा.)

च

01.	चरणदास महंत, डॉ.	35-सक्ती
02.	चातुरी नंद, श्रीमती	39-सराईपाली (अ.जा.)
03.	चैतराम अटामी	88-दंतेवाड़ा (अ.ज.जा.)

ज

01.	जनक ध्रुव	55-बिन्द्रानवागढ़ (अ.ज.जा.)

ट

01.	टंक राम वर्मा	45-बलौदाबाजार

ड

01.	डोमनलाल कोर्सेवाड़ा	67-अहिवारा (अ.जा.)

त

01.	तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम	23-पाली-तानाखार (अ.ज.जा.)

द

01.	दयाल दास बघेल	70-नवागढ़ (अ.जा.)
02.	दलेश्वर साहू	76-डोंगरगांव

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

03.	दिलीप लहरिया	32-मस्तूरी (अ.जा.)
04.	दीपेश साहू	69-बेमेतरा
05.	देवेंद्र यादव	65-भिलाई नगर
06.	द्वारिकाधीश यादव	41-खल्लारी

ध

01.	धरम लाल कौशिक	29-बिल्हा
02.	धर्मजीत सिंह	28-तखतपुर

न

01.	नीलकंठ टेकाम	82-केशकाल (अ.ज.जा.)

प

01.	पुन्नूलाल मोहले	27-मुंगेली (अ.जा.)
02.	पुरन्दर मिश्रा	50-रायपुर नगर (उत्तर)
03.	प्रणव कुमार मर्पची	24-मरवाही (अ.ज.जा.)
04.	प्रबोध मिंज	09-लुण्ड्रा (अ.ज.जा.)
05.	प्रेमचंद पटेल	22-कटघोरा

फ

01.	फूल सिंह राठिया	20-रामपुर (अ.ज.जा.)

ब

01.	बघेल लखेश्वर	85-बस्तर (अ.ज.जा.)
02.	बालेश्वर साहू	37-जैजेपुर
04.	ब्यास कश्यप	34-जांजगीर-चांपा

भ

01.	भावना बोहरा, श्रीमती	71-पण्डरिया
02.	भूपेश बघेल	62-पाटन

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

03.	भूलन सिंह मराबी	04-प्रेमनगर
04.	भैयालाल राजवाड़े	03-बैकुंठपुर
05.	भोला राम साहू	77-खुज्जी

म

01.	मोती लाल साहू	48-रायपुर ग्रामीण

य

01.	यशोदा नीलाम्बर वर्मा, श्रीमती	73-खैरागढ़
02.	योगेश्वर राजू सिन्हा	42-महासमुन्द

र

01.	रमन सिंह, डॉ.	75-राजनांदगांव
02.	राघवेन्द्र कुमार सिंह	33-अकलतरा
03.	राजेश अग्रवाल	10-अम्बिकापुर
04.	राजेश मूणत	49-रायपुर नगर (पश्चिम)
05.	रामविचार नेताम	07-रामानुजगंज (अ.ज.जा.)
06.	रामकुमार टोप्पो	11-सीतापुर (अ.ज.जा.)
07.	रामकुमार यादव	36-चंद्रपुर
08.	रायमुनी भगत, श्रीमती	12-जशपुर (अ.ज.जा.)
09.	रिकेश सेन	66-वैशाली नगर
10.	रेणुका सिंह सरूता, श्रीमती	01-भरतपुर-सोनहत (अ.ज.जा.)
11.	रोहित साहू	54-राजिम

ल

01.	लक्ष्मी राजवाड़े, श्रीमती	05- भटगांव
02.	लखन लाल देवांगन	21-कोरबा
03.	लता उसेंडी, सुश्री	83-कोण्डागांव (अ.ज.जा.)
04.	ललित चन्द्राकर	63-दुर्ग ग्रामीण
05.	लालजीत सिंह राठिया	19-धरमजयगढ़ (अ.ज.जा.)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

व

01.	विक्रम उसेण्डी	79-अंतागढ़ (अ.ज.जा.)
02.	विक्रम मण्डावी	89-बीजापुर (अ.ज.जा.)
03.	विजय शर्मा	72-कवर्धा
04.	विद्यावती सिदार, श्रीमती	15-लैलूंगा (अ.ज.जा.)
05.	विनायक गोयल	87-चित्रकोट (अ.ज.जा.)
06.	विष्णु देव साय	13-कुनकुरी (अ.ज.जा.)

श

01.	शकुन्तला सिंह पोर्ते, श्रीमती	06-प्रतापपुर (अ.ज.जा.)
02.	शेषराज हरवंश, श्रीमती	38-पामगढ़ (अ.जा.)
03.	श्याम बिहारी जायसवाल	02-मनेन्द्रगढ़

स

01.	संगीता सिन्हा, श्रीमती	59-संजारी बालोद
02.	संदीप साहू	44-कसडोल
03.	संपत अग्रवाल	40-बसना
04.	सावित्री मनोज मण्डावी, श्रीमती	80-भानुप्रतापपुर (अ.ज.जा.)
06.	सुनील सोनी	51-रायपुर नगर (दक्षिण)
05	सुशांत शुक्ला	31-बेलतरा

ह

01.	हर्षिता स्वामी बघेल, श्रीमती	74-डोंगरगढ़ (अ.जा.)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

छत्तीसगढ़ विधान सभा

सोमवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2024

(अग्रहायण 25, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए}

समय :

11.00 बजे

राष्ट्रगीत/राज्यगीत

अध्यक्ष महोदय :- अब राष्ट्रगीत "वंदे मातरम्" के साथ राज्यगीत "अरपा पइरी के धार" होगा । माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे राष्ट्रगीत एवं राज्यगीत के लिये कृपया अपने स्थान पर खड़े हों ।

(राष्ट्रगीत "वंदे मातरम्" और राज्यगीत "अरपा पइरी के धार" का गायन किया गया)

समय :

11.03 बजे

बधाई

श्री सुनील सोनी, सदस्य

अध्यक्ष महोदय :- श्री सुनील सोनी जो रायपुर दक्षिण से विधायक निर्वाचित हुए हैं, आज विधान सभा की प्रथम बैठक में उनका विधानसभा की ओर से मैं स्वागत करता हूं । (मेजों की थपथपाहट)

निधन का उल्लेख

(1) श्रीयुत श्रीगोपाल व्यास, राज्य सभा के पूर्व सांसद.

(2) श्री नंदाराम सोरी, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य.

अध्यक्ष महोदय :- मुझे सदन को यह सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि राज्यसभा के पूर्व सांसद, वरिष्ठ भाजपा नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक श्रीयुत श्रीगोपाल व्यास जी, सीरू भैया का दिनांक 07 नवम्बर, 2024 को रायपुर में निधन हो गया । उनका निधन सामाजिक क्षेत्र के लिये एक अपूरणीय क्षति है । जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्रीयुत श्रीगोपाल व्यास जी का जन्म 15 फरवरी, 1932 को पूनमचंद व्यास और श्रीमती जेठाबाई व्यास के घर में हुआ था । उन्होंने जबलपुर से इंजीनियरिंग कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी की । भिलाई स्टील प्लांट में इंजीनियर के पद में कार्यरत थे । आपातकाल 1975 से 1977 तक आपातकाल के विरूद्ध संघर्ष किया और इस दौरान जेल में बंद रहे । वर्ष 2006 से 2012 तक श्रीगोपाल व्यास जी छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य रहे । राज्यसभा में सदस्य रहते हुए उन्होंने न केवल सांसद निधि का लोकल्याण के लिये बेहतर उपयोग किया बल्कि अपनी तन्ख्वाह भी सामाजिक कार्यों के लिये समर्पित कर दी । श्री गोपाल व्यास ने अपना जीवन अत्यंत सादगी के साथ बिताया । अपने अंतिम समय तक समाज के कल्याण में सक्रिय रहे । श्री व्यास जी संघ के महत्वपूर्ण दायित्व पर रहे । वे मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रचारक, क्षेत्रीय कार्यवाहक और विश्व हिंदू परिषद विश्व प्रभाग के संयोजक रहे। उनकी सादगी, सरलता, विचार और उनके आदर्श उन्हें समाज में एक आदर्श पुरुष बनाता है। वह न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में सेवा, समर्पण का पर्याय रहे। श्री गोपाल व्यास ने अंतिम समय में भी समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए पार्थिव शरीर एम्स में दान दिया था।

उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी तथा मार्गदर्शक खो दिया है।

श्री नंदाराम सोरी का जन्म 20 जून, 1955 को ग्राम-बड़ेबेड़मा, जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में हुआ था। उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। वे प्रारंभ में जनपद अध्यक्ष रहे। भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी की टिकट पर सन् 1993 से 1998 तक वे अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। उन्होंने समाज सेवा एवं विकास कार्यों में योगदान दिया। नक्सली समस्या से क्षेत्र को मुक्त कराने हेतु सलवा जुडुम जैसे अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्य तथा खेल में वे विशेष अभिरूचि रखते थे।

उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी को खो दिया है।

उप मुख्यमंत्री, नगरीय प्रशासन (श्री अरूण साव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय श्री गोपाल व्यास जी, पूर्व राज्यसभा सांसद का हम सब को छोड़कर जाना न केवल प्रदेश के लिए वरन् छत्तीसगढ़ के लिए अपूरणीय क्षति है। श्री गोपाल व्यास जी, जिन्हें हम सब स्नेह से सीरू भैया कहा करते थे, एक महान विचारक, चिंतक, समाजसेवी रहे हैं। उनकी सादगी, उनकी सरलता, उनकी सहजता, एक बार जो उनसे मिल लेता था उनके व्यवहार से हमेशा प्रसन्नचित्त होते थे, हंसमुख होते थे और बड़ी-बड़ी समस्याओं को लेकर भी उनके पास जाने से वे जितनी सहजता से उसका निराकरण करते थे, उसका समाधान बताते थे, हजारों कार्यकर्ताओं ने उनसे प्रेरणा लेकर काम किया। उन्होंने जीवन का एक-एक मिनट, एक-एक पल समाज और देश के लिए समर्पित किया और जैसा माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने उल्लेख किया कि स्वर्गवास होने के बावजूद उन्होंने अपने पार्थिव शरीर को दान दिया। यह बताता है कि देश और समाज के लिए वे कितने कर्मठ थे। जाने के बाद भी समाज की चिंता करना, यह हम सब के लिए प्रेरणादायी रहा है।

हजारों लाखों कार्यकर्ता उनसे प्रेरणा लेकर सामाजिक जीवन में काम कर रहे हैं। उनका जाना हम सबके लिए अपूरणीय क्षति है। मैं अपनी ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

स्वर्गीय श्री नंदाराम सोरी वर्ष 1993 से 1998 तक अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। वे किसान परिवार में जन्मे और एक गांव से निकलकर संघर्ष करते हुए विधान सभा तक पहुंचे। हमेशा लोगों से जिस भाव से मिलते थे, जिस सहजता से मिलते थे, उन्होंने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव आगे बढ़कर काम किया है। वे आदिवासी समुदाय के गरीब परिवारों के लिए हमेशा समर्पित रहे।

उनके निधन से छत्तीसगढ़ ने एक समर्पित नेता और समाजसेवी को खो दिया है। मैं उन्हें अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. चरणदास महंत जी।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- अध्यक्ष महोदय, सत्र का पहला दिन अक्सर हम सब लोगों के लिए दुख का समय लेकर आता है और हम सब लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं । आदरणीय गोपाल व्यास जी जब राज्य सभा के सदस्य थे, उन दिनों मैं लोक सभा का सदस्य हुआ करता था । हम लोग अक्सर साथ-साथ रायपुर से दिल्ली तक की यात्रा करते थे । उनको देखकर नहीं लगता था कि वे इंजीनियर भी हैं । वे एक सहज, सरल व्यक्ति थे । छत्तीसगढ़ के सवालों को हल करने के बारे में वे जिस प्रकार से चर्चा करते थे, उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि हम अलग-अलग पार्टियों से हैं । एक पारिवारिक सदस्य के रूप में हम हमेशा मिलते रहे और कई विषयों पर चर्चा करते रहे । उनमें साधु का भाव उभरकर आया था, उन्होंने मान लिया था कि शरीर नश्वर है और हमें अकेले ही जाना है । शायद यही कारण है कि उन्होंने देह दान करके समाज को प्रेरणा दी है कि आपका देह किसी काम का नहीं है, उसे मिट्टी में मिल जाना है । उन्होंने इस बात को चरितार्थ किया, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं । उनकी दिवंगत आत्मा को ईश्वर अपने में लीन कर, चिर शांति प्रदान करे । मैं उनके परिजनों से अनुरोध करता हूं कि इस दुख की घड़ी जो कि बीत गई है, उसमें आने वाले दिनों में उनसे प्रेरणा प्राप्त कर वे भी सामाजिक कार्य में व्यास जी जैसा जीवन बिताएं ।

स्वर्गीय श्री नंदाराम जी सोरी, वे भी उन दिनों ही विधान सभा के सदस्य थे, जिन दिनों में था । वे सहज, सरल एवं सामान्य से दिखने वाले वयक्ति थे । विधान सभा में हमेशा उनकी उपस्थिति रहती थी । मैं, उनसे ज्यादा परिचय तो प्राप्त नहीं कर सका । मगर उनकी सहजता, उनकी विनम्रता और कर्मठता जो उन्होंने विधान सभा में दिखाई थी, अंततः सलवा जुडूम के माध्यम से उन्होंने बस्तर क्षेत्र की चिंता को दूर करने का प्रयास किया था मैं उनके प्रति भी पूरा आदर भाव प्रकट करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें अपने श्रीचरणों में स्थान दे ।

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय गोपाल व्यास जी एवं श्री नंदाराम सोरी जी को आज पूरा सदन श्रद्धांजलि दे रहा है। गोपाल नारायण व्यास जी का व्यक्तित्व, उनका कृतित्व को देखें तो इतना विराट व्यक्तित्व होने के बावजूद लोगों से मिलने में उनकी सादगी, सरलता सबके लिए अनुकरणीय है और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मोतीलाल वोरा जी के परिवार से होने के बावजूद उनमें कहीं भी लेशमात्र का बदलाव नहीं आया । जबकि वैचारिक रूप से वे बड़ी लीडर के परिवार से थे । इसके बावजूद संघ से जुड़कर उन्होंने 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान उन्हें रायपुर की जेल में रहकर यातना सहनी पड़ी । हम यह कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के एक बड़े पदाधिकारी के रूप में उन्होंनें लाखों स्वयं सेवकों को तैयार किया । उन्होंने राष्ट्रीय भावना को जगाने के लिए पूरा जीवन न्योछावर किया, वे शायद ही कहीं मिलते हैं। मैं अभी उनके यहां जब बैठने गया था तो परिवारजनों से मिला, परिवारजनों ने बताया कि उन्होंने अपना देहदान किया था और देहदान करने का भी समय निर्धारित किया था। किस समय होगा तो हमारा शरीर कम से कम समय पर पहुंच जाए। शनिवार, रविवार पड़ता है तो हो सकता है उस दिन पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा ? उन्होंने अधिकारियों को बुलाया, वहां के डॉक्टरों को बुलाया, अगर छुट्टी के दिन हम शरीर त्यागते हैं तो हमारा शरीर कैसे पहुंच पाएगा, उसके लिए आप लोग क्या व्यवस्था करोगे ? महोदय, ऐसे बिरले महापुरूष होते हैं। अध्यक्ष महोदय, जिनके छांव तले 2003 में हमारी सरकार बनी, उनका आशीर्वाद लगातार सरकार को भी मिला, हम सबको भी मिलता रहा। एक पित्रवत, स्नेह प्यार जो मिलता था, वह शायद ही ऐसा कहीं देखने को मिले। ऐसे महापुरूष विभिन्न पदों में रहते हुए, उस सदन के भी सदस्य होने के बावजूद जैसे कि अभी हमारे डिप्टी सी.एम. साहब, नेता प्रतिपक्ष महोदय ने अपनी भावना को व्यक्त किया है, ऐसे शायद ही कहीं होते हैं। मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं। श्री नंदाराम सोरी जी वर्ष 1993 से लेकर 1998 के बीच में जब हम लोग मध्यप्रदेश के सदन में हुआ करते थे, उस समय वे हम लोगों के साथ ही थे। वे कम्युनिष्ट पार्टी से आते थे, उस संघर्ष के समय में उन्होंने उस सदन में भी आवाज मुखरित करते रहे। मैं दोनों के प्रति अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्रीचरणों में स्थान दे, उनके परिवारजनों, उनके और भी जो कार्यकर्ता हैं, परिवारजन हैं, उन सबको भी ऐसे समय में धैर्य दे, यही सच्ची श्रद्धांजलि है।

श्री गजेन्द्र यादव (दुर्ग शहर) :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, श्रीयुत श्री गोपाल व्यास जी, सीरू भैया के श्रद्धांजलि सभा में मैं आज बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रद्धेय सीरू भैया का जन्म नागौर में हुआ लेकिन प्रारंभिक शिक्षा बागबाहरा, रायपुर और जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में हुई। लेकिन अगर देखा जाए तो उनका वास्तविक सामाजिक जीवन दुर्ग जिले से प्रारंभ हुआ। भिलाई स्टील प्लांट के स्थापना के समय जो मेकान रशियन कंपनी यहां कोआर्डिनेट करती थी, आप उसके जी.एम. के पद में

सुशोभित थे। वहीं से उन्होंने भिलाई स्टील प्लांट के अधिकारी रहते हुए सामाजिक जीवन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शुरूआत शाखा जाने का काम किया। बड़ा सौभाग्य है कि इतने उच्च पद में रहते हुए भी उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व दो साल तक रशिया में रहकर स्टील क्षेत्र में दिया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से प्रभावित होकर वर्ष 1975 में बी.एस.पी. की नौकरी छोड़कर जिला प्रचारक के रूप में अपने सार्वजनिक जीवन की शुरूआत दुर्ग जिले से की। बाद में वर्ष 1977 में आपातकाल में आज जब जेल यात्रा में गये, जेल यात्रा के दौरान वापस संघ ने उस समय महाकौशल प्रांत जो वर्तमान जबलपुर और छत्तीसगढ़ के भू-भाग हैं, आप महाकौशल प्रांत के पहले प्रांत प्रचारक बने । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा गर्व का विषय है, महाकौशल के बाद आप मध्य क्षेत्र के भी प्रथम क्षेत्र प्रचारक बने । देश में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के इतिहास में सिर्फ तीन ऐसे लोग हैं जो पारिवारिक पृष्ठभूमि होने के बावजूद क्षेत्र प्रचारक बने जिसमें श्रद्धेय श्रीयुत श्री गोपाल व्यास जी, सीरू भैया पहले गृहस्थ थे जो एक छोटे कार्यकर्ता से लेकर क्षेत्र प्रचारक की भूमिका संघ में दी। वे बाद में क्षेत्र कार्यवाहक भी बने। तत्कालीन बाद में आप विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संयोजक बने। विदेश मामलों को संघ और आप विश्व हिंदू परिषद के कार्य को देखते रहे। यह मेरा सौभाग्य है कि श्रद्धेय श्रीगोपाल व्यास जी दुर्ग जिले के थे। पारिवारिक पृष्ठभूमि होने के कारण से मुझे बाल्यकाल अवस्था से उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। सन् 1989 में परमपूज्य गुरूदेव डॉ. हेडगेवार जी का जब जन्म शताब्दी वर्ष मनाया गया तो संघ के काम को बढ़ाने की दृष्टि से श्रद्धेय श्रीगोपाल व्यास जी ने जब जबलपुर से रायपुर की पदयात्रा की तो एक बाल स्वयं सेवक होने के नाते मुझे उनके साथ बेमेतरा से लेकर दुर्ग तक पैदल आने का सौभाग्य मिला। एक बाल स्वयं सेवक के मन में जो भाव थे, उस भाव से मैंने उनसे पूछा कि सीरू भैया, क्या आप बताएंगे कि हिंदू किसे कहते हैं ? तो उन्होंने कहा कि जो भारत को माता मानता है, वही हिंदू कहलाता है। मैंने उनसे पूछा कि भारत को हम माता क्यों कहते हैं ? तो उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसी धरती है जो जमीन, जल, जंगल, अन्न व वायु सबकुछ देती है और जिससे हमारा जीवन चलता है, इसलिए हम इसको माता कहते हैं। माननीन सीरू भैया ने एक सहज भाव से छोटे से बाल्यकाल की अवस्था में मुझे यह बात सिखायी। साथ ही साथ वह बहुत अनुशासित थे। उनका बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन था। कभी भी वह फूल की माला नहीं पहनते थे। वह चरण वंदन से हमेशा परहेज रखते थे। वह किसी को भी अपना चरण छूने नहीं देते थे। बाद में जब वह राज्य सभा के सांसद बने, तब भी उनकी सादगी की प्रतिमूर्ति ऐसी थी कि उन्होंने कभी भी luxry वाहनों का उपयोग नहीं किया। उन्होंने आने-जाने के लिए हमेशा ट्रेन व ऑटो का ही उपयोग किया। श्रद्धेय सीरू भैया को आज मैं नमन व प्रणाम करता हूं। मुझे उनकी एक बात ध्यान में आती है कि देश के लिए बलिदान देना बहुत कठिन है, लेकिन उससे भी दुष्कर काम है, देश के लिए जीना। वह जीवन भर देश के लिए जीये और जाते-जाते उन्होंने अपने देह

को भी समाज को दान कर दिया। हमने महापुरूष व महामुनि दधिचि को नहीं देखा है, लेकिन महामुनि दधिचि स्वरूप श्रद्धेय सीरू भैया को मैं नमन व प्रणाम करता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- ओ.पी. चौधरी जी।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आरणीय सीरू भैया से मेरा भी व्यक्तिगत वास्ता रहा। प्रशासनिक जीवन में रहते हुए रायपुर में मेरे उनसे लगातार interaction होते थे और जहां त्याग का संदर्भ आता है तो हम कहते हैं कि जीवन का पल-पल और शरीर का कण-कण जो त्याग कर दे, वह असली त्याग करने वाला है। जीवन का पल-पल और शरीर का कण-कण को त्याग करने वाला यह जो वाक्यांश है, यह वाक्यांश उनके जीवन पर लागू होता है। आप हर वक्त उनके जीवन से बहुत कुछ सीख लेने का उदाहरण ले सकते थे। उनकी वजह से किसी को असुविधा न हो, इस तरह का संकोच जरा-जरा सी बातों पर उनके पल-पल के व्यवहार में नजर आता था। उनका पूरा जीवन अनुकरणीय रहा। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं।

आदरणीय नंदाराम सोरी जी, यह संयोग रहा कि दंतेवाड़ा में कलेक्टर के रूप में रहते हुए उनसे भी मेरा जुड़ाव रहा। उनके परिवार और उनकी बिटिया विमला सोरी व शीला सोरी जैसे लोगों से मेरे व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध रहे हैं। आदरणीय नंदाराम सोरी जी ideology के रूप से left ideology को belong करते थे। वह C.P.I. नेता थे, लेकिन जन सरोकारों के प्रति उनका हर वक्त समर्पण दिखाई देता था। उनका ideological जो कुछ हो, लेकिन जहां विषय जन सरोकारों का हो, वहां वह ideology से ऊपर उठकर भी समर्थन करते थे। ऐसा उनका विराट व्यक्तित्व था। मैं उनको भी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं यह कामना करता हूं कि ईश्वर दोनों दिवंगतों के परिवारजन को इस दु:ख को सहन करने की क्षमता प्रदान करें और यह भी प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें अपने श्रीचरणों में स्थान दें। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- केदार कश्यप जी।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरा सदन ऐसे महामना को, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के लिए समर्पित किया, आदरणीय स्वर्गीय श्रीगोपाल व्यास जी, जिनको हम सीरू भैया के नाम से जानते हैं। मेरा यह सौभाग्य रहा है कि जिस कॉलोनी में वह रहते थे, वहीं पर मेरा भी निवास है। मेरा उनके साथ ज्यादा समय तक बैठना होता था। शाम के समय जब वह घर पर आते थे तो जिस प्यार के साथ वह अपने हाथ से थपकी देते थे, मतलब एक पिता की भांति उनका व्यवहार था। हम वह समय कभी भी जीवन में नहीं भूल सकते, जब पहली बार मुझे उनका एक कार्यक्रम आयोजित करने का अवसर प्राप्त हुआ। यह सन् 2004-2005 की बात है। भानपुरी मेरा विधान सभा क्षेत्र है। मुझे लगा कि यह तो वनवासी क्षेत्र है। वनवासी क्षेत्र में श्रीगोपाल व्यास जी को कौन जानता होगा, लेकिन वहां 15 से 20 हजार जनजातीय समुदाय लोगों की संख्या थी, वहां हमारे जनजातीय समाज के कई बन्धु थे, जिन्होंने उनके जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़े। उनका

बचपन से वहां आना-जाना था। उनका मेरे पिता जी के साथ भी संबंध थे। वहां पर हमारे जनजातीय समुदाय के बन्धुओं को प्रेरणा देकर उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। उस समुदाय कई ऐसे लोग हैं, जो अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज ऐसे व्यक्तित्व का जाना हम सबके लिए बहुत ही दु:ख का विषय है और हमारे लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। यह केवल हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी क्षति है। निश्चित तौर पर आज हम उन्हें याद कर रहे हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश को समर्पित कर दिया और अंतिम समय तक इस देश की सेवा करने का भाव और अपना देह दान करके पूरे मानव जगत को एक बहुत बड़ी प्रेरणा दी है। मैं ऐसे महान तपस्वी को नमन करता हूं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे दन्तेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के श्री नंदाराम सोरी जी पूर्व विधायक रहे हैं। मैं उन्हें भी अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जैसा कि आपने बताया कि सन् 1955 में उनका जन्म हुआ। चूंकि सन् 2004 से दंतेवाड़ा का प्रभारी मंत्री के रूप में कार्य कर रहा हूं। अंदरूनी क्षेत्रों में जिस तरीके से स्व. नंदाराम सोरी जी पकड़ थी और जिस तरीके से उन क्षेत्रों के विषयों के सन्दर्भ में जानकारी थी, वह बहुत ही अद्भुत था। मेरा उनके साथ कई बार बैठना होता था। कई विषयों को लेकर उनके साथ चर्चा होती थी। मुझे याद है कि एक बार गुरूगुम में बीमारी फैली थी, उस बीमारी के दौरान भी उनके साथ जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। उन्होंने वहां पर वहां की बोली में उनसे चर्चा करके उनको समझाया। उसके बाद अनेकों ऐसे कार्य दंतेवाड़ा और उन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए बहुत सारी चीजों में उनका मार्गदर्शन भी मिलता था। वनवासी क्षेत्र होने के कारण वनवासी भाईयों के हितों की रक्षा की दृष्टि से, भले ही वह हमारे विचारधारा के नहीं थे, कम्युनिस्ट पार्टी से सम्बद्ध थे, लेकिन वहां पर वनवासियों की सोच हमारे वनवासी बन्धुओं के साथ और जनजातीय लोगों के विकास के प्रति उनका जीवन समर्पित रहा, ऐसा उनके जीवन के इस दृष्टांत से देखेने को प्राप्त होता है। मैं उन्हें अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं सदन के माध्यम से चूंकि स्व. श्रीगोपाल व्यास जी को, जिन्होंने अपना जीवन इस देश के लिए समर्पित किया, उनको भी अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री सुशांत शुक्ला (बेलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्व.श्रीगोपाल जी व्यास, सामाजिक, राजनीतिक, जीवन के ऐसे कार्यकर्ता रहे, जिनको हम राष्ट्र व्यक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के माध्यम से विभिन्न अनुशांगिक संगठनों का असंख्य कार्यकर्ताओं को गढ़ने वाले, रचने वाले ऐसे श्रीगोपाल जी व्यास का जन्म 15 फरवरी, 1932 होकर इंजीनयरिंग की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात रूस में काम किया। ऐसे भौतिक सुविधाओं को प्राप्त करने के पश्चात भी उन्होंने राष्ट्र प्रथम के लक्ष्य को लेकर चलने का काम अनवरत् जारी रखा, वह आज भी अतुलनीय है।

छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, मध्यप्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, मध्यभारत के महाकौशल प्रान्त के प्ररिप्रेक्ष्य में मेरे और मेरे परिवार के साथ उनका बहुत लंबे समय तक लगाव रहा है। परन्तु सामाजिक

जीवन के राजनीतिक कार्यकर्ताओं में सूचिता के विषय पर किसी व्यक्तित्व का जुड़ाव होना चाहिए तो हम जैसे युवा कार्यकर्ताओं को उनका जीवन एक विश्वविद्यालय की तरफ माना जाना चाहिए। क्योंकि हम जिस जीवन के छात्र हैं, अगर वहां सूचिता का अध्ययन करना हो तो स्व. श्रीगोपाल व्यास जी का सम्पूर्ण जीवन चारित्र उस विषय पर उद्वेलित करता है। दो-तीन दृष्टांत हैं, जिसको मैं बताना चाहता हूं कि पहला, वह जिस परिवार से आते थे, वहां पर विरोधी विचारधारा के एक बड़े राजनीतिज्ञ रहते थे। हम सब सबसे लड़ सकते हैं, लेकिन पारिवारिक बाध्यताओं से बंधे होते हैं, पर मैं आपको दृष्टांत याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने उस पारिवारिक बाध्यता से दूर हटकर वैचारिक पृष्ठभूमि को अंगीकार किया और उन्होंने राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ के प्रचारक के रूप में काम किया। दूसरा अवसर तब आया जब हमेशा सत्ता के केन्द्र के लिए सामाजिक-राजनीतिक जीवन का कार्यकर्ता काम करते रहता है और जब उनको दूसरी बार राज्यसभा सदस्य के लिए पुन: नामांकन फार्म भरने का आग्रह किया गया, वह विषय आपके दृष्टांत में भी होगा तब उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इस विषय को मना किया और उन्होंने कहा कि मेरा जीवन किसी अन्य विषय पर चलता है। ऐसे सामाजिक जीवन के राजनीतिक कार्यकर्ता आदरणीय श्रीयुत श्रीगोपाल व्यास जी के निधन से हम सबके पारिवारिक जीवन में एक बहुत बड़ी क्षति प्राप्त हुई है।

वैसे ही छत्तीसगढ़ के वनवासी क्षेत्र के वरिष्ठ जनजाति नेता श्री नंदाराम सोरी जी को भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं श्रीयुत श्रीगोराम व्यास जी और श्री नंदाराम सोरी जी के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको अपने श्रीचरणों में स्थान दें। ओम शांति।

श्री कवासी लखमा (कोन्टा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीगोपाल भाई साहब से तो हमारा संबंध बस्तर के होने के कारण बहुत दूर था, लेकिन हम सुनते थे कि वे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में बहुत अच्छे व्यक्ति थे। ऐसे व्यक्ति का छत्तीसगढ़ से जाना हमारे प्रदेश के लिए अपूरणीय क्षति है। खासकर हमारे दंतेवाड़ा विधान सभा क्षेत्र से श्री नंदाराम सोरी जी कम्युनिष्ट पार्टी से पांच सालों के लिए विधायक निर्वाचित हुए थे। वे 6 साल से बीमार थे। उनका वालंटियर में ईलाज करते थे। जब भूपेश बघेल जी हमारे मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उनके ईलाज के लिए 5 लाख रूपये दिया था। हम लोगों ने भी कुछ पैसा जमा करके उनका ईलाज करवा कर देखा, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी से वह ठीक नहीं हो पाये ओर वे हमारे बीच से चले गये। आदिवासी परिवार में घोर नक्सलाईट क्षेत्र में उनकी भतीजी नंदी सोरी, नक्सलाईट का आरोप लगाने के बाद भी उनके बड़े भाई को घर में रह कर नक्सलाईट लोग बंदूक से मारे और मुंडरा को मारे, जो उसका बड़ा भाई होता था, उस समय उसको तालाबंद करके रखा गया था। वह बहुत जूझे और अंदर गांव में होने के कारण बस्तर के आदिवासियों के लिए पीने के पानी के लिए वह कम्युनिस्ट पार्टी में रह कर मध्य प्रदेश की राजधानी में आंदोलन किए और अभी भी उनका परिवार आंदोलन में रहते थे। दक्षिण बस्तर में उनका परिवार बड़ा पढ़ा-लिखा था। अभी श्री नंदाराम सोरी जी

हमारे बीच में नहीं हैं। यह आदिवासी समाज के लिए और दक्षिण बस्तर के लिए बहुत ही अपूरणीय क्षति है। मैं ईश्वर से यही निवेदन करूंगा कि उनको अच्छा जगह दें, उनके परिवार वाले को शांति प्रदान करें। अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- श्री राजेश मूणत जी।

श्री राजेश मूणत (रायपुर नगर पश्चिम) :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम सब लोग दो महान शख्सियत को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सम्माननीय श्रीगोपाल व्यास जी एक राजनीतिक जीवन में ही नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन में भी एक सुचिता का प्रश्न खड़ा करके गये। व्यक्ति के ऊपर विचार डाले तो वह पढ़े-लिखे महान व्यक्ति थे, जिन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर समाज सेवा का संकल्प लिया। यही नहीं बल्कि उन्होंने अपने जीवन की एक सुचिता का प्रश्न भी खड़ा किया। व्यक्ति राजनीति में छोटे-मोटे पद पर आता है तो व्यक्ति विचार करता है, लेकिन वे राज्य सभा सदस्य होने के बाद में भी एक सामान्य जीवन में दो कमरे के अंदर अपना जीवन व्यतीत करते थे। वे जनता क्वार्टर में रहते थे। मुझे एक वाकि'आ याद है कि हम सब विधायक और सांसद लोगों को मौलश्री विहार के अंदर मकान दिए जा रहे हैं। वह दिन मुझे याद है कि उनके पास पैसा पटाने के लिए नहीं था। उनको 17 लाख रूपये में मकान मिल रहा था, लेकिन उनके पास पैसा पटाने के लिए नहीं था। उनके परिवार का जीवन-यापन करने के लिए हमारी माताश्री एक छोटे से किराने की दुकान चलाती थीं, लेकिन वह पढ़ा-लिखा व्यक्ति समाजसेवा में समर्पित होकर पूरे जीवन को समाज में लगा दिया, उनका एक बेटा था वह मानसिक दृष्टि से कमजोर था, उसके बाद भी वह कभी डिगे नहीं । अपने घर के अंदर रहते हुये उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसा पटाने के लिये नहीं है, उस समय यह विषय आया जब आकर यह व्यक्ति ने कहा कि पहले मेरा मकान बिकेगा, जितना पैसा आयेगा, उसे खरीदने में सक्षम होऊंगा तो खरीदूंगा, नहीं तो मकान नहीं खरीदूंगा । माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह बात कहता हूँ कि राजनीतिक जीवन में कोई काम करता है, सामाजिक जीवन में कोई काम करता है, ऐसे बिरले लोग होते हैं जो समाज को समर्पित होते हैं । तन समर्पित, मन समर्पित, तेरे आगे सब कुछ समर्पित, अपना जीवन समर्पित किया और साथ में अपने शरीर को समर्पित करके गये हैं । मैं इस महान व्यक्ति को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ । अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से माननीय सोरी जी एक सामाजिक जनचेतना के नायक थे । वह दंतेवाड़ा के रहने वाले थे । मैं उन्हें भी पूर्व विधायक के नाते अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ । आपने समय दिया, उसके लिये धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- सुनील सोनी जी ।

श्री सुनील सोनी (रायपुर दक्षिण) :- धन्यवाद, अध्यक्ष जी । शीरू भईया से मेरा बचपन से संबंध था, क्योंकि मैं उसी मोहल्ले में पैदा हुआ था । मुझे जब से समझदारी आई, उनका आर्शीवाद हमेंशा मिला । मेरे पिताजी का जब देहान्त हुआ, वह जब आये तो मैंने कहा कि अब मेरा कोई भाई नहीं है,

मेरे साथ कौन बैठेगा तो मैं उन्हें काकाजी बोलता था, काकाजी के तौर पर उन्होंने मेरे परिवार का पूरा जो मृत्यु के बाद में जो संस्कार होते हैं, उसे करने का काम किया था । उनको बचपन से देखने के बाद लगा कि आज दुनिया के अंदर में दो चीजें बहुत महंगी है, विश्वास और ईमानदारी । अपने जीवन में उन्होंने इन दोनों शब्दों को आत्मसात किया । कभी किसी के विश्वास को भंग नहीं किया और ईमानदारी के साथ में जीवन जीया । एक समय था, उनके पास मकान नहीं था । किराये के मकान में किराया पटाने के लिये पैसा नहीं था । माननीय अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर उनसे से आग्रह किया कि हाऊसिंग बोर्ड का मकान है, आप खरीद लीजिए । उनके पास पैसा नहीं था, दो कमरे का मकान, हजार फीट के आसपास होगा, ब्याज में पैसा लेकर मकान में रहना चालू किया । ऐसा पारदर्शी जीवन जीना हमारे जैसे राजनीतिज्ञों के लिये वह सीख है। उनके कर्मों की ऐसी पुस्तक थी, मैं कहता हूँ कि जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है, लेकिन परमात्मा ने ईश्वर और मृत्यु के बीच के कालखण्ड में कर्म की पुस्तक लिखने का जो अधिकार दिया है, उसे श्री गोपाल जी व्यास ने जिस रूप में लिखा है, अगर उनके जीवन दर्शन को कोई पढ़ लेगा तो लगेगा कि राष्ट्र के प्रति मेरा क्या कर्त्तव्य है, समाज के प्रति मेरा क्या दायित्व है, अगर राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ तो मेरा क्या विजन रहना चाहिये । राज्य सभा सदस्य रहते हुये भी नक्सल के खिलाफ अपनी आवाजें बुलंद की । जब मैं सांसद बना तो मुझको इस बात को कहते थे कि सुनील छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त होना चाहिये, इसकी बात होनी चाहिये । अध्यक्ष महोदय, मैं उनके बारे में कहूँगा तो मुझको बहुत समय लग जायेगा। मैं पहली बार इस विधान सभा में खड़ा हुआ हूँ, मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ । मैं भी उनके परिवार का सदस्य हूँ तो निजी तौर पर भी हमारा परिवार दुखी है । अध्यक्ष महोदय, नंदाराम सोरी जी, मैंने उनके बारे में अभी रामविचार जी और केदार जी से सुना है, उनको भी मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ । ओम शांति ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ । दिवंगतों के सम्मान में सदन अब कुछ देर मौन धारण करेगा।

(सदन द्वारा दो मिनट खड़े रहकर मौन धारण किया गया)

अध्यक्ष महोदय :- दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित ।

(11.40 बजे से 11.46 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित रही)

समय :

11:46 बजे (अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

जिला बिलासपुर में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

1. (*क्र. 229) श्री सुशांत शुक्ला : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला बिलासपुर के अंतर्गत वर्ष 2021 से दिनांक 25/11/2024 तक शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा/ निर्माण की कितनी-कितनी शिकायतें कहां-कहां से प्राप्त हुई अथवा विभाग के संज्ञान में आयी ? विकासखण्डवार रकबा, खसरा नंबर तथा अवैध कब्जाकर्ता व्यक्ति/ कंपनी/संस्थान/समूह/कालोनाईजरों के नाम पता सहित जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** प्रश्नांश "क" के अवैध कब्जा वाली कितनी एवं कहां - कहां की भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया? कितने प्रकरण न्यायालय में लंबित हैं ? रकबा खसरा सहित जानकारी उपलब्ध करावें ? शेष भूमि को कब्जा मुक्त कराने हेतु क्या-क्या प्रयास किया जा रहा है ? कब तक कब्जा मुक्त करा लिया जावेगा?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) कुल 563 शिकायतें प्राप्त हुई है। जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र-'अ'** अनुसार है। **(ख)** कुल 256 प्रकरणों की भूमि को कब्जा मुक्त कराया जा चुका है। शेष 307 प्रकरण न्यायालय में लंबित है। रकबा खसरा सहित जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र-'ब'** अनुसार है। शेष 307 प्रकरणों में भूमि की कब्जा मुक्त कराने हेतु विधिवत न्यायालय में दर्ज कर अवैध कब्जाकर्ताओं चिन्हांकन कर नोटिस जारी किया गया है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्व मंत्री जी से जो प्रश्न पूछा, उसका लिखित जवाब तो जरूर आ गया है, परन्तु प्रशासन के दस्तावेजी प्रमाणीकरण में कैसा खेल होता है, वह इस जवाब से स्पष्ट प्रदर्शित होता है । प्रश्नावधि में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में, जैसे उड़ता पंजाब पिक्चर बनी थी, वैसे ही उड़ता जमीन का प्रारूप पिछले 5 सालों में लिखा गया, वह जवाबों में आता है और हद तो तब हो जाती है, जब वह भूमि पुराण लिखा जाता है, उसके चक्कर में कई परिवारों को गरूण पुराण सुनना पड़ गया । मंत्री जी, मैं आपसे पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या शासकीय जमीनों में कब्जा प्रमाण-पत्र के आधार पर कितने कब्जे प्रमाण-पत्र की कार्रवाई पूर्व में की गई है, क्या इसका जवाब माननीय मंत्री जी देंगे ?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जानकारी चाही है कि बिलासपुर जिले में 2021 से 25.11.2024 तक शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा/निर्माण की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, कितने जगह निर्माण हुए हैं और किन-किन व्यक्तियों ने अवैध कब्जा किया है, इसकी जानकारी विकासखण्डवार चाही है । बिलासपुर जिले में 2021 से 25.11.2024 तक शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे की कुल 563 शिकायतें प्राप्त हुई हैं । विकासखण्ड बिल्हा में 222, मस्तूरी में 98, कोटा में 152 और तखतपुर में 91 शिकायतें । इस तरह से 563 शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब स्पष्ट तौर पर गलत है । क्योंकि राजीव गांधी आश्रय पट्टा योजना के तहत जो सर्वे किया गया, वह पूर्ववर्ती 5 वर्षों में 13273 कब्जा की जानकारी आर.टी.आई. के तहत इन्हीं के शासकीय विभागों के द्वारा मुझे प्रदान की गई है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब आप 13273 कब्जा प्रमाण-पत्र के आधार पर पट्टे का सर्वे कर रहे हैं तो मेरे प्रश्न में स्पष्ट है कि कब्जे की कितनी शिकायतें हैं ? एक तरफ आपका दस्तावेज उसको प्रमाणीकरण करता है और दूसरी तरफ यही विषय 573 शिकायतों के नाम पर उसको स्वार्थपूर्ण बटवारा करना चाहते हैं । मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती व्यवस्था में शासन के संरक्षण में शासकीय जमीनों का स्वार्थपूर्ण बंटवारा किया गया और इसके विरूद्ध प्रशासनिक तौर पर कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं हुई है । क्या मंत्री जी बताना चाहेंगे कि ऐसे कितने अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित हुई है ?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बनने के बाद अभी कोई पट्टा वितरण नहीं हुआ है । जैसा माननीय सदस्य बता रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार में गलत ढंग से जो पट्टे बंटे हैं, वे 700 कुछ का आंकड़ा बता रहे हैं, हम एक बार उसकी जांच कराएंगे कि वह पट्टा गलत व्यक्तियों को तो नहीं दिया गया है। अगर परीक्षण में ऐसा पाया जाएगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है ।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पूरा नहीं हुआ । मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आपसे संरक्षण की उम्मीद है ।

अध्यक्ष महोदय :- उत्तर तो पूरा आ गया ।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर नहीं आया है । मोपका में 409 हेक्टेयर, चिल्हाटी में 132 हेक्टेयर, बहतराई में 108 हेक्टेयर, खमतराई में 167 हेक्टेयर, बिरकोना में 506 हेक्टेयर, कोनी में 286 हेक्टेयर, सेंदरी में 169 हेक्टेयर, नगोई में 200 हेक्टेयर, बैमा में 150 हेक्टेयर, रमतला में 141 हेक्टेयर, बिजौर में 156 हेक्टेयर, मंगला में 147 हेक्टेयर, लिंगियाडीह में 237 हेक्टेयर, पौंसरा में 336 हेक्टेयर, सेलर में 270 हेक्टेयर, सिंघरी में 250 हेक्टेयर, लगरा में 287 हेक्टेयर शासकीय जमीन मिशल पर तो अंकित है, किन्तु मौके पर अंकित नहीं है और ये पिछले पांच सालों की कारस्तानी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि क्या राज्य की कोई कमेटी बनाकर इसकी जांच करायेंगे और दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई करेंगे?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछ रहे हैं, यह उनकी प्रश्नावली में नहीं आया है। यदि उनके पास ऐसी तथ्यात्मक जानकारी है, जितने सारे जगहों का उल्लेख किया है, तो निश्चित रूप से हमें वह तथ्यात्मक जानकारी मिल जाए, हम इसका पूरा परीक्षण करायेंगे, जांच करायेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- आप तथ्यात्मक जानकारी दीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, आप टेक्निकली बात कर रहे हैं, वहां तक तो आप सही हैं, लेकिन सुशांत शुक्ला जी ने जो मांग की है या जिन-जिन रकबा, खसरा की उन्होंने बात की है, वहॉ भयंकर अफरा-तफरी है, जो कि आयेदिन अखबारों की सुर्खियां बनती हैं। आप तो कृपा करके बिलासपुर नगर निगम सीमा के अंदर ही जहॉ-जहॉ प्रभावशाली लोग सरकारी जमीनों पर कब्जा करके रखे हैं, उसके लिए आप कलेक्टर महोदय को निर्देशित करेंगे क्या कि वह अपने अधीनस्थ एक टीम बनाकर चाहे वह सकरी में हो, तिफरा हो, मोपका या चिल्हाटी हो, ये सभी नगर निगम सीमा में हैं, वहॉ करोड़ों रुपये की जमीनों को कुछ भूमाफिया या बिल्डर कब्जा किए हुए हैं। उन्हें चिन्हित करके अगर आपकी सरकार के पास जानकारी नहीं हो तो, उनको जानकारी देने पर क्या आप इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कराकर उस बेशकीमती जमीन को कब्जा मुक्त करायेंगे क्या? आप सदन में इतना तो बता दीजिए। बोलिए कि कलेक्टर से बोलकर हम इसमें जांच करायेंगे और कार्रवाई करायेंगे।

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य और माननीय धर्मजीत भैय्या ने जो बातें रखी हैं, जितनी जगह चिन्हांकित किए हैं, उनकी शिकायत तथ्यों के साथ देंगे, उसका परीक्षण करायेंगे, जांच करायेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- यहॉ हम किसे जांच के लिए देंगे साहब? आप बोलिए ना कि कलेक्टर या जिले में हाईपॉवर कमेटी बना देंगे, वह जांच करवा देंगे।

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच के लिए एक कमेटी भी बनायेंगे।

अध्यक्ष महोदय:- मंत्री जी, काफी अच्छा जवाब दे रहे हैं। बोल दिए।

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम समिति गठित करके सारे चिन्हांकित जगहों की जांच करायेंगे।

समय:

11.54 बजे

अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

श्री नितिन नवीन, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी एवं बिहार के कैबिनेट मंत्री

अध्यक्ष महोदय :- आज सदन को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि श्री नितिन नवीन जी, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी, बिहार के कैबिनेट मंत्री की आज सदन में उपस्थिति है, मैं उनका स्वागत करता हूं।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमश:)

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप बिलासपुर में कहाॅ कूद गए।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कोई गरीब के जेला पट्टा मिल गेहे तेला जांच करावथव, ठीक हे, जॉच करावव, लेकिन मैं आपसे एक अऊ कहना चाहत हौं कि जो पॉवर प्लांट हे, ओमन ला जो जमीन सरकार के द्वारा मिले हे ओखर अतिरिक्त गांव के गौचर ला भी कब्जा कर ले हे, कलेक्टर, एस.पी. ला शिकायत भी करे रहेंव। आज कहाॅ-कहाॅ उद्योगपति मन कब्जा करे हे, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहत हौं कि गौचर के जमीन ला भी कब्जा करे हे, ओखरो लिए जांच कराहा का?

अध्यक्ष महोदय :- रामकुमार जी, इसके लिए अलग प्रश्न करना पड़ेगा, इससे उद्भुत नहीं होता।

श्री धर्मजीत सिंह :- इनकी गरीबी की जांच करने के लिए भी एक सदन की समिति बना दीजिए।

श्री सुशांत शुक्ला :- चन्द्रपुर के पिछले मुआवजा प्रकरण के भी जांच करा देवथन?

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, सरकारी जमीन ला कब्जा करे हे। फैक्ट्री वाला मन कब्जा करिही, तेखर जांच नई होही का?

अध्यक्ष महोदय :- रामकुमार जी, यह विषय नहीं है। श्री प्रबोध मिंज जी।

सरगुजा जिले में सड़क निर्माण कार्य हेतु वन विभाग की अनापत्ति

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

2. (*क्र. 408) श्री प्रबोध मिंज : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** सरगुजा जिले के किन-किन मार्गों के निर्माण के लिए वर्ष 2021-22 से नवम्बर, 2024 तक वन विभाग से अनापत्ति मांगी गई है ? **(ख)** कितनी सड़कों पर अनापत्ति दे दी गई है? कितनी शेष

हैं? **(ग)** जिन सड़कों पर अनापत्ति नहीं दी गई है? उन सड़कों हेतु कब तक अनापत्ति दी जावेगी? **(घ)** उपरोक्त समस्त सड़कों के निर्माण में कितने वृक्षों की कटाई होगी? सड़कवार जानकारी उपलब्ध करावें ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :(क) सरगुजा जिले के सरगुजा वनमंडल अंतर्गत वर्ष 2021-22 से नवम्बर, 2024 तक कुल 25 मार्गो के निर्माण के लिए कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग अम्बिकापुर द्वारा अनापत्ति मांगी गयी है। **जानकारी संलग्न[1] "प्रपत्र" में दर्शित है।(ख)** सरगुजा जिले के सरगुजा वनमण्डल अंतर्गत कुल 25 मार्गो के लिये अनापत्ति मांगी गई थी, जिसमें किसी भी प्रकार की अनापत्ति जारी नही की गई है। अपितु वन भूमि पर सड़क निर्माण अथवा अन्य गैर वानिकी कार्य हेतु वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 अंतर्गत अनापत्ति दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। **(ग)** वन भूमि पर सड़क निर्माण अथवा अन्य गैर वानिकी कार्य हेतु वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 अंतर्गत अनापत्ति दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अपितु वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत् किसी भी विकास कार्य हेतु वन भूमि प्रभावित होने पर नियमानुसार वन भूमि व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव तैयार कर राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा जाता है तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सड़क निर्माण हेतु वन भूमि व्यपवर्तन की अनुमति दी जाती है। आवेदक संस्थान द्वारा उक्त सड़कों हेतु विधिवत् आवेदन प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जायेगा।**(घ)** वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया में परियोजना में प्रभावित वृक्षों की गणना की जाती है। इसके उपरांत ही वृक्षों की संख्या ज्ञात की जा सकती है।

श्री प्रबोध मिंज :- अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से माननीय वन मंत्री जी से सवाल किया था कि वन मार्गों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहे हैं। इसमें उन्होंने जवाब दिया है कि 24 अक्टूबर, 1980 के वन भूमि के संरक्षण अधिनियम के तहत यह होगा और उन्होंने परिशिष्ट में जो जानकारी दी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि वनमार्गों की जो संख्या है वह 25 है जो वर्ष 2021-22 से मांगी गई थी और उसमें केवल एक ही सड़क का उल्लेख किया गया है और उसमें लिखा गया है कि वन अधिनियम 1980 के प्रावधान के अनुसार उसमें अनापत्ति नहीं दी जा सकती। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अलावा वन संरक्षण के लिए वर्ष 2023 में और कोई राष्ट्रीय अधिनियम बने हैं ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वन भूमि क्षेत्र के अंतर्गत सड़क निर्माण हो या फिर कोई अन्य गैर वानिकी कार्य हो, उनके लिए वन संरक्षण एवं संवर्धन 1980 के अंतर्गत हमारे वन विभाग

[1] परिशिष्ट "एक"

के माध्यम से ऐसा कोई भी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान नहीं है। अपितु वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत किसी भी विकास कार्य हेतु वन भूमि प्रभावित होने पर नियमानुसार वन भूमि व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव तैयार कर राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा जाता है, जिसके उपरांत भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सड़क निर्माण या फिर अन्य कार्य हेतु भूमि व्यपवर्तन की अनुमति दी जाती है। माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही है, उसके तहत मैंने उत्तर दिया है। हमें लगभग 25 सड़कों का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और उनके संदर्भ में नियमानुसार कार्य किया जा रहा है।

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिये गये हैं। मैं उदाहरण के लिए माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि जो बिलासपुर, अंबिकापुर, कटघोरा मार्ग बना है, वह पहले छोटा मार्ग था और आज इतना चौड़ा मार्ग बन गया है। वहां टू-लेन सड़क बनी, फिर फोर-लेन सड़क बनी, वह किस अधिनियम और किस प्रावधान के अंतर्गत बनायी गयी ? मैंने जो सवाल किया था उसमें 25 सड़कों की जानकारी मांगी गयी थी और उसमें अधिकारियों ने केवल एक सड़क के निरीक्षण के लिए कहा है। उसमें वर्ष 2021-22 से लेकर वर्ष 2024 तक जो 25 सड़कें हैं, उनमें केवल एक सड़क का सर्वेक्षण करवाया गया है और उसमें उन्होंने कहा है कि उसमें 0.975 हेक्टेयर की भूमि आ रही है और वन अधिनियम 2006 के अंतर्गत हमारा जो सरगुजा क्षेत्र है, वह पेसा कानून के अंतर्गत आता है, जो पांचवी अनुसूची में है। उसमें ग्राम सभा के लिए प्रावधान है कि 1 हेक्टेयर से कम जमीन को देने का अधिकार वनमंडलाधिकारी को है और यहां एक हेक्टेयर भूमि भी नहीं है और उसके चलते अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत पहाड़ी कोरवाओं की बस्ती तक सड़क पहुंचानी है, जिसके लिए पूरे पहाड़ों में सड़क बनानी है और उन पूरी जगहों में वन मार्ग है और यदि उन मार्गों में सड़क नहीं बनेंगी तो आखिरी छोर के लोगों का विकास कैसे होगा ? मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस तरह के सवालों में जो जवाब आते हैं, यह गैर जिम्मेदाराना है। आप इनको ठीक करिये और इसमें वर्ष 2024 तक जो 25 सड़कों का उल्लेख किया गया है, उनको कब तक सर्वेक्षण कराया जायेगा ? वह 1 हेक्टेयर से नीचे की भूमि है। इसमें ग्राम सभा को भी अधिकार है कि ग्राम सभा के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जा सकता है, आप इसकी कार्यवाही कब तक पूरा करवायेंगे ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, वह पूरे सरगुजा क्षेत्र से संबंधित है और कुल 25 सड़कों के संबंध में है। इसमें सब के मामले अलग-अलग है। इसको लेकर हमारा वन विभाग लगातार इस दिशा में कार्य कर रहा है और सरकार की मंशा है कि उन क्षेत्रों में सड़कों का विस्तार हो, वहां पर हमारे शासकीय संस्थानों का निर्माण हो और उसके लिये सरकार के

माध्यम से यथासंभव प्रयास किया जा रहा है कि वहां पर हमारे जो जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं, primitive tribes के लोग रहते हैं, उनके हितों की रक्षा की जाये। आपने जो प्रश्न किया है, उसके संदर्भ में हम निश्चित तौर पर चाहेंगे कि वहां जो आवश्यकता है, हम उस कार्य को करायें। इसमें जो भी कार्यवाही होगी, उसको नियमानुसार किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय

12.00 बजे **मानननीय अध्यक्ष महोदय की ओर से "रजत जयंती वर्ष" के संबंध में बधाई संदेश**

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि हम रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर गये हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के साथ छत्तीसगढ़ राज्य दिनांक 1 नवम्बर, 2000 को अस्तित्व में आया और छत्तीसगढ़ राज्य की विधान सभा का प्रथम सत्र दिनांक 14 दिसम्बर, 2000 को आहूत किया गया। इस दृष्टि से 14 दिसम्बर, 2024 से छत्तीसगढ़ विधान सभा का पच्चीसवां वर्ष प्रारंभ हो गया है। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से आपको और प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। (मेजों की थपथपाहट)

मुझे सदन को यह सूचित करते हुए यह हर्ष हो रहा है कि छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा इस पच्चीसवें वर्ष को **"रजत जयंती वर्ष"** के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। इस **"रजत जयंती वर्ष"** में छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा वर्षभर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं -

1. विधान सभा परिसर स्थित नवीन पुस्तकालय भवन में छत्तीसगढ़ विधान सभा के पच्चीस वर्षों के दौरान विभिन्न अवसरों के छायाचित्रों की प्रदर्शनी तथा नवा रायपुर, अटल नगर में निर्माणाधीन नवीन विधान सभा भवन के मॉडल को अवलोकन के लिए रखा जायेगा।
2. दिनांक 25 दिसम्बर, 2024 को षष्टम विधान सभा के माननीय सदस्यों पर केन्द्रित पुस्तक **"सदस्य परिचय-षष्ठम विधान सभा"** पंचम विधान सभा की अवधि में सभा द्वारा संपादित कार्यों के संबंध में प्रकाशित पुस्तक **"गठन से विघटन तक"** तथा **"विधान सभा-एक परिचय"** पुस्तिका का विमोचन।
3. **"रजत जयंती वर्ष"** अवधि में सप्ताह के प्रत्येक बुधवार एवं शुक्रवार (अवकाश के दिनों को छोड़कर) को राज्य के समस्त जिलों के दसवीं, बाहरवीं तथा महाविद्यालयीन, विश्वविद्यालयीन छात्र-छात्राओं को विधान सभा का भ्रमण कराया जाना।
4. बजट सत्र -2025 के दौरान- माननीय सदस्यों के मध्य सद्भावना क्रिकेट मैच, सदन के माननीय सदस्यों को संबोधित करने हेतु माननीय राष्ट्रपति महोदया को आमंत्रित किया जाना।
5. अप्रैल, 2025 में पत्रकारिता के क्षेत्र के ख्यातिनाम एवं राज्य से बाहर के पत्रकारों की **"संसदीय रिपोर्टिंग एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती देने में पत्रकारिता की प्रभावी भूमिका"** विषय पर एक दिवसीय विचार गोष्ठी।
6. मई, 2025 में **"त्वरित न्याय, समाज की सामयिक आवश्यकता"** विषय पर राज्य के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एवं अधिवक्तागणों का एक दिवसीय व्याख्यान।

7. जून, 2025 में **"संसद में महिला आरक्षण विधेयक का पारित होना, नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वाकांक्षी कदम"** विषय पर समस्त माननीय महिला सदस्य, राज्य के महिला संगठनों के पदाधिकारी एवं ख्यातिमान महिलाओं की एक दिवसीय संगोष्ठी।
8. जुलाई, 2025 में नवा रायपुर स्थिति विधान सभा परिसर में **"वृक्षारोपण"** का कार्यक्रम।
9. अगस्त, 2025 में संभावित मानसून सत्र के दौरान देश/प्रदेश के ख्यातिनाम कलाकारों का एक **"सांस्कृतिक कार्यक्रम"** का आयोजन।
10. सितम्बर, 2025 में **"शिक्षा समाज के विकास की धूरी है"** विषय पर राज्य के शिक्षण संस्थाओं के पदाधिकारी एवं शिक्षाविदों की एक दिवसीय संगोष्ठी।
11. अक्टूबर, 2025 में **"छत्तीसगढ़ का समृद्धि साहित्यिक इतिहास"** विषय पर राज्य के हिन्दी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रतिष्ठित साहित्यकारगणों की एक दिवसीय संगोष्ठी।
12. नवम्बर, 2025 में **"चिकित्सा सेवा का पर्याय है"** अथवा **"छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास की संभावनाएं"** विषय पर संगोष्ठी।
13. दिसम्बर, 2025 में रजत जयंती वर्ष के समाप्ति के अवसर पर भव्य एवं गरिमामय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन।

इन निर्धारित कार्यक्रमों में समय एवं परिस्थिति अनुसार परिवर्तन एवं परिवर्धन किया जा सकेगा।

साथ ही मैं सदन को यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि "राष्ट्रकुल संसदीय संघ भारत क्षेत्र कुल 9 जोनों में विभाजित है, जिसमें से जोन क्रमांक-6 में "मध्यप्रदेश, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ राज्य" सम्मिलित हैं। बजट सत्र 2025 के बाद इन तीनों राज्यों की लोक लेखा समिति की एक संयुक्त बैठक छत्तीसगढ़ विधान सभा में आयोजित की जाना है।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2025 में नवीन विधान सभा भवन का भी उद्घाटन होना है। नवीन विधान सभा भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आमंत्रित किया जाना प्रस्तावित है।

छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा संविधान तथा नियमों के अधीन अनेकों सराहनीय कार्यों संपादित किये गये हैं, जिस कारण से छत्तीसगढ़ विधान सभा का नाम देश के विधान मण्डलों में अग्रणी विधान सभाओं के रूप में लिया जाता है।

आप सभी से अपेक्षा है कि जिस प्रकार से प्रथम विधान सभा से लेकर पंचम विधान सभा तक इस विधान सभा द्वारा अपनी पहचान संसदीय प्रक्रियाओं, परम्पराओं, अनुशासन एवं मर्यादाओं का पालन करते हुए बनाई है, उसी प्रकार इस षष्ठम विधान सभा तथा आने वाले समय में भी उच्च स्तरीय संसदीय प्रक्रियाओं और परंपराओं का प्रदर्शन इस इस विधान सभा द्वारा किया जायेगा।

मैं इस **"रजत जयंती वर्ष"** में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में आपकी सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा करता हूं और साथ ही आपसे यह भी अपेक्षा है कि आपके कोई अच्छे सुझाव इस **"रजत जयंती वर्ष"** के आयोजन हेतु हों तो मुझे उससे अवश्य अवगत करायें। मैं प्रयास करूंगा कि आपके सुझाव पर विचार कर उसे मुर्त रूप दिया जा सके।

मैं पुन: **"रजत जयंती वर्ष"** पर आप सभी को तथा प्रदेश की जनता को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं।

धन्यवाद।

समय

12.06 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) नगरीय प्रशासन विभाग की विभिन्न अधिसूचनाएं

उप मुख्यमंत्री, नगरीय प्रशासन (श्री अरूण साव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार :

(1) छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (क्रमांक 1 सन् 2024), दिनांक 30 अक्टूबर, 2024,

(2) छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2024), दिनांक 30 अक्टूबर, 2024

(3) छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (क्रमांक 4 सन् 2024), दिनांक 3 दिसंबर, 2024, तथा

(4) छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (क्रमांक 5 सन् 2024), दिनांक 03 दिसंबर, 2024 पटल पर रखता हूं।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का अठारवॉं वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 (1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023)

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 24 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का अठारवॉं वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 (1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023) पटल पर रखता हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(3) सहकारिता विभाग की विभिन्न अधिसूचनाएं

सहकारिता मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार :-

(1) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन, वित्तीय वर्ष 2023-24 तथा

(2) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित का अंकेक्षण टीप एवं वित्तीय पत्रकवर्ष 2023-24 पटल पर रखता हूं।

(4) छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं की अधिसूचना क्रमांक 1-29/2015/17-1, दिनांक 29 अगस्त, 2024

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम, 2010 (क्रमांक 23 सन् 2010) की धारा 18 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 1-29/2015/17-1, दिनांक 29 अगस्त, 2024 पटल पर रखता हूं।

समय
12.07 बजे **जुलाई, 2024 सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.**

अध्यक्ष महोदय :- जुलाई, 2024 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन सचिव, विधान सभा, सदन के पटल पर रखेंगे।

सचिव, विधान सभा (श्री दिनेश शर्मा) :- मैं, अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-ख की अपेक्षानुसार जुलाई, 2024 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल रखता हूं।

समय
12.08 बजे **नियम 267- के अधीन जुलाई 2024 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.**

अध्यक्ष महोदय :- नियम 267 "क" के अधीन जुलाई, 2024 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन सचिव, विधान सभा सदन के पटल पर रखेंगे।

सचिव, विधान सभा (श्री दिनेश शर्मा) :- मैं, नियम 267 "क" के अधीन जुलाई, 2024 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखता हूं।

समय

12.09 बजे **राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.**

अध्यक्ष महोदय :- पंचम विधान सभा के जुलाई, 2022 सत्र में पारित कुल 13 विधयकों में से शेष बचे 1 विधेयक पर माननीय राष्ट्रपति तथा षष्ठम् विधान सभा के फरवरी-मार्च, 2024 सत्र में पारित कुल 5 विधेयकों में से शेष बचे 1 विधेयक एवं जुलाई 2024 सत्र में पारित कुल 3 विधेयकों में से सभी 3 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है। अनुमति प्राप्त विधेयक का विवरण सचिव, विधान सभा सदन के पटल पर रखेंगे।

सचिव, विधान सभा (श्री दिनेश शर्मा) :- पंचम विधान सभा के जुलाई, 2022 सत्र में पारित कुल 13 विधयकों में से शेष बचे 1 विधेयक पर माननीय राष्ट्रपति तथा षष्ठम् विधान सभा के फरवरी-मार्च, 2024 सत्र में पारित कुल 5 विधेयकों में से शेष बचे 1 विधेयक एवं जुलाई 2024 सत्र में पारित कुल 3 विधेयकों में से सभी 3 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है। जिसका विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- अनुमति प्राप्त विधेयक के नाम को दर्शाने वाले विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों के पृथक वितरित किया जा रहा है ।

पृच्छा

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में धान ख़रीदी अव्यवस्था की भेंट चढ़ चुका है । सरकार कोई भी हो, वह समय से पहले ख़रीदी की व्यवस्था शुरू कर देती है लेकिन वर्तमान सरकार ने धान ख़रीदी को महत्व नहीं दिया बल्कि जो व्यवस्था बनी हुई थी उस व्यवस्था को खराब करने में इस सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है ।

अध्यक्ष महोदय, इस साल बारदाना खरीदी ठीक से नहीं हुई । पहले दिन से ही किसानों को कहा गया कि आप पचास प्रतिशत बारदाना लाएं । किसी सोसायटी में बारदाना है, किसी सोसायटी में बारदाना नहीं है और उसके बाद आनावारी रिपोर्ट और उसके चलते कहीं पर धान खरीदी 15-16 क्विंटल तो कहीं 20 क्विंटल, कहीं 21 क्विंटल लगातार हम लोगों के विरोध के चलते फिर 21 क्विंटल खरीदी और उसके बाद टोकन का तो वह आलम है जिसकी कोई सीमा नहीं है । अध्यक्ष महोदय, Online और Offline के चक्कर में पूरे प्रदेश के किसान पिसते जा रहे हैं । रात-रातभर लाईन में खड़े रहते हैं और Online शुरू होता है और एक मिनट में बंद हो जाता है और Online शुरू होता है तो दिखाया जाता है कि एक क्विंटल बचा है, डेढ़ क्विंटल बचा है, 26 किलो बचा है, किसी में जीरो है इस प्रकार से वह Online -offline के चक्कर में सारे किसान त्रस्त हैं । कहीं Offline में नहीं मिल रहा है, कहीं Online में नहीं मिल रहा है ।

श्री अजय चंद्राकर :- महोदय, अभी तो आप Offline हो, कहां Online हो । आप Offline में Online की बात ही मत करिए ।

श्री भूपेश बघेल :- अजय जी, Online की शुरुआत तो हमने ही की ।

श्री रामकुमार यादव :- तें लूप-लाईन में हस ।

श्री भूपेश बघेल :- Online हमने शुरू किया लेकिन Online की यह दुर्दशा पहली बार देखी ।

श्री उमेश पटेल :- सुनिए तो वहां बिजली है लेकिन करेंट नहीं पहुंचा है ।(हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- बिना करंट के होगे हा । (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- अच्छा, अजय जी हम लोग तो Online हुए साल भर हो गया है लेकिन अभी वर्तमान में तो आप offline हैं, Loopline में भी नहीं हैं । (हंसी) यह मार्गदर्शक मंडल में हैं । अमर जी, धर्मजीत जी, धरमलाल कौशिक जी, अजय जी, पुन्नूलाल मोहले जी, लता उसेंडी जी, कहां गोमती जी और उसके बाद हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री रहीं रेणुका जी, उधर राजेश मूणत जी, लगता है कि इन सबको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया है ।

श्री प्रबोध मिंज :- Permanent Offline तो उधर हो गया है ।

श्री भूपेश बघेल :- यह ले-देकर बचे हैं । (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- नेता जी, ओला जहाज ले उतार के सीधा रिक्शा मा बईठारे हे ।

श्री भूपेश बघेल :- यह सब मार्गदर्शक मंडल में हैं ।

श्री अमर अग्रवाल :- आदरणीय, आपको तो कांग्रेस में वह स्थान भी नहीं दे रहे हैं । हमारा मार्गदर्शक में तो है, आपका तो वह स्थान भी नहीं है ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा लगा । कई सत्र बीतने के बाद अमर अग्रवाल आज बोल पड़े । (हंसी)

श्री कवासी लखमा :- हंस भी दिये । (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अंततः जैसे वह जोक है न, गूंगा बोल पड़ा ।

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- यह कैसे कहते हैं कि दर्दे दिल और दर्दे जिगर । (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- भई, वह ऐसा है कि अंधे की बीवी को लंगड़ा लेकर भाग गया और गूंगे ने देख लिया । अब बताये तो बताये कैसे ? (हंसी) तो सत्ताईस साल बाद यह खबर छपी थी कि गूंगा आखिर बोल पड़ा तो स्थिति अमर जी की यही है कि अंततः इस सत्र में जब से यह समवेत् हुआ है, वे पहली बार बोले हैं, अच्छा लगा। बोलना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय :- यह रजत जयंती वर्ष है । (हंसी) चलिये, आप अपनी बात रखिये ।

श्री भूपेश बघेल :- जी । माननीय अध्यक्ष महोदय, Online-Offline के चक्कर में पूरे किसान परेशान हैं । कहीं छोटे किसान परेशान हैं, कहीं बड़े किसान परेशान हैं। बड़े किसानों को टोकन 14 नवंबर

की खरीदी के बाद दिसंबर में देना शुरू किये। किसान आज चिंतित हैं कि सरकार धान खरीद पाएगी या नहीं खरीद पाएगी? क्योंकि आज एक महीने से ऊपर हो गया। अध्यक्ष महोदय, 14 नवंबर से आज 16 दिसंबर एक महीना हो गया। एक तिहाई धान खरीदी हुई है और एक तिहाई किसान ही धान बेच पाए हैं। अभी दो तिहाई किसानों को बेचना है और 160 लाख मीट्रिक टन में आपको दो तिहाई खरीदना है। अध्यक्ष महोदय, इस बीच में स्थिति ये है कि राइस मिलर का हड़ताल अलग चल रहा है। डाटा ऑपरेटर का हड़ताल अलग चल रहा है। परिवहन हो नहीं रहा है और इसके कारण से जितनी सोसाइटियां हैं, सब में धान जाम हो गया है। अध्यक्ष महोदय, जो बफर स्टॉक है उससे भी दो गुना, तीन गुना धान खरीदी केन्द्रों में रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे धान खरीदी केंद्र ऐसे हैं, मेरे विधान सभा में सांकरा एक सोसाइटी है, इसमें 9 दिसंबर से धान खरीदी बंद है। 19 दिसंबर की तारीख में तो बहुत सारे कबीरधाम जिला कहें, मोहला-मानपुर जिला कहें, महासमुंद जिला कहें, बालोद जिला कहें, चाहे बस्तर जिला कहें, गरियाबंद जिला कहें, कांकेर जिला कहें, कबीरधाम जिला कहें, सारे जिलों में आप देखें तो धान खरीदी ठप हो गया है। अध्यक्ष महोदय, धान उठाव हो नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में राइस मिलर अलग परेशान हैं। उसका पेमेंट हो नहीं रहा है, उसके यहां छापा पड़ा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- भूपेश बघेल जी, वे आपके कार्यकाल का दोनों साल पेमेंट मांग रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) आपने क्यों भुगतान नहीं किया था? आप मुझे यह तो बताइए।

श्री भूपेश बघेल :- भैया, सुनिए तो भाई।

श्री अजय चन्द्राकर :- अच्छा, दूसरा वे परेशान हैं कि उसमें 120 से 80 रूपया क्विंटल हो गया हो।

श्री भूपेश बघेल :- बहुत बढ़िया आपने कहा और अच्छी बात है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके समय का मांग रहे हैं। अभी का पैसा तो मांग ही नहीं रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- अजय जी, आपने याद दिलाया, उसके लिए धन्यवाद। क्योंकि वह लाइन मैं छोड़ रहा था, आपने याद दिला दिया। अध्यक्ष महोदय, राइस मिलर मुख्यमंत्री के पास गए। 80 रूपये में समझौता होता है, वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 का पुराने भुगतान भी देंगे। ट्रांसपोर्टिंग का जो रेट है, जो प्रति किलोमीटर है, उसको भी देना तय हुआ, लेकिन बाद में सरकार इससे मुकर गई। अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का है कि जो राइस मिलर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उसका वीडियो जारी हुआ। समाचार पत्रों में छपा और वे कहते हैं कि हम जायें तो जायें किसके पास? अध्यक्ष महोदय, ये सवाल इस बात का है कि सरकार में चलती किसकी है? मुख्यमंत्री की चलती है या हमारी हमारी प्रिय भौजी सुपर सी.एम. की चलती है या इधर में से किसकी चलती है? जो मुख्यमंत्री कहते हैं, उसके बाद भी आदेश का पालन न हो तो आखिर सरकार में चलती किसकी हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। अध्यक्ष महोदय, आज जो राइस मिल अध्यक्ष हैं, हमारे सांसद के प्रिय भतीजे का जो राइस मिल है, वहां भी छापा पड़ गया। (हंसी)

उसके पूरा कर्ताधर्ता गरियाबंद में उसके यहां छापा पड़ गया है। अध्यक्ष महोदय, आज स्थिति क्या है? कोई आवाज उठाए तो उसकी आवाज बंद करने के लिए उसके आसपास के लोगों के यहां छापा डाल दो। राइस मिलर से बात करनी थी, उस समस्या के निराकरण करना था, उसका एक रास्ता निकालना था। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार हकीकत में चाहती नहीं कि धान खरीदी करे। अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले दिनों सिमगा गया था। सिमगा में जिस दिन मैं गया था, 22,000 क्विंटल धान रखा गया था, बफर से भी दुगुना वहां धान रखा गया था और स्थिति यह है कि किसानों ने शिकायत की कि हमसे पैसा मांगा जा रहा है। मैंने पूछा किस बात की? वे बोले कि मॉइस्चर मशीन है, जिसमें 22 प्रतिशत से ज्यादा बता देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि धान उठाओ। किसान मॉइस्चर मशीन ले आए हैं तो उसमें 14 प्रतिशत, 15 प्रतिशत बता रहा है। भैया रुक।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक व्यवस्था का प्रश्न ले रहा हूं। आखिर भूपेश बघेल जी भाषण किस विषय में दे रहे हैं?

श्री भूपेश बघेल :- ग्राह्यता पर।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी तो ग्राह्यता पर या ग्राह्य हुआ है या नहीं, इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। आप अपनी बात रख रहे हैं या भाषण दे रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, ग्राह्यता पर ऐसा भाषण नहीं होता । आप इस पर व्यवस्था देंगे कि ग्राह्य हो गया या ग्राह्यता पर बात हो रही है । (व्यवधान)

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाए गए)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्यगण को मैं बताना चाहूंगा कि शून्यकाल की शुरूआत हुई, वे शून्यकाल में अपनी बात रख रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- यदि आपने शून्यकाल कहा तो शून्यकाल में किस विषय पर बात रख रहे हैं ? शून्यकाल में भाषण नहीं होता है ।

श्री लखेश्वर बघेल :- जब अध्यक्ष जी ने अनुमति दी है तो आपको क्या आपत्ति है ?

अध्यक्ष महोदय :- शन्यकाल में थोड़ा-थोड़ा समय सबको दूंगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप थोड़ा-थोड़ा समय दीजिए, आपकी व्यवस्था पर मुझे कुछ नहीं कहना है । लेकिन भूपेश बघेल जी का जो भाषण हो रहा है वह किस विषय पर हो रहा है ?

अध्यक्ष महोदय :- अब वे संक्षिप्त करेंगे ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, यहां किसानों की बातों को रखा जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, संक्षिप्त में कहिए । आपने अपना विषय रख दिया।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मैंने शून्यकाल में आपसे समय लिया था और आपने अनुमति दी । इनको क्यों तकलीफ हो रही है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मुझे तकलीफ नहीं है, मैंने तो प्रक्रिया के बारे में कहा है ।

श्री भूपेश बघेल :- मैं तो ऐसी कोई बात कह नहीं रहा हूं जिस पर आसंदी को आपत्ति हो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष जी, शून्यकाल में इतनी देर तक किसी विषय में भाषण नहीं होता है ।

अध्यक्ष महोदय :- बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है । भूपेश जी समाप्त करिये ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, आपका आदेश शिरोधार्य है । अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं । अध्यक्ष महोदय, सिमगा सोसायटी में मॉइस्चर के नाम से किसानों से पैसा वसूली की जा रही है । जैसे ही वे पैसा देते हैं तो उनका धान ले लेते हैं अन्यथा यह होता है कि आप धान घर ले जाओ और सुखाकर लाओ । किसान इतना काम कैसे करेगा, किसान हजार/पांच सौ रूपए दे देते हैं तो तुरंत ही 22 परसेंट का मॉइस्चर 17 परसेंट से नीचे आ जाता है । यह स्थिति है । आज पूरे प्रदेश में धान खरीदी की व्यवस्था चरमराई हुई है । भुगतान नहीं हो रहा है, किसान परेशान है, अन्नदाता परेशान है । अध्यक्ष महोदय, सरकार पर हमारा आरोप है कि यह सरकार धान खरीदना ही नहीं चाहती ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए समाप्त कीजिए और उमेश जी संक्षिप्त में अपनी बात रखिए ।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, हमने स्थगन दिया है, उस पर आपने अपनी बात रखने का मौका किया । शून्यकाल में ही मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में आरोप लगा है । यदि ग्राह्य होने के बाद आरोप लगे तो समझ में आता है, यदि उन्होंने कोई मोशन दिया है तो मोशन में कैसे आरोप लगाएंगे कि किसानों से पैसा मांगा जा रहा है, 500 रूपए मांगा जा रहा है, एक हजार रूपए मांगा जा रहा है ? या तो फिर वे दस्तावेज रखें । जब वह ग्राह्य नहीं हुआ है तो लगाया गया आरोप विलोपित होना चाहिए ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष जी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट, उमेश जी । यदि ग्राह्य हो गया है, चर्चा शुरू हो गई तो आरोप लगाएं तो समझ में आता है । अभी तो वे भाषण में आरोप लगा रहे हैं, सरकार के ऊपर किस आधार पर आरोप लग रहा है । कोई दस्तावेज नहीं, कोई बात नहीं, कोई विषय नहीं, शून्यकाल में बिना किसी नोटिस के आरोप लगा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- शून्यकाल में संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे ।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से धान खरीदी चल रही है, इस पर भूपेश बघेल जी ने विस्तार से विषय को रखा है । मैं यही कहूंगा कि शुरू से जिस तरह से आनावारी रिपोर्ट के नाम पर धान खरीदी को प्रभावित किया गया । पहले आनावारी रिपोर्ट में धान खरीदी जाएगी, किसान परेशान हुआ कि आनावारी रिपोर्ट क्यों ? कही पर पता चला कि किसी जिले का 17 क्विंटल है, किसी का 05

क्विंटल है, किसी का 10 क्विंटल है, सुकमा में तो दशमलव 8 क्विंटल है यानी 01 क्विंटल भी नहीं है । ऐसी बातें आईं, हमारे नेताओं के द्वारा स्टेटमेंट आया, उसके बाद सी.एम. साहब ने कहा, फिर से 21 क्विंटल में खरीदी होगी लेकिन किसान जब टोकन काटने जा रहा है तो उसे 21 क्विंटल के हिसाब से टोकन काटने नहीं दिया जा रहा है। उसमें बताया जा रहा है कि अभी सिर्फ तुम्हारा 26 किलो है...।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में सब धान पर ही बोलेंगे, अगर इनका स्थगन है तो ग्राह्यता पर ही चर्चा करा लीजिए न। छोटा सा सत्र है, काम बहुत है, कृपा करके आप स्थगन की ग्राह्यता पर ही चर्चा करा लीजिए ना। जो जिनको बोलना है, बोलने दीजिए।

श्री रामकुमार यादव :- सत्र ला दो दिन बढ़ा देओ न जी। ओमे का होत हे।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, उसी-उसी विषय पर डबल-डबल बात हो रही है। ग्राह्य करके, अग्राह्यता पर चर्चा करा लीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- इस झगड़े के जड़ में 120 रूपये और 80 रूपये का मामला है।

श्री अजय चंद्राकर :- वसूली नहीं हो रही है, वसूली होगी।

श्री उमेश पटेल :- वह भी बताएंगे, वह भी बताएंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल पर चर्चा हो रही है और जो विषय आप स्थगन पर लेकर आए हैं, यदि उसी विषय पर ग्राह्यता पर चर्चा हो जाए तो हम तैयार हैं।

श्री उमेश पटेल :- भैया, हम तो वही मांग कर रहे हैं। हम अपनी बात को रखते हुए अध्यक्ष जी से वही मांग कर रहे हैं कि हमारे पास ये-ये तथ्य है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, ग्राह्यता पर चर्चा करा लीजिए। साहब, यह एक बार होगा फिर ग्राह्यता पर चर्चा होगी तो क्या मतलब है ? बहुत छोटा सा सत्र है, आप हम लोगों को दूसरे कामों के लिए समय दिलवाईए।

(श्री कवासी लखमा, सदस्य द्वारा बैठे-बैठे कहने पर)

श्री धर्मजीत सिंह :- आप किसानों पर चर्चा करिए ना, हम विरोध थोड़ी कर रहे हैं। हम तो खुद ही आपकी बात कह रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी ग्राह्यता पर चर्चा कराने के लिए सहमत हैं तो आपसे अनुरोध है कि ग्राह्यता पर ही चर्चा करा लें, हम लोगों को मौका दें।

अध्यक्ष महोदय :- आप अपना भाषण शुरू रखिए और क्यों ग्राह्य किया जाए, ग्राह्यता पर आप अपनी बात रखिए।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, मैं वहीं पर आ रहा था। जिस तरह से एक वातावरण बनाया गया है कि दिखावे के लिए 21 क्विंटल की खरीदी है लेकिन टोकन में जिस तरीके से कमी की जा रही है। जिस तरीके से पूरी सोसायटी में बारदाने की कमी हो रही है, कहीं पर भी धान खरीदी पूरी तरीके चल नहीं रही है, अभी भी बंद है। मैं कहता हूं कि यहां पर हम लोग 90 सदस्य बैठे हैं, ऐसा कोई विधायक नहीं होगा जिसके क्षेत्र में पूरे के पूरे सोसायटी आजकल चल रही होंगी। आप भले ही पक्ष में हैं लेकिन आप भी अंदर से जानते हैं।

व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय :- माननीय उमेश जी, एक मिनट। चूंकि संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि ग्राह्यता पर चर्चा के लिए वे सहमत हैं तो अब मैं व्यवस्था देता हूं कि कार्यसूची के पद क्रमांक 9 पर चर्चा समाप्त होने के पश्चात् ग्राह्यता पर चर्चा रहेगी, अभी बाकी विषय पर काम हम आगे बढ़ाते हैं।

समय
12:28 बजे **सभापति तालिका की घोषणा**

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की नियमावली के नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन में निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिये नाम-निर्दिष्ट करता हूं :-

1. श्री विक्रय उसेण्डी
2. श्री धर्मजीत सिंह
3. सुश्री लता उसेण्डी
4. श्री लखेश्वर बघेल
5. श्री दलेश्वर साहू
6. श्री प्रबोध मिंज

समय
12:28 बजे **कार्यमंत्रणा समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन**

अध्यक्ष महोदय :- कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार दिनांक 16 दिसंबर, 2024 में लिये गये निर्णय अनुसार वित्तीय एवं विधायी कार्यों पर चर्चा के लिए उनके सम्मुख अंकित समय का निर्धारण करने की सिफारिश की गई है, जो इस प्रकार है :-

1. **वित्तीय कार्य**	**निर्धारित समय**
वित्तीय वर्ष 2024-2025 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान	3 घंटे

की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन विचार एवं पारण

2. शासकीय विधि विषयक कार्य

1.	छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2024	15 मिनट
2.	छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2024	30 मिनट
3.	छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024	30 मिनट
4.	छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2024	30 मिनट
5.	छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024	30 मिनट

अध्यक्ष महोदय :- अब इसके संबंध में श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि - सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- ध्यानाकर्षण सूचना। श्री अजय चंद्राकर, श्रीमती भावना बोहरा, श्रीमती अंबिका मरकाम । अजय चंद्राकर जी अपना ध्यानाकर्षण पढ़ेंगे।

समय :
12.31 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

(1) प्रदेश में जल जीवन मिशन योजना में अनियमितता किया जाना।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

प्रदेश में जल जीवन मिशन शुद्ध पेयजल प्रदाय करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गयी, किन्तु आज भी उद्देश्य के अनुरूप शुद्ध पेयजल घर-घर तक नहीं पहुंचाया जा सका। यदि औसतन देखें तो छत्तीसगढ़ में लगभग 4,000 से भी ज्यादा गांव स्त्रोतविहीन व अपर्याप्त स्त्रोत की श्रेणी में आते हैं। यदि सिर्फ धमतरी जिले के ही आंकड़ें देखें तो 16 गांव स्त्रोतविहीन हैं तथा 34 गांव अपर्याप्त स्त्रोतविहीन हैं। अर्थात लगभग 4,000 घरों में लगे नल कनेक्शन में पानी ही नहीं आता है। जिला सरगुजा में लगभग 500 ग्रामों में पानी के स्त्रोत नहीं हैं, जब स्त्रोत ही नहीं था तो अरबों रूपये व्यय

करके पाईप लाईन विस्तार व पानी टंकी का निर्माण कैसे कर दिया गया। इसके लिये न तो किसी के ऊपर जिम्मेदारी तय की गयी है और न ही किसी प्रकार की कार्रवाई की गयी है, यहां तक कि कोई भी वित्तीय एवं भौतिक स्थिति बताने को तैयार नहीं है, वहीं मल्टी विलेज स्कीम के लिये भी किसी प्रकार की कार्य योजना या विचार अब तक नहीं किया गया है। जिस योजना को वर्ष 2019 से वर्ष 2024 तक पूर्ण हो जाना चाहिये था, उसकी स्थिति यह है की आज 19,656 गांवों में से सिर्फ 3,448 गांवों में ही शत् प्रतिशत जल प्रदाय किया जा रहा है। आज भी लाखों घरों में जल प्रदाय तो दूर पाईप लाईन तक नहीं लगा पायें। वहीं राज्य के लगभग सभी जिलों में कई प्रकार की अनियमितताओं को रोकने के लिये कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही इनके द्वारा की गई अनियमितताओं पर किसी प्रकार की जांच की गयी है, जिसके कारण गुणवत्ताहीन कार्य चरम सीमा तक पहुंच गया है। आज कई क्षेत्रों में दैनिक दिनचर्या तक के लिये पानी की समस्या बनी हुई है, लेकिन शासन-प्रशासन की इच्छाशक्ति की कमी के कारण आज जलजीवन मिशन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। जिसके कारण प्रदेश की जनता में शासन एवं प्रशासन के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी) (श्री अरूण साव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा 15 अगस्त, 2019 से जल जीवन मिशन प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत प्रदेश में जल जीवन मिशन से घरेलू कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध जल प्रदाय करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई, किन्तु तत्कालीन राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश में जल जीवन मिशन योजना को प्रारंभ करने हेतु जो योजना बनाई गई थी, उसमें परिवर्तन होने के कारण तथा कोविड महामारी के कारण योजना के क्रियान्वयन में 02 वर्षों का विलम्ब हुआ। योजना का क्रियान्वयन वास्तविक रूप से मार्च, 2021 में प्रारंभ हुआ। इस प्रकार योजना के क्रियान्वयन के लिए भौतिक रूप से राज्य के पास मात्र 03 वर्ष की अवधि की उपलब्धता थी, जिसके कारण योजना के उद्देश्य के अनुरूप निर्धारित समय-सीमा में घरेलू कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल घर-घर तक नहीं पहुंचाया जा सका। तथापि विभाग द्वारा तत्परता से कार्य करते हुए अद्यतन तक प्रदेश के 19,656 ग्रामों में 50,03,951 ग्रामीण परिवारों में से 39,93,943 ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन प्रदाय किया गया है।

प्रदेश के अनेक जिलों की ग्रामों में पूर्व से उपलब्ध जिन नलकूप स्रोतों के आधार पर योजना का रूपांकन किया गया था, कालांतर में विभिन्न कारणों से उनकी जल आवक क्षमता प्रभावित हुई है। अतः ऐसी योजनाओं हेतु सफल नलकूप स्रोत विकसित करने की कार्रवाई लगातार की जा रही है एवं इसमें वांछित सफलता भी प्राप्त हुई है। धमतरी जिले में 289 नलकूपों का खनन कर 193 भू-जल स्रोत निर्मित किये गये। इसके अतिरिक्त धमतरी जिले में 02 समूह जल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से 76 ग्रामों में सतही स्रोत के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने की योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिससे

29,458 ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। जिला धमतरी के कुल 623 ग्रामों में से 258 ग्राम को ग्राम सभा के माध्यम से हर घर जल से प्रमाणित किये जा चुके हैं एवं शेष 365 ग्रामों में कार्य प्रगतिरत है। जिला सरगुजा के कुल 569 ग्रामों में से 21 ग्रामों को ग्राम सभा के माध्यम से हर घर जल प्रमाणित किये जा चुके हैं एवं शेष 359 ग्रामों में कार्य प्रगतिरत है। शेष 189 ग्रामों में सतही स्त्रोत के माध्यम से 04 समूह जल प्रदाय योजनाओं से 66,777 ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना क्रियान्वित की जा रही है। विगत 01 वर्ष में 489 नलकूपों का खनन कर 417 भू-जल के स्त्रोत निर्मित किए गए। इसके अतिरिक्त 14 नलकूपों को हाईड्रोफैक्चरिंग कर सफल किया गया।

भू-जल अल्पता एवं गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों के लिए प्रदेश में 70 समूह जल प्रदाय योजना तैयार कर क्रियान्वित की जा रही है, जिनमें 3,195 ग्राम सम्मिलित हैं, जिनसे 9,75,241 ग्रामीणों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जावेगा।

प्रदेश के 19,656 ग्रामों में से 4,722 ग्रामों में 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जिनमें से 2,209 ग्राम हर घर जल प्रमाणित है, जबकि 01 वर्ष पूर्व हर घर जल प्रमाणित ग्रामों की संख्या मात्र 771 था। प्रदेश के अनेक ग्रामों के भू-जल स्त्रोतों से जल आवक क्षमता में कमी होने के कारण नवीन स्त्रोत निर्माण किए जाने की कार्यवाही प्रगतिरत है। विगत 01 वर्ष में 3,438 नलकूपों का खनन कर 2,527 भू-जल के स्त्रोत निर्मित किए गए। इसके अतिरिक्त 735 नलकूपों को हाईड्रोफैक्चरिंग कर सफल किया गया। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने के कारण विभाग के 06 कार्यपालन अभियंताओं के विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही की गई है एवं 04 कार्यपालन अभियंताओं को कारण बताओ सूचना जारी किए गए हैं। अनुबंधित कार्यों में लापरवाही बरतने के लिए 2,918 ठेकेदारों को नोटिस जारी किए गए। ठेकेदारों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच उपरांत 72 ठेकेदारों के विरूद्ध ठेका निरस्त करने, ब्लैक लिस्ट करने जैसे कठोर कार्यवाही की गई। इसके अतिरिक्त गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु 2.45 लाख मीटर यू.पी.व्ही.सी. पाईप मानक गुणवत्ता नहीं होने के कारण अस्वीकृत कर ठेकेदारों को वापस किया गया एवं 04 पाईप निर्माताओं को डिबार किया गया। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत फर्जी दस्तावेज व गलत अनुभव प्रमाण-पत्र के आधार पर निविदा प्राप्त करने वाले 26 संस्थाओं को नोटिस जारी करने, ब्लैक लिस्ट करने जैसे कार्यवाही की गई है। सिविल निर्माण कार्यों के गुणवत्ता खराब होने के कारण 113 टंकी तोड़े गये, 634 नल चबूतरे तोड़े गये, 12 बाउण्ड्रीवाल पंप हाऊस तोड़े गये एवं 9,234 पाईप लाईन उखाड़कर बदले गये। इस प्रकार विभाग द्वारा निरंतर कार्यवाही करते हुए गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी सुनिश्चित की गई।

योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की जानकारी नियमित रूप से भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय की वेबसाईट पर अद्यतन की जाती है, जो आम जनता के लिए उपलब्ध है। सिविल

कार्यों की प्रगति के सापेक्ष ही नियमानुसार कार्य एजेंसी को भुगतान की कार्यवाही जिलों द्वारा की जा रही है। ठेकेदार द्वारा किए गए कार्यों का सत्यापन तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी, ग्राम पंचायतों एवं विभागीय अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। योजना में लगने वाली सामग्रियों का प्री-डिलीवरी एवं पोस्ट डिलीवरी निरीक्षण तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी जैसे-सीपेट, एस.जी.एस., आई.आर. क्लास इत्यादि के द्वारा किया जाता है। साथ ही निर्माण स्थल में प्राप्त सामग्रियों का मैदानी अभियंताओं द्वारा निरीक्षण किया जाता है। विभागीय प्रयोगशाला में स्थापित उपकरणों द्वारा भी पाईप की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। कार्यपालन अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता तथा राज्य स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा समय-समय पर कार्यों का निरीक्षण गुणवत्ता नियंत्रण हेतु किया जा रहा है।

प्रदेश के ग्रामों में स्थापित हैंड पम्प, स्थल जल एवं नल जल प्रदाय योजनाएं, सिंगल फेस पॉवर पम्प, सोलर ड्यूल पम्प योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को पेयजल की सतत् आपूर्ति की जा रही है तथा शासन द्वारा कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए की गई कार्यवाहियों के कारण जनता में राज्य सरकार के खिलाफ किसी प्रकार का रोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात दो-तीन पेज का उत्तर देने के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। इस पेज के उत्तर में ऐसी कोई बात नहीं है, जिसमें कोई commitment झलके। अध्यक्ष महोदय, आपका राजनांदगांव विधान सभा क्षेत्र भी पीड़ित है। मेरे पास भारत सरकार की वेबसाईट से लेकर राज्य सरकार की वेबसाईट के पूरे आंकड़े हैं। माननीय मंत्री जी, सबसे पहले मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि आपने मेरे उत्तर में जो लिखा है, पहले पैराग्राफ में ही उल्लेख है कि प्रदेश के 19,656 ग्रामों में 50,03,951 ग्रामीण परिवार में से 39,93,943 ग्रामीण परिवारों को घरेलू कनेक्शन दिया जा चुका है और आप एक जगह एक पैराग्राफ में लिखते हैं कि 19,656 ग्रामों में से 4,772 ग्रामों में 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुके हैं। अब आप यह बताईये कि 4,772 ग्रामों में नलों की संख्या कितनी है? इसमें तो आपका आंकड़ा ही गलत है। आप पूछ कर बाद में बता दीजिएगा। दोनों आंकड़े ही गलत हैं क्योंकि आप एक तरफ गांवों की संख्या, कनेक्शन की संख्या और इधर गांवों की संख्या बता रहे हैं, उसमें किसी सूरत में उतना कनेक्शन पूरा हो ही नहीं सकता। अधिकारी बैठे हैं, आप उनसे पूछ लीजिये। हम बाद में चर्चा कर लेंगे। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि पहले जल स्त्रोत देख कर ढांचा तैयार करने के बाद टंकी पाईप लाईन बनानी है या पहले पाईप लाईन टंकी बनाकर जल स्त्रोत विकसित करना है। दोनों में से भारत सरकार एवं राज्य सरकार के क्या नियम-निर्देश हैं?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन जिस बड़े उद्देश्य को लेकर बनाई गई थी। लोग वर्षों से पोखर का पानी, गंदा पानी पी रहे थे और जो बात माननीय वरिष्ठ सदस्य ने पूछा है। यह जो ग्रामों की संख्या है ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि उसको बाद में चर्चा करेंगे। मेरा बहुत छोटा-सा प्रश्न है कि पहले जल स्त्रोत विकसित होने के बाद पाईप लाईन टंकी बनानी है या पहले पाईप लाईन टंकी बनाकर जल स्त्रोत विकसित करना है। इसमें राज्य सरकार या भारत सरकार के क्या नियम-निर्देश हैं?

श्री रामकुमार यादव :- ये प्रश्न तो अंडा पहिली आईस के कुकरी पहिली आईस, ये बात हो गइस। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- तैं हर अभी जा के बइठ के नोट गिन।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में जल जीवन मिशन का जो क्रियान्वयन हुआ, कैसे क्रियान्वित हुआ, क्या-क्या क्रियान्वित हुआ, यह पूरा प्रदेश बखूबी जानता है और हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने उसे ठीक करने का, उस योजना के अनुरूप काम करने का लगातार प्रयास किया है। वास्तविकता यह है कि जब पहले क्रियान्वयन होना है तो पहले जल स्त्रोत निर्मित करना चाहिए, उसके बाद उसके काम को आगे बढ़ाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सामान्यत: यह होता है कि स्त्रोत में कमी हो तो पुन: स्त्रोत के निर्माण के लिये काम करना चाहिये । वास्तव में यही जो गड़बड़ियॉ थी, उसके लिये ही लगातार कार्यवाहियॉ हुई है...।

श्री अजय चन्द्राकर :- कार्यवाही में बाद में आयेंगे सर । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूँगा कि मैं बहुत छोटा प्रश्न पूछ रहा हूँ और छोटा उत्तर ही चाहिये, बड़ा प्रश्न ना पूछ रहा हूँ और ना उत्तर चाहिये ? अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, क्या भारत के जनजीवन में असर पड़ेगा ? भौतिक वित्तीय लक्ष्य, सब चीजें सब को मालूम है और अच्छा क्रियान्वित कर रहे हैं यह भी मालूम है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एकदम छोटा-छोटा प्रश्न पूछ रहा हूँ कि भारत सरकार के इस संबंध में क्या निर्देश हैं या राज्य शासन के क्या निर्देश हैं ? ढ़ांचा या टंकी पहले बनाई जायेगी या जल स्त्रोत पहले देखे जायेंगे ? आपने इसका उत्तर दिया नहीं है, ऐसे ही उत्तर दे दीजिए । अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है कि आप जो 19,556 गांवों में जल स्त्रोत बना रहे हैं, उसमें कितने प्रकरण ऐसे हैं, जिसमें पहले ढ़ांचा बना लिया गया और बाद में जल स्त्रोत खोजे जा रहे हैं ? ऐसे कितने प्रकरण हैं ।

श्री अरूण साव :- अध्यक्ष महोदय, आपके प्रश्न के उत्तर में बताया है कि पहले स्त्रोत का निर्माण होना चाहिये, फिर आगे का काम होना चाहिये और इन्हीं अनियमितताओं के कारण स्त्रोत मानकर ....।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने बता दिया, मैं संतुष्ट हो गया । अब दूसरा प्रश्न, इसी से को-रिलेटेड था कि ऐसे कितने प्रकरण हैं जिसमें बिना स्त्रोत के ढ़ांचा और टंकी बनाये गये ? आपने कहा है कि प्रदेश में मुख्य अभियंता, कार्यपालन अभियंता, अधीक्षण यंत्री निरीक्षण करते रहे हैं और समय-समय

पर जांच करवाई है । प्रदेश के 19,556 गांवों में ऐसे कितने प्रकरण आपके ध्यान में है जिसमें बिना स्त्रोत के ढ़ांचा तैयार किये गये हैं ?

श्री अरूण साव :- मैं आपको जिलेवार ऑंकड़े उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि हम लगातार यह कोशिश कर रहे हैं कि 100 प्रतिशत जिन गांवों में पानी पहुंचा सकते हैं, जहां पर स्त्रोत के लिये थोड़ी दिक्कत है, थोड़े प्रयास से स्त्रोत निर्मित हो सकते हैं, उसको फोकस करके कर रहे हैं और इसीलिए लगातार 100 प्रतिशत कंपलीट गांव वाले की संख्या लगातार बढ़ रही है । जैसा कि मैंने कहा है कि स्त्रोत के लिये लगातार नलकूप का खनन कर रहे हैं और लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि जिन स्थानों में स्त्रोत नहीं पाये गये हैं...।

अध्यक्ष महोदय :- छोटा प्रश्न कर लीजिए ?

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, नहीं । माननीय अध्यक्ष महोदय देखिये, मैं जिन बातों का प्रश्न कर रहा हूँ, उसमें उत्तर नहीं आ रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, ठीक है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूँ, मैं आपसे छोटा प्रश्न ही कर रहा हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- करिये, करिये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप भी उससे प्रभावित हैं ना, इसलिये आपसे ज्यादा संरक्षण चाह रहा हूँ ?

अध्यक्ष महोदय :- बिल्कुल संरक्षण है, मगर आपका तीसरा प्रश्न है ।

अजय चन्द्राकर :- आप मुझे वैसे ही उत्तर दिलवायेंगे तो ऐसे ही प्रश्न पूछ दूँगा । मैं आपके निर्देशों में बिल्कुल व्यतिक्रम नहीं करता ।

अध्यक्ष महोदय :- करिये, करिये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं विषय से एक लाईन के लिये हटता हूँ । जब यह क्लियर नहीं होगा कि कितने गांवों में ढ़ांचा बिना स्त्रोत के तैयार किये गये, मुझे आंकड़ा नहीं चाहिये । आपके पास आंकड़े हैं और सारे लोग बैठे हैं तो उसके बगैर वित्तीय स्थिति नहीं आयेगी और पर्याप्त पानी की व्यवस्था नहीं होगी । यदि नलकूप खनन से जल स्त्रोत की स्थायी या अस्थायी व्यवस्था हो गयी या पर्याप्त या अपर्याप्त व्यवस्था हो गयी तो कितने गांवों में अपर्याप्त व्यवस्था है ? अब इसी भाषण की शैली में मुझे प्रश्न पूछना पड़ेगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, एक, दो या तीन की गिनती होगी, मैं आपसे संरक्षण चाहते हुये यह जानना चाहता हूँ कि पूरे जल स्त्रोत विकसित करने में कितने वित्तीय संसाधन की जरूरत पड़ेगी ? मैं इसलिये पूछ रहा हूँ कि समयावधि समाप्त हो चुकी है, मैं अगला प्रश्न यह पूछने वाला हूँ कि भारत सरकार ने आपको एक्सटेंशन दिया है क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- अगला पिछला नहीं, एक बार पूरा पूछ लो । (हंसी) पूछ लीजिए, फिर बता देंगे । आखिरी प्रश्न कीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, मैं आपसे फिर चाहूँगा कि कितने गांव है जो जल स्त्रोत विहीन है और अपर्याप्त स्त्रोत हैं ? इसे पूरा करने के लिये आपके पास वित्तीय संसाधन कितने हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- जवाब तो सुनिये । बैठिये ।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि कितने स्थानों पर टंकी बन गई है, जल का स्त्रोत नहीं है, आपको इसकी जिलेवार जानकारी उपलब्ध कराऊंगा और मैं आपसे वही बार-बार कह रहा हूँ कि जहां पर जल स्त्रोत नहीं है, टंकी बन गई है और नल के कनेक्शन भी हो गए हैं। हमारा विभाग उस पर पूरी ताकत लगाकर काम रहा है कि जल स्त्रोत की व्यवस्था कैसे होगी ? हम लगातार ट्यूबवेल भी खोद रहे हैं । कई बार ऐसा हुआ है कि जब प्रोजेक्ट बना होगा, जल का स्त्रोत था, 4-5 साल में जल स्त्रोतों में कमी आई होगी, ऐसी भी परिस्थितियां हैं । इसलिए मैं आपको बताऊं कि 994 टंकी हैं, किन्तु अब उस पर स्त्रोत के निर्माण की दिशा में हम काम कर रहे हैं । यह काम लगातार हो रहा है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप प्रयास कर रहे हैं, आपको साधुवाद । योजना की अवधि समाप्त हो चुकी है । जितने गांव हैं, वहां आपको जल स्त्रोत विकसित करने हैं । क्या आपको भारत सरकार ने योजना का एक्सटेंशन दे दिया है क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी है कि 50-50 प्रतिशत वित्त पोषित है । भारत सरकार ने क्या आपको एक्सटेंशन दे दिया है ? और यदि नहीं दिया है तो आपके पास कितना बजट है ? आपकी वित्त व्यवस्था क्या है कि आप शत-प्रतिशत गांव में जल स्त्रोत बना सकते हैं ।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय चन्द्राकर जी वरिष्ठ सदस्य हैं, सरकार भी उनकी चिन्ता से पूरी तरह से वाकिफ है ।

अध्यक्ष महोदय :- सरकार आपकी चिन्ता कर रही है । आप बैठिए न ।

श्री अरूण साव :- मैं आपसे यह कह रहा हूं कि हर स्तर पर जाकर इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है । इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं । यह प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना है, इस योजना को उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप पूरा कर पाएं, इस दिशा में लगातार काम हो रहे हैं और बहुत सफलताएं भी मिल रही हैं । जैसा कि मैंने बताया कि जब हमारी सरकार बनी तो केवल 771 गांव में जल प्रमाणित हुए । आज 2209 गांवों का प्रमाणीकरण हो गया है मतलब उन गांवों में आम सभा में स्वीकार किया गया कि गांव में 100 प्रतिशत पानी आ रहा है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आरोप नहीं लगाना चाहता, बहुत आसानी से प्रश्न पूछ रहा हूं । आपने उत्तर सुना है कि योजना की कार्यवधि समाप्त हो गई और 2209 गांव

तक यह पहुंचे । मंत्री जी ने बजट की स्थिति नहीं बताई, केन्द्र सरकार ने एक्सटेंशन दिया है या नहीं दिया है, यह नहीं बताया । अब मैं अंतिम प्रश्न कर लेता हूं । अध्यक्ष महोदय, आपके विवेक पर, आपने जो व्यवस्था दी, उस पर मैं विश्वास करता हूं । माननीय मंत्री जी, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि धमतरी जिले में आपने समूह नल योजना, (मंत्री जी द्वारा किताब देखने पर) वे मुझसे ज्यादा नियम नहीं जानते, जितनी भी किताब रखेंगे, तब भी ।

श्री रामकुमार यादव :- चन्द्राकर जी स्वयं न्याय के मूर्ति हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, अब मैं धमतरी जिले का प्रश्न पूछ लेता हूं, जिसमें आपने अपर्याप्त जगह में पानी का स्त्रोत विकसित किया है या जिसमें स्त्रोत नहीं हैं, उसमें आपने स्त्रोत विकसित किया है । माननीय मंत्री जी, प्रश्न नम्बर एक-क्या मेरे सामने उस गांव में जांच कराएंगे कि उस गांव में शत-प्रतिशत स्त्रोत विकसित हुए हैं, गांव का नाम आप ही बताएंगे, मेरे सामने जांच कराएंगे क्या ? दूसरा, दो समूह योजनाएं कौन सी चल रही हैं और वह कितने प्रतिशत पूरी हैं ?

श्री अरूण साव :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं जानकारी देना चाहूंगा कि अभी यह स्कीम दिसम्बर, 2024 तक है, समाप्त नहीं हुई है । दूसरा, अभी धमतरी जिले में दो समूह जल योजना स्वीकृत है-सांकरा समूह जल प्रदाय योजना और घटूला समूह जल प्रदाय योजना, जो विकासखण्ड नगरी में है । सांकरा समूह जल प्रदाय योजना में 40 गांव और घटूला में 36 गांव सम्मिलित हैं । सांकरा समूह जल प्रदाय योजना का काम लगभग 40 प्रतिशत हुआ है और घटूला समूह प्रदाय योजना का काम 25 प्रतिशत पूरा हुआ है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, धमतरी में जहां आपने जल स्त्रोत विकसित किया है, वहां मेरे सामने जांच कराएंगे क्या ? आपने धमतरी जिले में जिन गांवों में पर्याप्त या अपर्याप्त जल स्त्रोत विकसित किया हैं, जहां जल स्त्रोत नहीं था। उसकी जांच मेरे सामने कराएंगे क्या, वहां पानी मिल रहा है क्या ?

श्री अरूण साव :- अध्यक्ष महोदय, मैंने जानकारी दी है, मेरी जानकारी गलत हो तो मुझे संज्ञान लेना है । जिस अधिकारी ने गलत जानकारी दी है तो उस पर निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होगी ।

अध्यक्ष महोदय :- पर्याप्त प्रश्न हो गए । भावना जी, एक प्रश्न करिए ।

श्रीमती भावना बोहरा :- अध्यक्ष जी, मेरा सवाल सिर्फ दो लाईनों का है। पहला विषय तो यह है कि यदि मैं पंडरिया विधान सभा और कबीरधाम जिले की ही बात करूं, तो वहॉं पर अभी एक प्रेस कॉफ्रेंस ली गयी थी, मैं इसे बस संज्ञान में डालना चाहती हूं कि वहॉं जो प्रेस कॉफ्रेंस ली गई थी, उस प्रेस कॉफ्रेस में जिला कलेक्टर के द्वारा जो विषय दिया गया था, उसमें कहा गया था कि लगभग 959 गांवों में से 506 गांवों में जल प्रदाय का कार्य प्रारंभ हो गया है। यह विषय प्रेस कॉफ्रेंस में लिया गया है, जो कि

मीडिया और प्रिंट मीडिया में आया भी है और उसमें लगभग 82 प्रतिशत काम पूर्ण हो गया है, यह विषय भी आया है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, वह वहां पर बहुत अलग हैं। ग्राम पंचायतों के सरपंच संघ ने भी उसमें आवेदन दिया था कि बहुत सारे गांव, जिनके ठेकेदारों को एन.ओ.सी. मिल गई है, उनके काम पूर्ण नहीं हैं, जिस पर वहॉ से अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। मेरा बस यही निवेदन है कि इसकी एक बार जांच कराई जाए कि क्या वाकई में जिला कलेक्टर के माध्यम से जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी, उसके आंकड़े सही हैं, जिसमें कि 960 गांवों में से 506 गांवों में कम्प्लीट बताया गया है और जो रिपोर्ट पंचायतों के जनप्रतिनिधियों से आ रही है, उनकी जानकारी है कि सारे जगह काम अधूरे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- जांच करा लेंगे, बोल दीजिए।

श्री अरुण साव :- आप स्पेशिफिक जानकारी देंगी, निश्चित रूप से जांच करा लेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- इसमें मेरा भी नाम है।

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठिए तो।

श्री धर्मजीत सिंह :- नाम मैं दिया हूं। आप अनुमति दे दीजिए, मेरा ध्यानाकर्षण इस पर लगा है।

अध्यक्ष महोदय :- इसमें नहीं है। इस ध्यानाकर्षण पर जिक्र नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- नाम तो केवल तीन ही लोगों का छपता है ना।

श्री धर्मजीत सिंह :- एक प्रश्न पूछ लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- पहले अंबिका जी का प्रश्न आने दीजिए, उनका नाम है।

श्रीमती अंबिका मरकाम (सिहावा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से यह कहना है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो काम हुए हैं, वहॉ कहीं पर पाईप लाईन पहले बिछा दी गई या कहीं पर टंकी पहले बना दी गई और वहॉ जल स्रोत नहीं है। यही प्रश्न मेरा भी है और अभी मैं सुन रही थी, जो मेरे ही विधान सभा क्षेत्र का गांव घटला और साकरा है लेकिन साकरा से ही लगे हुए हिंछापुर में पानी नहीं पहुंच रहा है, तो इस पर क्या कार्रवाई करेंगे और जितने नहीं बने हैं, उन्हें कब तक बनायेंगे?

श्री अरुण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या के विधान सभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 324 गांवों की 370 योजनाएं हैं, जिसमें से 110 गांवों में हर घर जल प्रमाणीकृत हो गया है और 214 काम प्रगतिरत है। अभी योजना का काम लगातार प्रगतिरत है एवं जहॉ पर कमी होगी, निश्चित रूप से उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन के तहत...

अध्यक्ष महोदय :- आपका एक प्रश्न हो गया। बाकी मंत्री जी को लिखकर दे दीजिए। धर्मजीत सिंह जी, आप छोटा सा प्रश्न कीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं किसी आंकड़े के बारे में नहीं पूछूंगा। मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि जहां पानी टंकी बन चुकी है, जहॉ पाइप लाइन का विस्तार हो चुका है और जल स्रोत नहीं है, चाहे वह किसी भी सरकार के समय का हो, आखिर इसका उपयोग क्या होगा? वहॉ पर जल कैसे पहुंचेगा? इसके लिए आपके पास कोई प्लान है या उसमें आप सदन को आश्वस्त करना चाहेंगे कि वहॉ पर जल पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा, यदि वहॉ न मिले तो आजू-बाजू से लाकर के करेंगे ? मेरा दूसरा प्रश्न जिसका आप इसी के साथ जवाब दे दीजिएगा कि पाइप लाइन के विस्तार में पूरे गांव की गलियों को खोद डाला गया है और ठेकेदार उसे बना भी नहीं रहे हैं। इस बात को मैं कई बार इस सदन में भी बोला हूं। आज भी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह आग्रह कर रहा हूं, पूछ भी रहा हूं कि जिन गांवों में ठेकेदारों ने गलियों को खोद दिया, जिससे वे कीचड़ में रहने को मजबूर हैं और सरकार द्वारा पहले से बना हुआ जो सीसी रोड था, वह टूट गया है, तो आप क्या अपने विभाग की तरफ से उन स्थानों को बनवायेंगे, जिन स्थानों को पाइप लाईन के विस्तार के लिए खोदा गया था? आप सदन को आश्वस्त कर दीजिए कि जहां पर टंकी बन गई है, पाइप लाइन बिछ गई है, वहां पानी पहुंचाने के लिए आप सरकार की तरफ से व्यवस्था करेंगे?

श्री अरुण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने विस्तृत उत्तर में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि नए जल स्रोत तैयार करने का काम लगातार हमारी जल जीवन मिशन योजना में हो रहा है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल स्रोत विकसित करें, जल लाने का काम करें और इस दिशा में लगातार प्रयत्न हो रहा है।

समय:
1.00 बजे

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी कोशिश है कि हम जल स्त्रोत विकसित करने के लिये किसी भी तरह से उस योजना को पूरा करें। आपने सड़कों के लिये जो बात कही है तो यह स्पष्ट रूप से ठेकेदार की कंडीशंस में है। यदि ठेकेदार उसे नहीं करेगा तो हम उस पर ठोस कार्रवाई करेंगे और उसको बाध्य करेंगे कि वह उसको यथावत करे अन्यथा विभाग उसको करायेगा।

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भारत सरकार और राज्य सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें बहुत विस्तार से प्रश्न भी आ गये और मंत्री जी ने बहुत विस्तार से उत्तर भी दे दिया। इसका बजट कितना है और अभी तक जो काम हुए हैं, वह कितनी राशि का है ? इसमें कितना भुगतान हो गया है और जो बचे हुए कार्य हैं, उसमें कितनी राशि की आवश्यकता होगी और उसकी व्यवस्था किस प्रकार से होगी ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूंजीगत मद के कार्य बजट के प्रावधान की वित्तीय स्थिति 4668.11 करोड़ रूपए है। इसके अंतर्गत पूंजीगत व्यय 1496.95 करोड़ रूपए है। पूंजीगत व्यय

32.7 प्रतिशत है और राजस्व मद के अंतर्गत व्यय 50 प्रतिशत है। इसमें कुल 5047.63 करोड़ रूपए के बजट का प्रावधान है और अभी तक जो कुल व्यय हुआ है, वह 1688.89 करोड़ रूपए है। कुल व्यय 33.46 प्रतिशत है। इसमें जो कुल बजट था, वह 26,000 करोड़ रूपए का था।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मैंने इसी में सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछा था।

अध्यक्ष महोदय :- आपने जो पूछा था, उसका जवाब आ गया।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था कि जो बचत कार्य है, आप उसकी राशि की व्यवस्था किस प्रकार से करेंगे। उसका उत्तर नहीं आया। आप 26,000 करोड़ रूपये का बजट बता रहे हैं, जिसमें 5000 करोड़ रूपये स्वीकृत हुए और आपने 1000 करोड़ रूपये पेमेंट किया, तो मैंने यह सवाल पूछा था कि बचत राशि की व्यवस्था किस प्रकार से होगी ? क्योंकि अभी सप्लीमेंट्री बजट प्रस्तुत होगा। मुझे बस इतना ही पूछना है कि आपने इसमें क्या व्यवस्था की है ?

श्री अरूण साव :- अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमें केंद्र सरकार से भी मदद मिल रही है और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि योजना का क्रियान्वयन शत् प्रतिशत हो।

(2) प्रदेश में बारदाना खरीदी में अनियमितता.

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यान आकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है:-

समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए क्रय किये गये जूट बारदानों की गुणवत्ता की भलीभांति जांच कराए बिना ही खरीदी केन्द्रों को जानबूझकर आपूर्ति कर दी गई है। 5 दिसम्बर, 2024 को मैंने जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के धान खरीदी केंद्र तरेंगा का निरीक्षण किया था। इस धान खरीदी केंद्र पर जो जूट का नया बारदाना उपयोग में लाया जा रहा था, उनमें से अनेक का वजन करवाने पर यह पाया गया कि किसी भी बारदाने का वजन 480 ग्राम से अधिक नहीं था। भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नये जूट बारदानों का औसत न्यूनतम वजन 580 ग्राम होना चाहिए, इस वजन में विचलन +8% एवं -6% मान्य है। अर्थात् 626 ग्राम से अधिक वजन वाले तथा 545 ग्राम से कम वजन वाले बारदाने अमानक माने जाएंगे और अमानक बारदानों का उपयोग धान अथवा चावल के लिए कदापि नहीं किया जा सकता। धान खरीदी केन्द्र, तरेंगा में जिन बारदानों का वजन कम पाया गया, वे सभी श्री गौरी शंकर जूट मिल, पश्चिम बंगाल द्वारा निर्मित किये गये थे। इस मिल के बारदाने अन्य अनेक धान खरीदी केन्द्रों पर भी भेजे गये होंगे। यह आश्चर्यजनक है कि सभी स्तरों पर गुणवत्ता जांच में बारदानों के अमानक होने के तथ्य की घोर उपेक्षा की जाती रही। यह बहुत गंभीर मामला है। बारदानों के कम वजन के कारण किसानों का धान भी अधिक लिया जा रहा है। चालू वर्ष के लिए 17 करोड़ से अधिक की

संख्या में भारत सरकार के माध्यम से नये जूट बारदाने क्रय किये जा रहे हैं, जिनका मूल्य लगभग एक हजार करोड़ रूपये होता है। पूरे प्रदेश से प्राप्त जानकारियों के अनुसार अन्य अनेक धान खरीदी केन्द्रों पर भी नये बारदानों का वजन न्यूनतम औसत वजन से कम का रहा है, जो विभिन्न जूट मिलों से क्रय किये गये हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जूट बारदाना खरीदी में भारी अनियमितता की जा रही है। इसीलिए न तो भारत सरकार के जूट कमिश्नर के स्तर पर बारदानों के डिस्पैच के पूर्व सही ढंग से गुणवत्ता की जांच की जा रही है और न ही राज्य में बारदाना प्राप्ति के उपरान्त रैक पाईंट पर और धान खरीदी केन्द्र स्तर पर सही जांच की जा रही है। इस प्रकार निजी जूट मिलों को भी एक बड़ा आर्थिक लाभ पहुंचाया जा रहा हैं और हमारे किसानों का शोषण किया जा रहा है। खाद्य विभाग और सहकारिता विभाग को चाहिए कि पूरे प्रदेश में नये जूट बारदानों की गुणवत्ता की जांच कराई जाए और अमानक बारदानों का उपयोग करना तत्काल बन्द कराया जाए। अमानक बारदानों का उपयोग कर लिए जाने के पश्चात् उसके संबंध में कोई भी कार्यवाही औचित्यहीन हो जाती है। अमानक बारदानों के कारण प्रदेश के किसानों में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

समय
1.06 बजे **(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)**

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री (श्री दयाल दास बघेल) :- माननीय सभापति महोदय, यह कहना सही नहीं है कि समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए क्रय किए गए जूट बारदानों की गुणवत्ता की भलीभांति जांच कराए बिना ही खरीदी केन्द्रों को जानबूझकर आपूर्ति कर दी गई है। वस्तुस्थिति यह है कि भारत सरकार द्वारा नये जूट बारदानों की आपूर्ति हेतु जारी आवंटन अनुसार राज्य सरकार द्वारा जूट कमिश्नर कोलकाता को बारदाना आपूर्ति हेतु इण्डेंट जारी किया जाता है। जूट कमिश्नर कोलकाता को इण्डेंट जारी किये जाने के पश्चात् जूट कमिश्नर कोलकाता द्वारा प्रोडक्शन कम सप्लाई ऑर्डर जूट मिलों को जारी किया जाता है। जूट मिलों द्वारा बारदाना उत्पादन के पश्चात् जूट कमिश्नर कोलकाता के इम्पैनल्ड इंसपेक्शन एजेंसी के माध्यम से भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप बारदानों की गुणवत्ता जांच के पश्चात् ही बारदाना संबंधित राज्यों को भेजा जाता है। राज्य में बारदाना प्राप्त होने के पश्चात् कलेक्टर द्वारा नामांकित प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी द्वारा विपणन संघ के गोदामों में प्राप्त बारदानों का रेण्डम आधार पर पुन: परीक्षण किया जाता है। इसके उपरांत ही मानक बारदानों को धान खरीदी हेतु उपार्जन केन्द्रों को भेजा जाता है एवं उक्त जांच में पाये गये अमानक बारदानों हेतु जूट कमिश्नर कोलकाता को क्लेम किया जाता है। यदि विपणन संघ द्वारा भेजे गये नये जूट बारदानें में से कुछ बारदानें उपार्जन केन्द्र स्तर पर अमानक पाये जाते हैं तो उसे भी जूट कमिश्नर कोलकाता को क्लेम किया जाता है।

यह कहना सही है कि नये जूट बारदानों का औसत न्यूनतम वजन 580 ग्राम होना चाहिए, इस वजन में विचलन- 6% एवं + 8% मान्य है अर्थात् 545 ग्राम से तथा 626 ग्राम तक वजन वाले बारदाने मानक माने जाते हैं, यह वजन 22 प्रतिशत नमी के साथ है। किन्तु कालान्तर में मौसम के साथ नमी में कमी/वृद्धि होती है तो बारदाने के वजन में कमी या वृद्धि हो सकती है, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप है। तरेंगा समिति में फर्म श्री गौरीशंकर जूट मिल प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त बारदानों के वजन के संबंध में शिकायत प्राप्त होने के उपरांत जिला प्रशासन बलौदाबाजार द्वारा जूट मिल से प्राप्त बारदानों की 13 दिसंबर 2024 को जांच कराई गई। जांच में बारदानों के वजन के संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई तथा बारदाने निर्धारित गुणवत्ता के मापदण्ड अनुसार प्राप्त हुए हैं। बलौदाबाजार जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में जूट कमिश्नर के माध्यम से गौरीशंकर जूट मिल का कुल 520 गठान नया जूट बारदाना प्राप्त हुआ है, जिसमें से 18 उपार्जन केन्द्रों में 280 गठान नया जूट बारदाना धान उपार्जन हेतु प्रदाय किया गया है।

छत्तीसगढ़ सहकारी विपणन संघ से बोरो के वजन में कमी आने पर किये जाने वाली कार्यवाही के संबंध में सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि वजन निर्धारित मापदण्ड से कम/अधिक पाये जाने पर धान उपार्जन में उपयोग से पृथक करते हुए जूट कमिश्नर कोलकाता को क्लेम हेतु कार्यवाही किया जावे। यह सतत प्रचलित प्रक्रिया है।

यह कहना सही नहीं है कि सभी स्तरों पर गुणवत्ता जांच में बारदानों के अमानक होने के तथ्य की घोर उपेक्षा की जाती रही है अपितु बारदानों के दो चरणों में गुणवत्ता का परीक्षण किया जा रहा है एवं परीक्षण के उपरांत यदि कहीं बारदानें अमानक पाये जाते हैं तो जूट कमिश्नर को क्लेम संबंधी आवश्यक कार्यवाही किया जाता है। राज्य शासन द्वारा मानक बोरों में ही 40 किलोग्राम प्रति बोरा के मान से किसानों से धान खरीदी हेतु निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अनुसार खरीदी की जा रही है।

खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में भारत सरकार द्वारा आबंटित कुल 4.02 लाख गठान नये जूट बारदानें जूट कमिश्नर कोलकाता के माध्यम से क्रय किया जाना है, उक्त हेतु जूट कमिश्नर कोलकाता को कुल 1343.02 करोड़ रुपये की राशि अंतरण की गई है। कुल 4.02 लाख गठान बारदानें का इण्डेंट जारी किया जा चुका है। अब तक कुल 3.65 लाख गठान बारदाने प्राप्त हो चुके हैं।

अत: यह कहना सही नहीं है कि निजी जूट मिलों को फायदा पहुंचाकर किसानों का शोषण किया जा रहा है। यह स्पष्ट है कि बारदानों की गुणवत्ता जांच के लिए निर्धारित मानक प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। प्रदेश के किसानों से वास्तविक वजन के अनुसार धान क्रय किया जा रहा है एवं किसानों में किसी प्रकार का आक्रोश व्याप्त नहीं है।

डॉ. चरणदास महंत :- आदरणीय सभापति जी, हमारे मंत्री जी किसान हैं, आप हैं या नहीं महाराज? आप हैं न। एक बोरे का वजन 580 ग्राम होना चाहिए और जो बोरा वहां मिल रहा है वह 480

ग्राम का है। एक बोरा मा धान भराही ता कय ग्राम के कमी या ज्यादा होती, तेला बता दो। किसान के 1 बोरा मा 100 ग्राम ज्यादा जाही कि नई जाही, नुकसान होवय या नई होवय? क्विंटल में कतका नुकसान होत होही। तैं कब जांच करा डारे? अभी ओला बुलवाकर, सभापति महोदय, मैं अभी कह रहा हूं, मैं जिस केन्द्र में गया था, वहां से 25-40 बोरों का गठान मंगा लीजिए और नाप लीजिए कि 480 ग्राम या 580 ग्राम है? माननीय मंत्री जी, मेरा यह कहना है कि हर किसान के एक बोरा मा 100 ग्राम ज्यादा तौलाई होथे। ओकर भरपाई तो सरकार करय नई। तोला हमला करना नई हे तो मरिही कौन? किसान मरिही कि नई मरिही? पिछले बार का होय रहिस हे, का होये है, मैं नई जानव।

श्री राजेश मूणत :- पिछली बार कुछ हुआ, आप स्वीकार कर लिये न?

डॉ. चरणदास मंहत :- आपको बता रहा हूं, स्वीकार नहीं कर रहा हूं। मैं पिछली बार की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे ये करते हैं। महाराज, मैं तो अभी यह बोल रहा हूं कि जब आप ला बताये जात हे कि यह बोरा अमानक है, किसान ला 100-100 ग्राम के नुकसान होत हे ता ओ बोरा ला तें वहां नापे बर झन भेज । अगर तें नहीं भेजे हस, तोर अधिकारी भेजे हे ता पता करके ओमन के ऊपर का कार्यवाही कर सकत हस ओतका कर अउ नहीं कर सकत हस ता मोला बता दे कि का ये पूरा कार्यवाही बर कि कहां-कहां बोरा के जांच होए हे, कहां नइ होए हे, कौन करे हे, नइ करे हे, एक विधायक दल के समिति बना दिये जाये अउ आज जांच करे बर चले जायें । बबा, मैं तोला आरोप तो लगात नइ हंओं ।

सभापति महोदय :- आप 2-3 प्रश्न पूछ लीजिए न ।

डॉ. चरणदास महंत :- सभापति महोदय, मैं यह पूछ रहा हूं कि अनेक केंद्रों में तमाम् अमानक बोरों पर भराई हुई है तो क्या इसके लिये विधायक दल की बैठक बुलाकर, एक विधायक दल की समिति बनाकर जांच कराएंगे ? सभापति जी, मेरा बहुत संक्षिप्त प्रश्न है । इस प्रश्न का उत्तर भी संक्षिप्त हो सकता है और इससे असली का असली, दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा ।

सभापति महोदय :- मंत्री जी बोलिए ।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, तरेंगा धान-खरीदी केंद्र में माननीय नेता जी गए थे । वहां मैंने जिला स्तर के अधिकारी को भेजकर जांच करायी है और जांच में कोई अमानक बारदाना प्राप्त नहीं हुआ है और यह बारदाना जूट मिल में कमिश्नर की agency द्वारा उसका गुणवत्ता परीक्षण करके भेजते हैं और जिले में जिला स्तरीय समिति है । वह भी इस बारदाने के संबंध में गुणवत्ता जांच करते हैं । माननीय सभापति महोदय जी, जैसा नेताजी कह रहे हैं वैसा नहीं है। बारदाना जो आता है, बहुत मात्रा में बारदाना आता है और इसमें कुछ जो नमी है, नमी का भी उसमें आंकलन करके उसमें कम-ज़्यादा करते हैं उसके आधार पर जो बारदाने का वज़न है, वह जो होना चाहिए, 545 ग्राम आ रहा है ।

डॉ. चरणदास महंत :- सभापति महोदय, मेरे ख्याल से 17 करोड़ बारदाने की ज़रूरत पड़ती है और हम लोग जूट कमिश्नर से मंगवाते हैं । जूट कमिश्नर अपना जो हिसाब-किताब करता होगा, वह यहां भेजता है । मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, आपको संकेत दे रहा हूं कि यहां से वहां आता है, वहां से यहां आता है। यहां जो अधिकारियों का group बना है, वह उसको ठप्पा लगाता है, सही करता है, हिसाब करता है, किताब करता है वह मुझे नहीं मालूम मगर उसको विपणन केंद्र में भेज दिया जाता है । जवाबदारी तो विपणन केंद्रों की भी है जहां खरीदी केंद्र है कि वह भी तौल लें लेकिन तौलते नहीं हैं । हम तो गए थे तो पहले बोले भैया बोरा तोला के दिखा दें । बोरा तौलाए तो 480 ग्राम मिला । मुझे इसमें कोई शौक थोड़ी है कि किसी बोरे वाले को करूं या कोई गौरीशंकर है उसको मैं नहीं जानता । यह अमानक बोरे पूरे प्रदेश में कब से चल रहे हैं, यह मैं नहीं जानता लेकिन आज की स्थिति में हमारे यहां अमानक बोरों से खरीदी जारी है जिसमें प्रति बोरा 100 ग्राम किसान को नुकसान हो रहा है, यह गंभीर बात है । मैं तो इतना ही पूछ रहा हूं कि क्या आप इसकी जांच कराएंगे ?

सभापति महोदय :- मंत्री जी, बोलिए ।

डॉ. चरणदास महंत :- सभापति महोदय, विधायक दल की बैठक बुला लें । विधायक दल को बुला लें, विधायकों की committee बना दें, कुछ भी कर लें, जांच तो करा लें ।

सभापति महोदय :- मंत्री जी बताइए ।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, यह 480 ग्राम वज़न का बोरा चूंकि साढ़े 5 परसेंट नमी होता है और इसका आंकलन कर लें तो 545 ग्राम आता है । माननीय नेताजी, इसमें नमी होती है, बोरा में आता है और चार-छह महीने पहले बोरा की खरीदी होती है । इसमें नमी को जोड़कर देखेंगे तो 545 ग्राम निकल रहा है ।

सभापति महोदय :- नहीं वह तो पढ़ लिए । उनका जो प्रश्न है कि आप कोई जांच कराएंगे क्या ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं तो स्पष्ट बता रहा हूं कि उसकी आवश्यकता नहीं है।

डॉ. चरणदास महंत :- सभापति महोदय, उसमें 22 प्रतिशत तक नमी होता है। बोरा में नमी नहीं होगा तो बोरा टूट जाएगा, फट जाएगा। धान के लायक नहीं रहेगा। इसलिए वे नमी के साथ ही खरीदते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि बोरा यहां आने के बाद 580 ग्राम होना चाहिए, जो नहीं है। अब जांच नहीं कराएंगे, उसका मैं तो कुछ कह नहीं सकता। इसमें तो पूरा यहां से वहां तक भ्रष्टाचार में लिप्त दिख रहे हैं। आप इसको ज़रा भी स्वीकार नहीं करते, आपको सीधा आरोप तो लगा नहीं रहे हैं, मंत्री जी ने जांच किया, ऐसा तो नहीं लगा रहे हैं। आपके अधिकारी लोगों ने पूरी व्यवस्था बिगाड़ी है। प्रति किसान का 100 ग्राम प्रति बोरा का पैसा खा रहे हैं, उस पर आप कुछ नहीं करना चाहते। मैं मेरी बात थोड़ी कर रहा

हूं। आपके भी तो एम.एल.ए. बैठे है, उनके भी किसान होंगे। आप भी किसान के बच्चे हैं। तो ये हमारा 100 ग्राम प्रति बोरा कौन खा रहा है, ये तो बता दो भैया। आपके अब जानकारी में आई है तो अब बता दो मेरा इतना तो सीधा-सीधा कहना है । न मैं हल्ला कर रहा हूं, न गुल्ला कर रहा हूं, न हिसाब मांग रहा हूं, न किताब मांग रहा हूं, न परसेंटेज मांग रहा हूं।

सभापति महोदय :- बताइए,बताइए। आप उनकी सभी बातों की शंकाओं का निराकरण कर दीजिए।

श्री दयालदास बघेल :- क्या है सभापति महोदय, मैं फिर वही बात को कहना चाहूंगा कि बोरे के बारे में जैसे नेता जी ने बताया है कि लंबाई, चौड़ाई सब में इंटरेस्ट आते हैं। नमी उसमें जोड़ते हैं। जैसे 22 प्रतिशत, जैसे नेता जी ने बताया है तो उसका वजन 545 ग्राम यानी न्यूनतम और 626 ग्राम नमी में कमी पाई तो बोरे का वजन कम होगा। माननीय सभापति महोदय, भारतीय मानक बोरा के अनुसार यही बात है नमी की वजह से वजन में।

श्री अटल श्रीवास्टव (कोटा) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि एक बोरा में लगभग 100 ग्राम का फर्क आ रहा है। मतलब एक क्विंटल में 250 ग्राम धान किसान का कम हो रहा है। इस प्रदेश में 160 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होती है। माननीय मंत्री जी, अधिकारियों से बोलिए कि थोड़ा कैल्कुलेशन करेंगे कि एक क्विंटल धान में किसान का अगर 250 ग्राम धान कम हो रहा है तो कितना पैसा होगा? 3100 रूपये के हिसाब से कैल्कुलेट कीजिए। मैं कैल्कुलेट नहीं कर पा रहा हूं। लगभग 500, 700 करोड़ से ज्यादा हो रहा है। अगर 500, 700 करोड़ रूपये का घापा हो रहा है, तो ये डंडी कौन मार रहा है? यही तो माननीय नेता जी पूछना चाह रहे हैं।

सभापति महोदय :- आप तो प्रश्न पूछिए न।

श्री अटल श्रीवास्तव :- तो ये जो डंडी मारी जा रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो बोरा कम आ रहा है। माननीय नेता जी ने कहा कि एक विधायक दल की समिति बना दीजिए। लगभग ये शिकायत हर जगह से आ रही है। हम तो केवल 40 किलो 500 ग्राम की बात कर रहे हैं, वहां 4200-4200 किलो की तौलान हो रहा है तो वो अब अलग मुद्दा है। अभी 250 ग्राम एक क्विंटल में जो कमी आ रही है, किसान लोग जो भुगतेंगे, उसका भुगतान कौन करेगा और इस भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन होगा? इसके लिए कोई जांच कमिटी बनाएंगे क्या?

सभापति महोदय :- बताइए। अब बाकी कोई अनुमति नहीं मिलेंगे। जो नाम है वही बोलेंगे।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, जांच की कमिटी बनाने का आवश्यकता नहीं है। जो 100 ग्राम बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। माननीय सभापति महोदय, नमी के हिसाब से हम बोरा को देख रहे है तो 545 ग्राम ही आ रहा है और कुछ है बाकी तो बता सकते हैं। इसमें जांच कराने की आवश्यकता नहीं है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने प्रारंभिक उत्तर में ही नेता प्रतिपक्ष के जवाब में आपने कहा कि ये तरेंगा गए थे, वहां नापा, उसके बाद आपने अधिकारी भेजा। आपके सामने जब तौल हुआ तो 100 ग्राम की कमी आई और अधिकारी गए तो वह बराबर आ गया तो यही तो प्रश्न है। प्रश्न यह है कि ये काम अधिकारी अपने से कराए हैं, नेताजी अपने से कराए हैं इसलिए विधायक दल की कमिटी बना दें और अधिकारी भी रहें और जांच कर लें। इतनी तो बात है। ये जांच आएंगे क्या?

सभापति महोदय :- बताइए, मंत्री जी।

श्री भूपेश बघेल :- क्योंकि अधिकारी गए तो बराबर उत्तर आ रहा है। फिर तो महोदय जी असत्य बोल रहे हैं। या तो उल्टा हो गया कि नेता जी असत्य बोल रहे हैं।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, यदि नमी को उसमें जोड़ दें तो 545 ग्राम होता है।

सभापति महोदय :- आप आप जांच कराएंगे या नहीं कराएंगे? ये बताइए न।

श्री दयालदास बघेल :- नहीं, आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय :- हां, बस बैठिए। शून्यकाल की सूचनाएं।

डॉ. चरणदास महंत :- सुनिए, प्लीस। हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है। आप प्रदेश के हर किसान के बोरे से 100 ग्राम धान खा रहे हैं। मैं आरोप लगा रहा हूं कि आप खा रहे हैं और आप जो खा रहे हैं, उसको संरक्षण दे रहे हैं, जिसका हम आपका विरोध करते हैं और हम बहिर्गमन करते हैं।

समय :
1.25 बजे

बहिर्गमन

शासन के उत्तर के विरोध में

(डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बर्हिगमन किया गया)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

समय
1.25 बजे

नियम 267-क के अंतर्गत विषय

सभापति महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जाएंगी तथा इन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जाएगा :-

1 श्री अजय चन्द्राकर

2 श्री शेषराज हरवंश

3 श्री चैतराम अटामी

4 श्रीमती अंबिका मरकाम

5 श्री रोहित साहू

समय
1.26 बजे **वित्तीय वर्ष 2024-2025 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन**

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करता हूं ।

सभापति महोदय :- मैं, अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिये मंगलवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 की तिथि निर्धारित करता हूं ।

सभापति महोदय :- अब प्रदेश में धान खरीदी में व्याप्त अव्यवस्था के संबंध में प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा प्रारंभ होगी ।

समय
1.27 बजे **स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा**

प्रदेश में धान खरीदी में व्याप्त अव्यवस्था

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय सभापति महोदय, हमने स्थगन प्रस्तुत किया है और ग्राह्यता पर चर्चा हो रही है । सभापति महोदय, जब धान खरीदी की शुरूआत हुई, वहीं से इस सरकार की मंशा लोगों के बीच आई । सबसे पहले कलेक्टर्स के द्वारा प्रबंधकों की बैठक ली जाती है । बैठक में यह कहा जाता है कि जिस गांव में जैसी आनावारी रिपोर्ट आ रही है उसी के अनुसार वहां खरीदी होगी । सारे प्रबंधक परेशान हुए और वे हड़ताल पर गए ।

श्री राजेश मूणत :- क्या हुआ उमेश जी ?

श्री उमेश पटेल :- नहीं समझ में आया ।

श्री राजेश मूणत :- हो क्या गया ?

श्री उमेश पटेल :- बता रहा हूं, पूरा सुनते तो जाइए ।

सभापति महोदय :- पटेल साहब, आप बोलिए ना ।

श्री उमेश पटेल :- सारे प्रबंधक हड़ताल पर गए । हड़ताल के बाद स्टेटमेंट आया, लोगों में आक्रोश बढ़ा । मुंगेली में एक घटना हुई, खरीदी के पहले ही दिन प्रबंधक के द्वारा कहा गया कि हम 16 क्विंटल से ज्यादा नहीं खरीद सकते, सरकार का आदेश है । उन्होंनें 16 क्विंटल के हिसाब से बारदाना वितरण कर दिया । मुंगेली के किसानों ने चक्काजाम किया उसके बाद 2-3 जगहों से और इस

तरह की खबरें आईं, तब जाकर सरकार बैकफुट पर आई । हमारे नेताओं ने भी स्टेटमेंट दिया, कई विधायकों ने भी स्टेटमेंट दिया । उसके बाद सी.एम.साहब का स्टेटमेंट आता है कि 21 क्विंटल में ही धान खरीदी होगी । लेकिन अभी भी 21 क्विंटल में धान खरीदी नहीं हो रही है । अभी भी जब किसान कटाने जा रहा है तो उसे तरह-तरह की समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं । कहीं पर 300 क्विंटल उसको तीन टोकन में बेचना है तो एक बार तो 100 दिखा रहा है, दूसरी बार जब जाते हैं तो कभी 26 क्विंटल, कभी 10 क्विंटल, कभी तो ज़ीरो दिखा रहा है । उसके टोकन में ज़ीरो भी दिखा रहा है । इस तरह की व्यवस्था इन्होंने करके रखी है । सभापति महोदय, मुझे तो इस बात की शंका है कि ये सारी चीजें और जो 21 क्विंटल की बात ये लोग कह रहे हैं, वह सिर्फ इसलिए कि विधान सभा का सत्र होना है और विधान सभा के सत्र में हमें जवाब देना पड़ेगा, इसलिए 21 क्विंटल की बात सी.एम.साहब ने कही है । मुझे तो इस बात की शंका है कि विधान सभा सत्र खत्म होने के बाद किसानों को असली समस्या होगी ।

श्री सुशांत शुक्ला :- उमेश भइया, यह शंका, लघु है या दीर्घ, यह बता दीजिए।

श्री उमेश पटेल :- आप अपने आप को जितना समझते हैं, उतना है ।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य का भाषण जारी रहेगा । सभा की कार्यवाही भोजनावकाश के लिए अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित् ।

(1.30 बजे से 3.00 बजे तक अंतराल)

समय
3:00 बजे

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)

स्थगन प्रस्ताव की ग्राहयता पर चर्चा (क्रमश:)

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, यह सरकार जो अभी छत्तीसगढ़ में आई है, उसने वादा किया था और माननीय भूपेश बघेल की जब सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी...।

श्री राजेश मूणत :- उमेश भैया, कौन-कौन सा वादा किया था ?

श्री उमेश पटेल :- रूक जाओ न जी, अभी बता रहा हूं, अभी बैठिए तो। आप सुनिए, पूरा आएगा।

श्री राजेश मूणत :- भाई, खाना खाकर आए हो, घर से यहां तक चलकर आए हो तो कम से कम हम आपका थोड़ा सा सम्मान तो करें।

सभापति महोदय :- मूणत जी बैठिए। उमेश जी चालू रखिए।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, सरकार बनने के समय जब चुनाव हो रहा था तो इन्होंने वादा किया। एक बात बार-बार पिछली सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि यह सरकार एकमुश्त पैसा नहीं देती है, चार किस्तों में पैसा देती है। इनके सभी नेताओं ने अलग-अलग मंचों से लगातार इस बात को कहा। सभापति महोदय, अभी क्या हो रहा है ? अभी सिर्फ समर्थन मूल्य 2300 रूपये का पैसा मिल रहा है। यह वादाखिलाफी नहीं है तो क्या है ? आपके बड़े-बडे नेताओं ने भाषण दिया कि हम पंचायत में लाईन लगाकर पैसा देंगे, काउंटर खोलकर पैसा देंगे लेकिन हुआ क्या ?

श्री राजेश मूणत :- अच्छा, आपके खाते में दो साल का बोनस आया या नहीं आया, ईमानदारी से बताईए।

श्री उमेश पटेल :- नहीं आया।

श्री राजेश मूणत :- अगर मैं प्रूफ कर दूंगा तो ?

श्री उमेश पटेल :- मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, नहीं आया। मैं बता रहा हूं, मैं आपको प्रूफ करता हूं। चलिए, आप बैठिए। आप एक मिनट बैठिए, मैं आपको बताता हूं। नहीं आया, वह भी बात करता हूं।

श्री राजेश मूणत :- देखिए उमेश भाई, सही-सही बताईए।

श्री उमेश पटेल :- एकदम सही है।

श्री राजेश मूणत :- आप मेरे को उस दिन बाहर बोले थे।

श्री उमेश पटेल :- मैं आपको बताऊंगा, चलिए आप बैठिए। मैं आपकी ही बात कर लेता हूं। आप दो साल की बोनस की बात कर रहे हैं। इन्होंने किस साल की बोनस देने की बात कही थी। वर्ष 2015-16 और 2016-17 की देने की बात कही थी और वर्ष 2014-15 और 2015-16 का दिया। क्यों, वर्ष 2014-15 में आपकी किसानों की संख्या कम थी। इस तरह से धोखा दिया है, यह आप लोगों की नीयत खराब है। आप तमाम वादे करते हैं, तमाम वादे किसके नाम से करते हैं ? मोदी जी के नाम से करते हैं। मोदी की गारंटी के नाम से करते हैं। कम से कम उनका ख्याल कर लीजिए। आप लोग क्यों अपने मंचों के भाषणों से वादा निकालते हैं, उसमें कहते हैं कि हम लोग लोगों को घर पहुंचाकर पैसा देंगे, पंचायतों में लाईन लगायेंगे। यहां एकमुश्त पैसा मिलेगा, यह सरकार है, जो चार किस्तों में पैसा देती है। मूणत जी, मैं बताना चाहूंगा, किसानों को जो वह चार किश्तों में पैसा मिलता था, वह उनके लिए अमृत के समान था, वह अमृत के समान था।

श्री राजेश मूणत :- सही बात है, वह पंडित भी देख-देख कर ऐसे ही थोड़ा सा देता था, फिर आखिरी में निपटा देता था।

श्री उमेश पटेल :- मैं क्यों बोल रहा हूं कि अमृत के समान था, आप सुनिए। जब किसान को धान लगाने की बारी आती थी, तब उसको पैसा मिलता था, जब किसान को अपने बच्चों के लिए दीपावली में खर्च करने का समय आता था, तब पैसा मिलता था।

श्री सुशांत शुक्ला :- उमेश भैया, अभी एकमुश्त मिल रहा है तो क्या तकलीफ है ?

श्री उमेश पटेल :- नहीं, सुशांत जी, पूरी बात सुना करिए, आधी अधूरी बात मत सुना करिए। जब उसको जरूरत पड़ती थी, तब उनको किश्त मिलता था। एकमुश्त की बात मैंने नहीं की। एकमुश्त की बात आप लोगों ने की और मोदी के गारंटी के नाम से की। लेकिन एकमुश्त का पैसा नहीं मिल रहा है।

श्री सुनील सोनी :- उमेश जी, क्या आपने आखिरी किश्त दी ? आपकी सरकार चली गयी आपने आखिरी किश्त नहीं दी।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- वह तो आप लोगों को देना है, बजट में प्रावधान था।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- वह तो हमारे प्रावधान में था, बजटेड था, उसको आपको देना था, यह आपने कमिटमेंट किया है।

श्री उमेश पटेल :- सोनी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। आपका इस सदन में स्वागत है। आपने आखिरी किश्त के बारे में कहा। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं। जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, तब उन्होंने एक [xx] ढोया था, वह था, दो बार का बोनस नहीं देने का। इस सरकार को किसानों की हाय लगी थी और तभी यह सरकार 15 सीटों पर सिमट गई थी।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, यह तो आज से 1 साल पहले ही पता चल गया था कि किसको हाय लगी है।

श्री उमेश पटेल :- आप सुन तो लीजिए।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, यह तो गलत बयानबाजी कर रहे हैं कि इस सरकार को हाय लगी थी। आपको तो 1 साल पहले हाय लगी है, उसका झटका आप आज तक झेल रहे हैं।

सभापति महोदय :- उमेश जी, अभी स्थगन की ग्राह्यता पर चर्चा हो रही है। आप अभी इस पर बोलिये।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, मैं अपनी बात को रख रहा हूं। आप यह देखिये कि मुझे कौन टोक रहा है।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया आपस में टोका-टाकी न करें।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, आप बहुत सीनियर सदस्य हैं और इतनी अच्छी बात बोल रहे हैं। हम तो आपका समर्थन करने के लिए खड़े हुए हैं। मैं आपसे केवल इतना ही पूछना चाहता हूं कि जनता का आप पर से भरोसा खत्म क्यों हुआ ?

श्री उमेश पटेल :- हां, मैं आपको वह भी बताऊंगा।

श्री राजेश मूणत :- इधर-उधर की बात न कर, यह बता कि कारवां क्यों लूटा?

श्री उमेश पटेल :- मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा।

श्री राजेश मूणत :- दूसरा, अभी आपने इनका सम्मान किया। यह जितने वोट से जीते हैं, उतने तो कांग्रेस पार्टी को वोट भी नहीं मिले। आप आगे क्या बात करेंगे? (मेजों की थपथपाहट)

श्री उमेश पटेल :- हम बात करेंगे।

श्री राजेश मूणत :- आप पहले यह तय कर लीजिए कि कांग्रेस के कितने वोट हैं ? आप आपस में तय कर लीजिए।

श्री उमेश पटेल :- हम आगे इसलिए बात करेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने हमको अपनी बात को रखने के लिए इस सदन में चुनकर भेजा है।

श्री रामकुमार यादव :- [xx] तुमन किसान के धान नहीं ले सकत हो अऊ का बात करत हो ?

श्री उमेश पटेल :- यदि किसी सीट पर हम कम या ज्यादा वोट से हार गये तो यह कोई बात नहीं हुई। छत्तीसगढ़ की जनता ने हमको यहां पर अपनी बात को रखने के लिए चुनकर भेजा है, इसलिए हम अपनी बात को यहां पर रखेंगे।

श्री राजेश मूणत :- जनता ने हमें अभी रायपुर-दक्षिण विधान सभा क्षेत्र के उपचुनाव में अपना समर्थन दिया है।

श्री उमेश पटेल :- हमने उसका स्वागत किया है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय उमेश भाई, हमको जतना का इतना समर्थन मिला कि जितने वोटों से हम जीते हैं, उतने तो कांग्रेस पार्टी को वोट भी नहीं मिले। आप आत्मचिंतन और आत्ममंथन कीजिए। आप यह सोचिये।

श्री रामकुमार यादव :- ता आप मन जीत के काए कर डारे हो ? आप मन धान ला ले नहीं सकत हो। [xx] वइसे जीत के का मतलब ? सदस्य बनाना हे ता ज्यादा सदस्य बना के का कर डारबे ? का आप मन छत्तीसगढ़ के लिए कुछु करत हो ? डबल इंजन में न तेल हे अऊ न नून हे। कुछ नहीं हे।

श्री राजेश मूणत :- हां, यह बात भी सही है।

श्री सुशांत शुक्ला :- तोला तो हमन सदस्य बनाए बर भी तैयार नहीं हन। ते काबर चिढ़चिढ़ात हस ?

श्री रामकुमार यादव :- कुछ नहीं हे। तुमन के डबल इंजन फेल हे अऊ भष्ट हो गेहे।

सभापति महोदय :- उमेश जी, आप बोलिये।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, जैसा इन्होंने कहा तो मैं इस बात से सहमत हूं कि पहले बी.जे.पी. की जो सरकार सत्ता से गई थी, वह किसानों की हाय लगने के कारण गई थी। वह सत्ता से क्यों गई ? क्योंकि उस सरकार ने किसानों को 2 साल का बोनस नहीं दिया था। उसको ठीक करने के लिए इनको इस बार के अपने घोषणा पत्र में इसको रखना था कि हम किसानों को 2 साल का

बोनस देंगे। यह वर्तमान सरकार एक और [xx] कर रही है। किसानों की आखिरी किश्त, जो इनकी सरकार बनने के बाद देना था, उस [xx] को यह अभी बो रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- उमेश भाई, आप लोग साल भर क्या कर रहे थे ? आपने किसानों को आखिरी किश्त क्यों नहीं दी ? आप हमको बोलते हैं। दूसरा, आप जो बोल रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- मंत्री जी, आप मन याद करो कि तुमन मोबाइल ले रहे हो, तेखर आखिरी किश्त ला हमन पटाए रहे हन।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- आप बोल रहे हैं कि अमृत जैसे 4 बार में देते थे। मतलब, आप यह चाह रहे हैं कि जनता को 4 बार में बोनस दिया जाए। आपको एक बार में देने में तकलीफ है।

श्री उमेश पटेल :- मैं इस बात को कह रहा हूं। जायसवाल जी, मैं यह समझता था कि कम से कम आप तो इस बात को समझेंगे। आखिरी किश्त कब मिलनी थी ? मार्च के आसपास मिलनी थी। मार्च में आपकी सरकार बन गई थी। सरकार तो आएगी-जाएगी। कभी आपकी सरकार रहेगी तो कभी हमारी सरकार रहेगी।

श्री राजेश मूणत :- फिर 15 साल तक रहेगी। (मेजों की थपथपाहट)

श्री उमेश पटेल :- आप सुन तो लीजिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप अभी चुनाव करवा लीजिए।

श्री उमेश पटेल :- अभी आपकी सरकार है। यह fact है।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, पिछली बार 3 साल दिये थे तो यह 15 साल तक गायब थे। इस बार पूरे 5 साल दिये हैं। मैं राजेश मूणत जी की बात को आगे बढ़ाकर 25 साल पर ले जा रहा हूं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आप अभी चुनाव करवा लीजिए।

श्री उमेश पटेल :- हो गया। यदि आपको और कुछ बोलना है तो पहले बोल लीजिए। मैं बैठ जाता हूं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- यह रावण का अहंकार बोल रहा है।

श्री राजेश मूणत :- अभी रायपुर-दक्षिण विधान सभा क्षेत्र में तो उप चुनाव कराये थे। रायपुर दक्षिण उप चुनाव में क्या हुआ ?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- हमने देखा है कि क्या हुआ।

श्री राजेश मूणत :- आप लोग वहां पर पूरे गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले घूमे थे। आप अभी दक्षिण में निपटे हो। अभी महीना भर भी नहीं हुआ। दक्षिण के चुनाव की हाथ की मेंहदी भी नहीं मिटी है।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सदन की भी मर्यादा है। आप परंपराओं के अनुसार चलिये। आप लोग आपस में बातचीत करेंगे, यह उचित नहीं है।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन है। वह नये सदस्य हैं। उनको बहुत बोलना रहता है। आप उनसे पूरा बोलवा लीजिए, फिर मैं अपनी बात रखूंगा।

सभापति महोदय :- उमेश जी, आप तो पुराने सदस्य हैं। आप अपनी बात रखिये और जल्दी समाप्त कीजिए। यह स्थगन के ग्राह्यता पर चर्चा है। अन्य सदस्य भी बालेंगे। ग्राह्यता के पश्चात तो इसपर पूरी चर्चा होगी।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, आप भी जान रहे हैं कि अभी तो मैं अपनी कोई बात ठीक से रख ही नहीं पाया हूं।

सभापति महोदय :- आपका दूसरी तरफ ध्यान चला जाता है। आप बोलिये और अपनी बात जारी रखिये।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, सरकार इस वादे के साथ सत्ता में आई थी कि हम 3100 रूपया क्विंटल की दर से धान खरीदेंगे। आपने 3100 रूपया पिछले वर्ष दिया। लेकिन अभी समर्थन मूल्य बढ़ रहा है। आप पिछली सरकार के कार्यकाल को याद करिये। पिछली सरकार भी इस वादे के साथ आई थी कि हम 2500 रूपया क्विंटल की दर से धान खरीदी करेंगे। उस समय जब-जब केन्द्र सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ाया, तब-तब कुल राशि बढ़ती चली गई। अभी केन्द्र सरकार ने 117 रूपया समर्थन मूल्य बढ़ाया है। क्या यह सरकार आगे 117 रूपया बढ़ाकर देगी ? उसको 3217 रूपया करेगी ? क्या यह सरकार उसको बढ़ाकर देने के लिए तैयार है ? नहीं है। क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं है।

सभापति महोदय, आप सोसायटियों में जाइए, आप सोसायटियों में क्या हो रहा है ? वहां जाम लगा हुआ है। बारदाने की किल्लत है। मैं अपनी बात रखता हूं, एक जमोरा सोसायटी है या मैं अपने गांव की सोसायटी की बात करता हूं। मेरे गांव में पिछली बार 70 हजार क्विंटल धान की खरीदी हुई थी। यदि आप उस अवधि के कुल खरीदी के दिन के गिनेंगे तो 35 दिन होता है। इस हिसाब से एक दिन में लगभग 2 हजार क्विंटल धान खरीदेंगे तब जाकर पूरा हो पायेगा। लेकिन सभापति महोदय, लेकिन अभी तक सिर्फ 8 सौ क्विंटल धान की खरीदी हुई है। अब आगे क्या होगा ? जब खरीदी का अंतिम दिन नजदीक आयेगा, जिस समय किसान अफरा-तफरी में रहेंगे उस समय ऊपर से कलेक्टर का फोन आयेगा कि आप किसानों से समर्पण करवाईये, किसानों के धान का समर्पण हो जायेगा। यह पिछली बार भी हुआ था और अभी भी होगा। आज जितने पंजीकृत किसानों की संख्या है, उनके रकबे के हिसाब से जो धान खरीदी हो रहा है, वह पिछली बार भी कम हुआ था और इस साल ज्यादा कम होगा। क्योंकि इस साल जाम लग रहा है। इस साल सोसायटियां बंद हो रही हैं। बहुत सी सोसायटियां आज के दिन काम नहीं कर रही है। आपने पिछले दो दिन तक सील करने की कार्यवाही की है। राईस मिलरों के ऊपर दबाव

बनाया है। हो सकता है कि बारदाने वगैरह चालू हो जाये, डी.ओ. कटना शुरू हो जाये। अगर डी.ओ. कटेगा तब किसानों को राहत भी मिलेगा। लेकिन सभापति महोदय, उन राईस मिलर्स की भी क्या गलती है ? उन लोग कौन सा गलत मांग कर रहे हैं ? आप उनको बैठाईये, उनसे चर्चा कीजिये, उनकी भी बात सुनिये और कहीं कोई दिक्कत है तो उसको दूर करिये। ताकि वह राईस मिलर्स भी उसी उत्साह के साथ काम करे, उसी उत्साह के साथ आगे बढ़े, ताकि धान का उठाव भी उतनी तेजी के साथ हो। हर चीज को कुचलने से काम नहीं चलेगा। यह सरकार कुचलने में ही विश्वास कर रही है, हर जगह दमनकारी नीति ही अपना रही है।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, आप राईस मिलर्स के बारे में बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। सौरभ चन्द्राकर के साथ आपकी पार्टी का क्या रिश्ता है, इसको भी पब्लिक के बीच में क्लीयर कर दीजिये। रोशन चन्द्राकर से कांग्रेस पार्टी का क्या रिश्ता है, उसको क्लीयर कर दीजिये ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, आप हमारे रिश्ते की बात करते हैं। पहले आप यह जवाब दीजिये। सरकार ऐसी होनी चाहिए कि सबको लगे कि सरकार हमारी है। राईस मिलर्स ने ऐसी क्या गलती की कि 120 रूपये को 60, दूसरी बात, पहले मुझे बोलने दीजिये, फिर आप बोलियेगा। आप 3 हजार राईस मिलर्स के साथ बातचीत करते हैं, समाधान निकला, 80 रूपये में तय हुआ तथा उनके बहुत सारी समस्याओं का हल निकला। इस प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं या कौन चला रहा है ? माननीय मुख्यमंत्री जी के बोलने के बाद वह केबिनेट में पास नहीं हो पा रहा है। पहले आप इस बात को स्पष्ट कीजिये ?

श्री रामकुमार यादव :- बताओ।

श्री राजेश मूणत :- हां-हां, यादव जी, आप को भी कुछ बोलना है ? मैं जो पूछ रहा हूं उसका उत्तर पूरी कांग्रेस पार्टी के पास हो तो देना। यादव जी, आप भी कुछ बोलना । एक मिनट सुन लो ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय, एक मिनट सुन लो ।

श्री राजेश मूणत :- मैं जो पूछ रहा हूँ, उसका उत्तर पूरी कांग्रेस पार्टी के पास हो तो देना ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप पहले हमारी बात का जवाब दे दीजिए । आप एक बात बताईये...।(व्यवधान)

श्री राजेश मूणत :- मैं सीधा-सीधा पूछ रहा हूँ कि [xx] [2] के साथ में कांग्रेस पार्टी का रिश्ता क्या कहलाता है ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप पहले मेरे इस बात का जवाब दीजिए कि...(व्यवधान) मुख्यमंत्री के साथ में 80 रूपया में सहमति हुई । माननीय मंत्री जी आप ठीक हैं । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- मूणत जी ।

[xx] [2] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्री राजेश मूणत :- आपकी सरकार में मिलिंग के नाम पर ...(व्यवधान) किसके पास था, कितना रूपया आता था । (व्यवधान) इसे क्लियर कर दो ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- [xx] [3] दुबई से कब आयेगा । आप पहले बताईये । (व्यवधान)

श्री राजेश मूणत :- कांग्रेस सरकार से रिश्ता क्या था क्लियर करो ?

श्री रामकुमार यादव :- चुनाव के पहले कहां उतारे हव एखर सब लेखा-जोखा हे।

श्री उमेश पटेल :- राईस मिलरों को बुलाकर ...।(व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- [xx] (व्यवधान)

सभापति महोदय :- माननीय उमेश जी, ग्राहता पर चर्चा कर रहे हैं । मूणत जी, प्लीज। देखिये, यह कोई सवाल जवाब का मंच नहीं है । यहां ग्राहता पर चर्चा हो रही है ।(व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- [xx] का आपसे क्या रिश्ता है, आप बता दीजिए ? (मेजों की थपथपाहट) [xx] (व्यवधान)

श्री राजेश मूणत :- [xx] से कांग्रेस पार्टी का क्या रिश्ता था..।(व्यवधान)

सभापति महोदय :- मूणत जी, बैठिये । रामकुमार जी, स्थगन पर चर्चा हो रही है ।

श्री राजेश मूणत :- 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली ।

श्री रामकुमार यादव :- [xx] व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- इनको पैसा पहुंचाया जाता है ना ?

सभापति महोदय :- मूणत जी, आप सीनियर हैं, आप बात को समझिये । विषय को रखने दीजिए । (व्यवधान) रामकुमार जी, निषाद जी, बैठिये ।

श्री उमेश पटेल :- [xx] का नाम लेने से डरते हैं इन लोग । यह छत्तीसगढ़ का पूरा जंगल दे देंगे ।

सभापति महोदय :- जब आपका समय आयेगा तो बोलियेगा । (व्यवधान) उमेश जी, आप विषय पर आईये । (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- यह गलत बात है । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- सुशांत जी आप बैठिये । स्थगन पर चर्चा है, जब आप आये तो जवाब दीजिएगा । (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- [xx] के ऊपर बात आई है...।(व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, जैसे कि आज छत्तीसगढ़ की पुलिस बोल रही है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है तो [xx] (व्यवधान)

श्री रामकुमार वर्मा :- [xx] (व्यवधान)

[xx] [3] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- मैं सदन से अनुरोध करता हूँ कि विषय पर चर्चा करें । सुशांत जी, आप बैठिये ।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, यह विषय रखियेगा । [xx] [4]

(नारे लगाये गये)

सभापति महोदय :- बैठिये । कृपा बैठ जाईये । बैठिये । सदस्यों से अनुरोध है, आप बैठ जायें ।

(नारे लगाये गये)

सभापति महोदय :- सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिये स्थगित की जाती है।

(दोपहर 3.20 बजे से 3.28 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित रही)

समय :
3.28 बजे **(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)**

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, आज एक ध्यानाकर्षण के माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत जी ने बहुत ही गंभीर विषय की ओर ध्यानाकर्षित किया था कि वे धान खरीदी केन्द्र में, समिति में देखने गए, जहां 580 ग्राम वजन का बोरा होना चाहिए, वह 480 ग्राम का बोरा निकला । अगर हम एक बोरे में 40 किलो के हिसाब से धान की भरती करते हैं तो यदि उसमें 100 ग्राम की कमी हो रही है तो एक क्विंटल में लगभग 250 ग्राम और अगर 1 लाख, 60 हजार मैट्रिक टन धान की खरीदी होनी है तो लगभग 4500 करोड़ रूपए का नुकसान किसानों को हो रहा है । अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको कैल्कुलेशन दे दूंगा, लेकिन एक बड़ा विषय है, जिसको आपको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए । आप इस विषय को दिखवाईए। जहां पर भी इस तरह से कमी है, जहां पर भी गलत वजन के बोरे चले गए हैं, उनको तुरंत वापस बुलवाईए और दूसरा लाट भिजवाईए ।

खाद्य मंत्री (श्री दयाल दास बघेल) :- माननीय सभापति महोदय, आप लोगों के बोले बगैर हम लोग 349 गठान बारदाना वापस कर रहे हैं, जो गलत था ।

श्री उमेश पटेल :- आपने वापस कराया ?

श्री दयाल दास बघेल :- हम लोग उसको वापस कर रहे हैं ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, कितने सोसायटी में आपने वापस करवाया और कितने सोसायटी में आपने वापस करवाया और कितनी सोसायटियों में यह पाया गया है?

श्री दयालदास बघेल :- जो अमानक थे, उसे वापस किया गया है।

[xx] [4] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- कितनी सोसायटियों में अमानक चला गया था और कितनी मात्रा में गया था, यह बताइए ना? कितना वापस करा रहे हैं, इसकी संख्या बता दीजिए? कितना बोरा आया है और कितने आप वापस करा रहे हैं? माननीय मंत्री जी इसे बताइए ना?

श्री उमेश पटेल :- चलिए, आपने स्वीकार किया कि कुछ जगहों पर...

श्री धर्मजीत सिंह :- आप बहुत ही अच्छी तैयारी से बोल रहे हैं। आप एक-एक सेवा सहकारी समिति का हिसाब पूछेंगे तो क्या उसे मंत्री जी बतायेंगे? वह गठान बता दिए, उतने में अंदाजा लगाओ कि कहां जा रहा है और कहां क्या हो रहा है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- कितने गठान वापस हुए, मैं यह जानना चाहता हूं। इसीलिए हमारे नेता प्रतिपक्ष जी भी मांग किए हैं। आप चिट निकालकर जांच करवा दीजिए ना। जब व्यवस्था ठीक है तो विधायक दल से जांच कराने में माननीय मंत्री जी को क्या दिक्कत है?

श्री धर्मजीत सिंह :- दिक्कत ये है कि यहां पर किसी सेवा सहकारी समिति में कहां से कितने बोरे गए, उसका हिसाब नहीं है। उन्होंने बताया कि 300 के करीब गठान वापस कर दिए और ये जो बोरा है, वह छत्तीसगढ़ में नहीं बनता है। ये कलकत्ता से आता है और वहां जूट बनाने वाला भेजता है। प्रैक्टिकल बातों को आप लोग समझा करो।

सभापति महोदय :- मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि यह प्रश्नकाल नहीं है, बल्कि स्थगन पर चर्चा हो रही है और मंत्री जी भी अभी जवाब दे रहे हैं। यह स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा है, आप विषय पर बोलिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, हमने यह तो नहीं बोला ना कि करोड़ों रुपए का गौठान बनाए थे, उसमें एक भी गइया नहीं रहती थी। हम बोले क्या आपसे?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- हम कहॉ बोल रहे हैं कि कम्प्लीट बोरी है।

सभापति महोदय :- इसके बाद जब चर्चा आएगी तो आप चर्चा में भाग लीजिएगा।

श्री रामकुमार यादव :- मंत्री मन ला शुरु से लेके इहां तक के जानकारी होना चाहिए। ये नई कह सकय कि मंत्री मन ला उहां के जानकारी नहीं हे, मंत्री मन ला संपूर्ण जानकारी होना चाहिए।

सभापति महोदय :- श्री उमेश पटेल जी, आप पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री उमेश पटेल :- आप अभी बोलिए, मैं अभी बैठ जाता हूं।

सभापति महोदय :- नहीं, आप पांच मिनट बोलिए।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, न तो संग्रहण केन्द्रों में जगह है और मिलरों को बोला जा रहा है कि डी.ओ. काटो, धान ले जायेंगे, चावल बनायेंगे लेकिन रखेंगे कहॉ? थप्पी करके रखेंगे। ये सब व्यवस्था सरकार को आपस में बातचीत करके सब चीजों की व्यवस्था बनानी चाहिए लेकिन यह सरकार डरा-धमकाकर काम करना चाह रही है, जिससे व्यवस्था और बिगड़ेगी। क्योंकि यदि आप लोग

डरायेंगे-धमकायेंगे तो वह लोग उतना ही डी.ओ. काटेंगे कि जिससे आप लोगों को भी लगे कि हॉं काट रहा है। रोज 1000-500 का डी.ओ. कटता जाएगा, उससे वह शांति से बैठेगा नहीं। तो आप इसको बैठकर, आराम से उसके साथ चर्चा करिए, उनकी समस्याओं को दूर करिए। कलेक्टर रोज बैठक लेकर प्रबंधकों को डरा-धमका रहे हैं। अरे उनके साथ बैठ जाइए, उनको देख लीजिए, उनकी क्या समस्या है, व्यवस्था में सुधार करिए। माननीय सभापति महोदय, ये सारी बातें हम लोगों ने रखी हैं और ये ग्राह्यता पर चर्चा थी। अगर आप इसे ग्राह्य करके इस पर चर्चा करायेंगे, तो हम और बहुत सारे तथ्यों को इस विषय में लायेंगे। इस विषय में और भी तथ्यों को आपके बीच रखेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

समय :
3.34 बजे

स्थगन प्रस्ताव

प्रदेश में धान खरीदी में अव्यवस्था व्याप्त होना

सभापति महोदय :- मेरे पास प्रदेश में धान खरीदी में अव्यवस्था व्याप्त होने के संबंध में 34 सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं:

प्रथम सूचना	-	श्री भूपेश बघेल, सदस्य
दूसरी सूचना	-	श्री उमेश पटेल, सदस्य
तीसरी सूचना	-	श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य
चौथी सूचना	-	श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य
पांचवीं सूचना	-	श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य
छठवीं सूचना	-	श्री दलेश्वर साहू, सदस्य
सातवीं सूचना	-	श्री रामकुमार यादव, सदस्य
आठवीं सूचना	-	श्री कवासी लखमा, सदस्य
नवमीं सूचना	-	श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य
दसवीं सूचना	-	श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य
ग्यारहवीं सूचना	-	श्री विक्रम मण्डावी, सदस्य
बारहवीं सूचना	-	श्रीमती अनिला भेडिया, सदस्य
तेरहवीं सूचना	-	श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य
चौदहवीं सूचना	-	श्री भोलाराम साहू, सदस्य
पंद्रहवीं सूचना	-	श्री ब्यास कश्यप, सदस्य
सोलहवीं सूचना	-	श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य

सत्रहवीं सूचना	-	श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य
अट्ठारहवीं सूचना	-	श्री ओंकार साहू, सदस्य
उन्नीसवीं सूचना	-	श्री अटल श्रीवास्तव, सदस्य
बीसवीं सूचना	-	श्री इन्द्रशाह मंडावी, सदस्य
इक्कीसवीं सूचना	-	श्री फूलसिंह राठिया, सदस्य
बाईसवीं सूचना	-	श्री दिलीप लहरिया, सदस्य
तेईसवीं सूचना	-	श्री संदीप साहू, सदस्य
चौबीसवीं सूचना	-	श्री जनक राम ध्रुव, सदस्य
पच्चीसवीं सूचना	-	श्री इन्द्र साव, सदस्य
छब्बीसवीं सूचना	-	श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी, सदस्य
सत्ताईसवीं सूचना	-	श्री बालेश्वर साहू, सदस्य
अट्ठाईसवीं सूचना	-	श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य
उनतीसवीं सूचना	-	श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, सदस्य
तीसवीं सूचना	-	श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य
इकतीसवीं सूचना	-	श्रीमती यशोदा नीलाम्बर वर्मा, सदस्य
बत्तीसवीं सूचना	-	श्रीमती विद्यावती सिदार, सदस्य
तैंतीसवीं सूचना	-	श्रीमती कविता प्राण लहरे, सदस्य
चौंतीसवीं सूचना	-	डॉ. चरणदास महंत, सदस्य

चूंकि श्री भूपेश बघेल, सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त हुई है, अतः उसे मैं पढ़कर सुनाता हूँ :-

खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की योजना का क्रियान्वयन करने में सरकार पूरी तरह से असफल होती जा रही है। समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की योजना राज्य सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण योजना है। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में 160 लाख मी. टन धान खरीदी अनुमानित है। 27 लाख 78 हजार 467 पंजीकृत किसानों में से 15 दिसम्बर तक 10 लाख 66 हजार 406 किसानों से लगभग 50 लाख मी. टन धान की खरीदी की जा चुकी है। खरीदी केन्द्रों से धान का उठाव नहीं होने के कारण राज्य के लाखों अन्नदाताओं ने अपना खून-पसीना बहाकर जो धान पैदा किया, उसे बेचने के लिए पसीना बहाना पड़ रहा है, जिससे अन्नदाताओं में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है। टोकन प्राप्त करने से लेकर भुगतान प्राप्त करने में किसानों का दम निकल रहा है। राज्य सरकार से सभी वर्ग अत्यधिक असंतुष्ट है। राईस मिलर्स का आंदोलन, सोसाइटी के प्रबंधकों का आंदोलन, कम्प्यूटर ऑपरेटर का आंदोलन, ट्रांसपोर्टर का आंदोलन और अब किसानों का आंदोलन। सरकार किसी भी समस्या का निराकरण नहीं कर पा रही है। धान उपार्जन केन्द्रों की क्षमता सीमित है। खरीदे गए धान को न तो

कस्टम मिलर्स उठा रहे हैं और न ही संग्रहण केन्द्रों में भेजा जा रहा है। अधिकांश केन्द्रों पर खरीदी बंद होने की स्थिति निर्मित हो रही है। मोदी की गारंटी के अनुसार 21 क्विंटल प्रति एकड़ तथा 3100/- रूपये प्रति क्विंटल की दर से एकमुश्त भुगतान का वादा किया गया था परन्तु केवल समर्थन मूल्य 2300/- रूपये प्रति क्विंटल का भुगतान किया जा रहा है, शेष राशि कब दी जायेगी इसे नहीं बताया जा रहा है। खरीदी केन्द्रों पर नई व्यवस्था के तहत इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन लगायी गई है परन्तु अपर्याप्त संख्या के कारण तौल में अत्यधिक विलम्ब होता है। अधिसूचित दरों से मंडी लेबर चार्ज का भुगतान नहीं करने के कारण कुछ किसानों से हम्माली का कार्य कराया जाता है और उनके पारिश्रमिक का भुगतान भी नहीं किया जाता है। एक बोरे में केवल 40 किलो धान लिया जाना चाहिए परंतु शत् प्रतिशत बोरों में आधा किलो से पांच किलो तक अधिक धान लिया जा रहा है। धान भरने के लिए जूट के जो नये बारदाने दिये गये हैं, उनमें से अधिकांश बारदाने अमानक हैं। उनका औसत वजन 580 ग्राम है ही नहीं। 480 ग्राम वजन के बोरे धान खरीदी केन्द्रों में दिये गये हैं। यह बारदाने केन्द्र सरकार के द्वारा भेजे गये हैं इसलिए राज्य सरकार इनको अमानक होने के बावजूद अस्वीकार करने का साहस नहीं कर पा रही है। धान खरीदी केन्द्रों से राईस मिलर्स के द्वारा उठाव नहीं किये जाने पर संग्रहण केन्द्रों पर भंडारण किया जाना चाहिए परंतु अज्ञात कारणों से ऐसा नहीं किया जा रहा है। जिला बिलासपुर के ग्राम रिस्दा के अनेक किसानों का धान लेने से खरीदी केन्द्र में मना कर दिया गया है। वहां किसान आंदोलन कर रहे हैं। धान खरीदी के संबंध में हो रही अव्यवस्था के समाधान हेतु सरकार के द्वारा कोई सार्थक प्रयास नहीं किये जाने के कारण प्रदेश के किसानों में रोष व्याप्त है।

अतः इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाए।

कृपया प्रस्तुत स्थगन की ग्राह्यता पर चर्चा होनी है। अत: आप संक्षिप्त में अपने विचार रखें। श्री कवासी लखमा जी।

श्री कवासी लखमा (कोन्टा) :- माननीय सभापति महोदय, हमारे पूरे विधायक दल और हमारे नेता मिलकर, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। यह धान खरीदी हिन्दुस्तान में ही नहीं, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे इस छत्तीसगढ़ प्रदेश को धान का कटोरा कहते हैं। जब केन्द्र में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार थी और छत्तीसगढ़ में माननीय अजीत जोगी जी की सरकार थी तब से धान खरीदी की शुरूआत हुई है। उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने हमारा पूरा मंत्रिमण्डल और सभी लोग मिलकर दिल्ली गये थे। उस समय से इस प्रदेश में धान खरीदी हो रही है, लेकिन पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम लोग किसानों की उपज का एक-एक दाना धान खरीदी करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने भी कहा था कि हम लोग 20 क्विंटल धान की खरीदी करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि हम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी करेंगे और 3100 प्रति क्विंटल की दर से देंगे। यहां धान खरीदी की प्रक्रिया में 2

महीने का समय बीत चुका है यह दिसम्बर महीना लगभग खत्म हो चुका है। हमारे बस्तर क्षेत्र में आधे धान की खरीदी नहीं हुई है । अभी तो वहां शुरूआत ही नहीं हुई है। हमारे बस्तर क्षेत्र का चिंतलनार, भोपालपट्टनम और उरसूर नक्सल प्रभावित, पीड़ित क्षेत्र है। पिछले दिनों हम लोगों ने हड़ताल, हल्ला किया । वहां हमारे कार्यकर्ता मण्डी में गये तब वहां धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू हुई है। इस भारतीय जनता पार्टी के माननीय विष्णु देव साय जी ने टी.व्ही. और समाचार पत्रों में कहते हैं कि इस प्रदेश में हम लोग 3100 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी करेंगे, इससे एक रूपये कम नहीं होगा। इस प्रदेश में 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी होगी। लेकिन वहां पर फील्ड में तहसीलदार, एस.डी.एम. और कलेक्टर दबी-दबी जुबान में लोगों को डरा रहे हैं कि आपके बस्तर में 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी नहीं होगी, केवल 8 क्विंटल धान की खरीदी होगी। वहां केवल 8 क्विंटल धान खरीदना है। हम लोगों ने गिरदावरी की। आज पहली बार ऐसा हुआ कि वहां के गुरू जी लोगों ने गिरदावरी की। वहां पर गुरू जी लोग खेत में घूमे हैं। उस क्षेत्र के गुरू जी पढ़ायेंगे या खेत में जाकर नापेंगे? इस सरकार की नीयत में धान खरीदी करना नहीं है। जब हमारी सरकार थी तो उस समय मण्डी में एक दिन में 1800-2000 क्विंटल की खरीदी करनी होती थी। अभी इन्होंने यह तय किया है कि 15 जनवरी तक 1000 या 1500 क्विंटल धान की खरीदी करना है। सिर्फ 1000 क्विंटल धान की खरीदी करना है। उस समय प्रति दिन 1800-2000 क्विंटल की खरीदी होती थी। अब उसे कम किया है उस समय टोकन मिलता था। अभी कम्प्यूटर के माध्यम से रायपुर से डेट तय होती है। मतलब उन्हें 7-8 दिन में टोकन मिलता है। इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में इन अव्यवस्थाओं के कारण जनता, किसान परेशान है। कभी सत्ता पार्टी के लोग होंगे, कभी प्रतिपक्ष के लोग होंगे। हमारे प्रतिपक्ष के पूरे लोगों ने मिलकर जनता की बातों को उठाया। हम माननीय अध्यक्ष महोदय डॉ. रमन सिंह जी को बधाई देंगे कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर गहराई से चर्चा करने के लिए समय दिया। मैं, माननीय मंत्री जी कहना चाहता हूँ कि पूर्व में प्रति दिन 1800-2000 क्विंटल की धान खरीदी होती थी। किसी मण्डी में 2000 क्विंटल होने से उठाव करना है। अगर किसी मण्डी में 2000 क्विंटल आया तो उसका उठाव होना है। उसका कलेक्टर के माध्यम से उठाव होता था। अभी हमारे बस्तर क्षेत्र के मण्डी में गये तो वहां के सेल्समेन बोल रहे हैं कि जब यहां पर 7000 क्विंटल धान आएगा तब उसका उठाव करना है। वहां पर उतना बड़ा एरिया नहीं है। वहां मण्डी में 2000 क्विंटल खरीदी के हिसाब से चबूतरा बनाया गया है। वह 7000 क्विंटल धान कहां रखेंगे। यह इनका दोहरा मापदण्ड है। जब 2 हजार क्विंटल खरीदी कर रहे थे, वैसे ही 1 हजार क्विंटल कर दिये, 2 हजार क्विंटल मंडी में आने से 7 हजार क्विंटल कर दिये, 7 हजार क्विंटल के हिसाब से उतना बड़ा एरिया ही नहीं है तो कैसे होगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जो अधिकारी आदिवासी लोगों को, किसान लोगों को डरा रहे हैं, वह उनको डराना बंद करें। इनको तत्काल जितने लोग आये, जितना मंडी में लाकर खरीदी कर सकते हैं, उतने लोगों को ले आयें। अगर शाम होगी या रात

होगी, उसको खत्म करिये। लेकिन उसको सीमित करवा दिये कि 1 हजार क्विंटल से ज्यादा नहीं लेना है। हमारी तरफ तो उतनी धान खरीदी नहीं है, दो या तीन आदमी हो जायेंगे तो पांच-पांच क्विंटल ले जायेंगे तो 1 हजार क्विंटल हो जायेगा तो फिर दो-तीन आदमी की ही धान खरीदी होगी। अब चुनाव खत्म हो गया है इसलिए यह सरकार जनता को परेशान करने के उद्देश्य से यह कर रही है। हम बड़ी-बड़ी बात किये थे, आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय किरण देव जी बस्तर से हैं, जगदलपुर से एम.एल.ए. भी हैं। वह वहां पंपलेट, पोस्टर बांटे थे कि अगर हमारी सरकार आयेगी तो हर पंचायत में मंडी, बैंक खोलेंगे। पंचायत में पैसा का बंटवारा किया जायेगा। बस्तर में दूर-दूर सोसायटी है। हमारी सरकार में मंडी खोले थे। मैं भूपेश बघेल जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने वहां बहुत दिनों के बाद मंडी खोला। इस समय एक भी मंडी नहीं खोले हैं। इधर छत्तीसगढ़ में खोले हैं या नहीं खोले हैं, पता नहीं, उधर बस्तर में एक भी मंडी नहीं खोले हैं। चुनाव में बड़ी-बड़ी बात करने में अच्छा लगता है कि हम हर पंचायत में मंडी खोलेंगे, सोसायटी खोलेंगे, वहीं पर पैसा बाटेंगे। अभी तक बस्तर में 1 रुपये का भी पेमेंट नहीं हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं पता। वहां पर बोर्ड में लिखा हुआ है कि बड़े धान का 2300 रुपये और छोटे धान का 2200 रुपये देंगे। आपने 3100 रुपये क्यों नहीं लिखा? आप 3100 रुपये कब देंगे, बोनस के रूप में देंगे? लोग डरे हुए हैं कि इस पैसे का कैसे भुगतान होगा? इस सरकार ने किसान लोगों को धान के माध्यम से धोखा नहीं दिया। बस्तर में तो सोसायटी में हर महीने में चावल भी नहीं जाता है। कभी एक सोसायटी में 50 क्विंटल कम चावल जा रहा है, 100 क्विंटल कम चावल जा रहा है। इस प्रकार धान खरीदी में लोगों को भरोसा था। छत्तीसगढ़ में हम लोग संपन्न हो गये थे। किसान लोग गाड़ी, मोटर सायकल, ट्रेक्टर ले रहे थे, लेकिन इस समय लोगों को पानी गिरने जैसा दिख रहा है। अभी पानी गिरा। बारदाना नहीं है। एक भी जगह सोसायटी में झिल्ली से धान ढका हुआ नहीं है। बस्तर में लगातार धान खरीदी चालू किया और वहां पानी भी गिरा है। सोसायटी में धान को पानी से बचाने के लिए सरकार के पास कोई रोल नहीं है। यहां पर माननीय मंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं। यह जो धान खरीदी में व्यवस्था है, लोगों को आज तक विश्वास था, उसको अच्छा करें। अभी शनिवार और रविवार को छुट्टी है। अभी धान खरीदी हेतु 30-40 दिन बचे हुए हैं। अगर इस धीमी गति से धान खरीदी होगी तो फिर बाकी किसानों का क्या होगा? एक भी बड़े किसान की धान खरीदी नहीं हो रही है, छोटे किसान की धान खरीदी हो रही है, बड़े लोगों को बाद में आना है। माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं बोलकर इतना ही बोलना चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ को हिन्दुस्तान में धान खरीदी के मामले में धान का कटोरा कहा जाता है, लोगों को इस पर विश्वास था। अभी राजेश मूणत जी बोल रहे थे कि यह मिलर कौन है? हम तो ज्यादा समझते हैं कि शहर में मिल लगाने वाला सरगुजा का या बस्तर का आदिवासी हो, वह मिल तो ज्यादा नहीं लगाते हैं। आप भी सरगुजा से आते हैं। जो पार्टी बनिया लोगों की, अग्रवाल लोगों की पार्टी है, इस पार्टी में इन लोगों की

राईस मिल है। आज उन्हीं लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है? उन लोगों को आश्वासन दिये, हर बार उनको परेशान करोगे, फिर कैसे धान खरीदी होगी? इसलिए उन लोगों को भी कुछ लाभ मिले, फायदा हो, तब तो करेंगे। दोनों तरफ किसान परेशान, राईस मिल वाले परेशान और सरकार मजा ले और किसान उसकी तकलीफ पाये तो इसलिये मैं ज्यादा नहीं कहकर चूंकि धान खरीदी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है । भूपेश बघेल की सरकार आयी, 2500 रूपये का पूरे देश में नाम हुआ । आप लोगों ने उससे बढ़कर किया लेकिन अभी भी बहुत से लोगों को आशा थी कि हम लोगों को एकमुश्त पैसा मिलेगा । आप एकमुश्त की बात तो छोड़िए, अभी तक बैंक में पैसा नहीं है । उस समय कांग्रेस की सरकार थी । दो दिन में धान बेचते थे, पांचवा दिन कट से जाता था, फट से जाता था, अभी एक महीना हो गया लेकिन कुछ दिख ही नहीं रहा है तो इसलिये लोग बहुत नाराज हैं । मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए यह कहना चाहूंगा कि गरीब आदमी लोग इतनी मेहनत करते हैं, खेती में कितनी मेहनत होती है उसको मेहनत करने वाला आदमी जानता है । जब तक आदमी पाला लगायेगा, बोरा में भरेगा, मिट्टी में जाते साथ ही कितनी तकलीफ होती है, पानी-बरसात में और सारे कामों में बाल- बच्चे लेकर चूंकि अभी रोज़ी भी, अब रेट बढ़ा है तो रोज़ी भी बढ़ गई है तो उसको हम अगर पैसा नहीं देंगे तो कब देंगे इसलिए सरकार से आपके माध्यम से आदेश होना चाहिए कि तत्काल उन लोगों को पैसा मिले और तत्काल धान खरीदी पूरे लोगों को जैसा वायदा किए थे वैसा होना चाहिए । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने हेतु समय प्रदान किया इसके लिये धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यों से आग्रह है कि अभी 9 वक्ता हैं । कृपया समय का ध्यान रखें । 5-5 मिनट में अपनी बात रखें । श्री लालजीत सिंह रठिया जी ।

श्री लालजीत सिंह राठिया (धरमजयगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार और छत्तीसगढ़ के किसान अर्थात् हमारे छत्तीसगढ़ के आर्थिक रूप से जो उन्नति का साधन है वह हमारे किसान हैं और किसान जो है वह पूरे परिवार के साथ खेती-बाड़ी करता है, मेहनत करता है और खेती तब होती है जब मौसम जो है चालू होता है, पानी गिरता है, बारिश होती है, बादल कड़कता है, बिजली चमकती है तब किसान खेती करते हैं और पूरे चार महीना इसी तरह की स्थिति रहती है जब तक वह जुलाई में धान की फ़सल लगाता है और फ़सल के कटने तक किसान को मौसम की मार झेलनी पड़ती है ।

माननीय सभापति महोदय, ऐसी स्थिति में हमारी सरकार धान खरीदने का वायदा करती है कि हम किसानों का एक-एक दाना धान खरीदेंगे, किसानों का 21 क्विंटल धान खरीदेंगे और 3100 रूपये क्विंटल धान खरीदेंगे । जब किसान टोकन कटवाने के लिए जाता है तो वहां पर प्रबंधक के द्वारा उसको यह कहा जाता है कि सरकार इस बार 3100 रूपये क्विंटल धान नहीं खरीद रही है । आपकी गिरदावली के हिसाब से जो पटवारी बताएगा, तहसीलदार बताएगा उतने रकबे के हिसाब से आपकी धान खरीदी की

जाएगी और इसका मुख्य उदाहरण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में वहां पर टोकन कटता है और वहां किसानों को आंदोलन करना पड़ता है, हड़ताल करनी पड़ती है । वहां पर मुख्यमंत्री जी को जाकर बोलना पड़ता है किसानों के पास समितियों में कि हम 3100 रूपये क्विंटल धान खरीदेंगे । हमारे मुख्यमंत्री जी को सफाई देनी पड़ती है, यह स्थिति हमारे किसानों के साथ हो रही है । सभापति महोदय, आज किसान धान खरीदी केंद्र में लेकर जाता है, धान खरीदा, उसका टोकन कटता है लेकिन अभी वहां पर इतनी ज़्यादा धान की खरीदी जो है, 15 नवम्बर से चालू होकर आज हमारा 16 दिसम्बर हो चुका है । आज तक किसानों के धान का उठाव नहीं हुआ है । आज वहां पर काम करने के लिये आपके मज़दूर नहीं हैं । किसान अपने से मज़दूर लगाकर वहां पर छलनी करा रहा है और छलनी कराने के एवज में वहां पर अलग से भ्रष्टाचार हो रहा है । किसानों से प्रति क्विंटल 12 रुपए, आप जो है खुद काम करो या तो 12 रुपए छलनी करने के नाम से दो। सभापति महोदय, उसकी एवज में यही बात नहीं हुई, वहां पर किसानों से बारदाने की तौल में साढ़े चार सौ ग्राम वजन कम बताया जा रहा है। एक समिति की बात मैं आपको बता रहा हूं। मेरे क्षेत्र में 200 बोरी किसान धान लेकर गया और वहां पर किसान का 200 बोरी धान का 40 किलो वजन कराना है, वहां पर किसानों से 41 किलो वजन कराया गया। सभापति महोदय, उसके बाद उसको कितने बोरे की खरीद पर्ची दी गयी। 192 बोरी की खरीद पर्ची दी गयी। टोकन पर्ची कि आपका 192 बोरा धान खरीदा गया है। उसका जो आठ बोरा है, उसे जमा कर लिया गया। सभापति महोदय, इस तरह से किसानों के साथ अनियमितता हो रही है। हमारे यहां और ऐसी-ऐसी सोसाइटियां हैं, जहां पर जो प्रबंधक हैं, वे धान खरीदने के लिए तैयार नहीं हैं। सभापति महोदय, वहां प्रबंधक पर बी.जे.पी. के जो कार्यकर्ता हैं और जो पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा सोसाइटी केन्द्रों में दबाव बनाया जा रहा है कि आपको हमें इतना पैसा धान खरीदी की एवज में देना पड़ेगा। मोटरसाइकिल तक की मांग की जा रही है। तो इस तरह से आपकी सरकार में हो रहा है। सभापति महोदय, इसमें सुधार होना चाहिए। सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ की सरकार हमारी किसानों की सरकार है और किसानों से ही हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। जो भी खरीद-बिक्री हो रहा है, जो भी टैक्स मिल रहे हैं, वह सरकार को हमारे किसानों से ही आ रहा है। सभापति महोदय, इसलिए मैं चाहता हूं कि सही ढंग से सरकार किसानों की धान की खरीदी करे। उन्हें सही कीमत 2300 रूपये आज उनको मिल रहा है। इन्होंने वादा किया था कि किसानों से 3100 रूपये में धान खरीदेंगे। लेकिन अभी तक किसान चिंता में हैं कि जो हमको 3100 रूपये की दर कब मिलेगी? उन्होंने मजदूरी बढ़ाया, सब कुछ बढ़ाया यहां तक इस बार सोसाइटी से डी.ए.पी. मिली नहीं और उन्होंने मार्केट से बढ़े कीमत में डी.ए.पी. को खरीदा है कि हम किसान को सरकार 3100 रूपये प्रति क्विंटल देगी।

श्री धर्मजीत सिंह :- राठिया जी। आप बोल रहे है कि 3100 रूपये नहीं मिल रहा है। 3100 हम देंगे तो आप लेंगे या नहीं?

श्री लालजीत सिंह राठिया :- क्या?

श्री धर्मजीत सिंह :- 3100 रूपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान करेंगे तो आप लोगों के लिए लेंगे या नहीं?

श्री लालजीत सिंह राठिया :- क्यों नहीं लेंगे सियान? हमारी सरकार ने 2500 रूपये दिया था।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति जी, 3100 का आपका वादा था और आप बोले थे कि काउंटर लगाकर देंगे। पंचायतों में काउंटर लगाकर देंगे। लेंगे या नहीं लेंगे यह बहुत अलग बात है। लेकिन काउंटर लगाने की बात किये थे तुरंत देने की बात किये थे। एकमुश्त राशि की बात किये थे।

श्री धर्मजीत सिंह :- हम आपको घर पहुंचाकर देंगे।

श्री गजेन्द्र यादव :- सुनिए न, आप घर में बैठे हैं न आपको आने की जरूरत नहीं है। आपके खाते में पैसा आ जायेगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अभी तक किसी के खाते में नहीं आया है।

श्री गजेन्द्र यादव :- आयेगा न। पहले धान की खरीदी तो होने दीजिए।

श्री रामकुमार यादव :- ओ खाता के बात करथौ तो मोदी जी के 15 लाख के सुरता करथौ।

श्री धर्मजीत सिंह :- हम आपको घर पहुंचाकर देंगे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- दीजिए तो। आप तुरंत तो दीजिए। किसान लोग इंतजार कर रहे हैं।

सभापति महोदय :- धर्मजीत जी, आप बैठिए।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, 15 लाख देबो कहे रहिस उहू नहीं आये हे।

सभापति महोदय :- संगीता जी, आप खड़े होते हैं तो इधर से 4-5 खड़े हो जाते हैं, इसलिए आप बैठिए। (हंसी) आप अपनी बात को समेटिए और अपनी बातों को समाप्त कीजिए।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय सभापति महोदय, मैं समेटता हूं। ये कहने वाली बात है, करने वाली तो है नहीं। आदरणीय चाचा धर्मजीत सिंह जी कह रहे हैं। जब जोगी जी की सरकार थी, पहली बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी हमने सोसाइटियों में धान खरीदी केंद्र चालू कराया । तब से अब तक किसानों के धान खरीदते आ रहे हैं। उसके बाद भूपेश बघेल जी की सरकार बनी। आपकी 15 साल की सरकार रही, एक भी खरीदी केंद्र आप लोगों ने खोला नहीं, हमने पूरे प्रदेश में धान खरीदी केंद्र खोला। किसानों का कर्ज माफ किया। कर्ज माफ होने से किसान उऋण हुए और किसानों ने मंडियों में जाकर पंजीयन कराया। पंजीकृत कराने के बाद किसानों की संख्या बढ़ी। किसान फसल खेती करना सीखे। ये हमारी कांग्रेस की सरकार रही। भूपेश बघेल सरकार 2500 रूपया नहीं देती तो आज न उड़ीसा राज्य में, न छत्तीसगढ़ में 3100 रूपये किसानों को दे नहीं पाते। ये हमारे किसानों की आवाज है। आज भूपेश बघेल सरकार 2500 रूपये नहीं देती तो हमको 3100 रूपया नहीं बढ़ाती, बोलते हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार है। हम जो कहते हैं, वह वादा हम पूरा करते हैं। ऐसा नहीं कि आज

किसानों के साथ टाल-मटोल करने वाली बात हो। आज प्रबंधक वहां पर काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। अभी मेरे पास फ़ोन आया था कि हमनला छलनी मरवाथे कइसे करन गा विधायक जी। तो मैं कहेहव कि बात करबो प्रबंधक करा ता किहिस कि प्रबंधक कइसे करथस, तो कहाथे कि हां साहब कह तो पारे हो कहाथे।

श्री केदार कश्यप :- आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने 2500 रूपये दिया।

समय
4.00 बजे

श्री केदार कश्यप :- आप कह रहे हो कि आपकी सरकार ने 2500 दिया ।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- दिया ।

श्री केदार कश्यप :- 2500 में कितना दिया, यह तो बताओ ?

श्री लालजीत सिंह राठिया :- हर साल बढ़ता जाता था ।

श्री केदार कश्यप :- यह तो बताओ कि 2500 में कितना दिया ?

श्री लालजीत सिंह राठिया :- ऐसा नहीं है, केन्द्र में हमारी सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार भी रही है । आपकी यहां बीजीपी की सरकार थी, वहां से जो पैसा आता था ।

श्री केदार कश्यप :- 2500 में कितना दिया यह तो बताओ, मालूम ही नहीं है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- एमएसपी जोड़कर अंतिम खरीदी तक 2800 तक पहुंचा था, मंत्री जी ।

श्री केदार कश्यप :- अरे भइया, एक बार बस्तर का पता करके देख लेना । वहां आपकी सरकार के कार्यकाल में, आपकी पीसीसी के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के गृह क्षेत्र में 2022 में किसानों को डंडा मारा गया था । आप यहां किसान-किसान बोलकर रो रहे हो ।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- आपकी सरकार भी डंडा मारती है । आप बोलते थे किसानों को बोनस देंगे, समर्थन मूल्य देंगे । आप लोगों ने तो 2100 रूपए का वायदा किया था, क्यों नहीं दिया भाई ?

सभापति महोदय :- चलिए, लालजीत जी समाप्त कीजिए, आगे और वक्ता हैं।

श्री लालजीत सिंह :- मैं यही कहना चाहता हूं कि किसानों के धान की सही ढंग से खरीदी हो, उनको हर सुविधा मिले । वहां बारदाने की व्यवस्था हो । धान का उठाव हो, आज वहां रैक का रैक धान पड़ा हुआ है, उठाव नहीं होने के कारण, जाम होने के कारण वहां खरीदी नहीं हो रही है । मैं सरकार से चाहता हूं कि किसानों के लिए व्यवस्था करे और ठीक ढंग से धान खरीदी करे । सभापति महोदय, ग्राह्यता पर चर्चा के लिए आपको धन्यवाद् ।

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- माननीय सभापति महोदय, आज जिस बात को लेकर मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूं वह छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी समस्या है । इस छत्तीसगढ़ राज्य को धान के कटोरे के रूप में पूरे देश में जाना जाता है और यहां के किसानों की मेहनत और पसीने के चलते इसे धान के कटोरे के रूप में जाना जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों से जो वायदा किया, केवल प्रदेश नेतृत्व ही नहीं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की थी कि एक-एक दाना खरीदेंगे, किसानों को 3100 का दाम देंगे और ग्राम पंचायतों में भुगतान करेंगे । इतना ही नहीं, धान का एक-एक दाना खरीदने की बात हुई । आज किसानों के साथ कई तरह से कांटामारी की जा रही है । हमारे पूर्व वक्ता ने बताया है कि बोरी में कितने ग्राम प्रति क्विंटल कांटा मारा जा रहा है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं । मैं नई बात बताना चाहता हूं कि खरीदी केन्द्रों में इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगाया गया है । माननीय मंत्री जी इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि ढाई किलो से पांच किलो तक का कांटा मारा जा रहा है । 01 नवम्बर से धान खरीदी की शुरूआत होती थी, व्यापारिक दिमाग से किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसानों के पास धान रखने के लिए जगह नहीं है, उसके बावजूद 15 दिनों का विलम्ब होने से पहले ही धान में 2 किलो सूखत आ चुका है ।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, इलेक्ट्रॉनिक कांटा इनके कार्यकाल में खरीदा गया, यह भी तो बताएं । यह इस बात को क्यों छिपा रहे हैं । क्या उस समय से चोरी चल रही है ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति जी, हमारे समय में तो कांटा सही था, इनके समय में बदल गया है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मशीन का खेल आपने वोटिंग में की और अब धान खरीदी में कर रहे हैं ।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, मामाजी बोल रहे हैं जो है, जो है और क्या है यह तो बता ही नहीं रहे हैं ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मैं दूसरी महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूं कि जो धान खरीदी का औसत चल रहा है और धान खरीदी की जो नियत तिथि है, उसमें 50 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी नहीं हो सकती । जब चुनावी सभा में एक-एक दाना खरीदने की बात कही गई है तो अभी सरकार क्यों नहीं बोल रही है कि धान की नियत तिथि हम बढ़ाएंगे और एक-एक दाना धान खरीदेंगे । उसमें भी एक साजिश है, वह यह है कि जैसे जैसे धान की खरीदी लेट होगी, किसानों का धान एक-एक क्विंटल में 4-4, 5-5 किलो कम होगा । दूसरी साजिश, राईस मिलरों के साथ अगर समय रहते सरकार समझौता कर लेती, इतिहास में पहली बार इतना लंबा हड़ताल राईस मिलर किए हैं, इसका मतलब है कि वे तकलीफ में हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, वरिष्ठ सदस्य हैं, सदन को गुमराह कर रहे हैं। इनके द्वारा किये गये काले कारनामों के कारण यह स्थिति है। अगर यह बात कर रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। आप सदन को गुमराह मत कीजिए। मेरे पास जानकारी है कि आज दिनांक तक कितनी खरीदी हुई है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप बैठिए ना, मैं उसका जवाब दे रहा हूं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- हम लोग कस्टम मिलिंग का 120 रूपये देते थे, आपने 80 रूपये कर दिया, इसीलिए राईस मिलर परेशान हैं। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र यादव :- भैया कहां दिए, ले लिए। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- 40 का कट्टा आता था। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आपके जैसे हेरफेर करने वाला काम नहीं किए हैं। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, हम लोगों ने कस्टम मिलिंग का पैसा दिया था। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- सुशांत जी, बैठिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मंत्री जी, सक्षम नहीं हैं क्या ? आप बताईए ना। आप सदन में उपस्थित हैं। मंत्री जी बैठे हैं तो मंत्री जी जवाब दें ना। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, 2022-2023, 2023-24 का कस्टम मिलिंग आपने रोककर रखा है, उसको दीजिए। नहीं तो किसानों के साथ मिलर्स भी आत्महत्या करेंगे। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- द्वारिकाधीश जी, आप अपनी बात जारी रखिए। प्लीज आप लोग बैठिए।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, अगर ये 120 में थे तो जब 80 में तैयार हैं तो 40 का (व्यवधान) जाता कहां था। यह तो बताईए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मैं बता रहा हूं। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप मिलर्स को 120 तो दे दीजिए। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- सुशांत जी, टोटल कौन करता था, वह पता कर लेना।

श्री रामकुमार यादव :- ये दे छत्तीसगढ़ी में कहावत हे। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, अभी आपका इसके बाद है। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, 40 रूपये के चक्कर में छत्तीसगढ़ को एटीएम बनाकर समर्पित कर दिए। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- होटल मेफेयर में पूछना, 40 रूपये कहां जाता था।

सभापति महोदय :- द्वारिकाधीश जी, आप बोलिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, राईस मिलरों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी आप थे। यह सत्य है या असत्य है, आप बताएंगे, यह मीडिया में चली है।

80 रूपये में मिलर्स से साथ आपका समझौता हुआ और उसके बाद दूसरी बात आई। उनका ट्रांसपोर्टिंग का मामला और जो दो तीन मामला है, मैं वहां तक नहीं जाऊंगा। राईस मिलर और सरकार के बीच समझौता हो गया। माननीय सभापति महोदय, महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री जी जिस बात को बोल रहे हैं, वह केबिनेट में पारित नहीं हो रहा है। आखिर सरकार कौन चला रही है ? माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, किसी संघ के साथ समझौता के बाद वह अमल न हो....।

श्री अजय चंद्राकर :- ए ममा ते काबर भाषण देत हस। भाषण दे के काय कर डरबे। ते आराम से बैठ ममा।

श्री रामकुमार यादव :- चौधरी साहब, पास कर देओ साहब।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मुझे तो बोलने दीजिए। भांचा ते हा बईठ।

श्री अजय चंद्राकर :- ममा आराम से बईठ, भाषण दे से कुछ नई होय। चल बागबाहरा चलबो। (हंसी)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- चलेंगे ना। पहले कुरूद जाएंगे, फिर बागबाहरा जाएंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- कहां, इहां बिना मतलब के भाषण देत हस। ते ओखर चक्कत में दूसरा यादव के में मत रहा, ओ 500-500 के यहां ऊंच के गड्डी गड्डी में हे। तैं तीन जन्म लेबे तब ओतका ऊंच के गड्डी नई देख सकस। समझ गेस नहीं। ओ हा कोनो ला बताय नहीं। पूछबे ताहन मुंहू ला ऐती तेती करथे।

श्री रामकुमार यादव :- ए तो कुछु नो ए, बोरा में तोप के राखे हों, तैं चिंता मत करा।

सभापति महोदय :- अजय जी, प्लीज।

श्री अजय चंद्राकर :- ए ममा, बईठ तैं हा।

श्री सुशांत शुक्ला :- मैं बार-बार कह रहा हूं, 80 और 120। 40 का कहां गया। यह तो बताएं। 10 दिन बाद, 10 दिन बाद।

सभापति महोदय :- आप बैठिए ना, प्लीज इनको बोलने दीजिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं, जब इसमें जवाब आएगा तो यह जरूर जवाब आना चाहिए कि मिलर्स के साथ और मुख्यमंत्री जी के साथ जो समझौता हुआ था, वह केबिनेट में क्यों नहीं आया ? मैं मिलर्स के लिए इसलिए बोल रहा हूं, सरकार ऐसी होनी चाहिए, सबको लगे कि हमारी सरकार है। दूसरी बात, आज धान खरीदी में जो अव्यवस्था हो रही है, वह कहीं न कहीं सरकार और मिलर्स की टकराहट है। मेरे को अनदेशा है इसमें एक और साजिश है, माननीय मंत्री जी आप सचेत रहिए, यहां आंकड़ा आएगा, 5 हजार करोड़ का धान सड़ गया, चूहा खा गया, हेमाल ले गये, ये परिस्थितियां निर्मित होंगी।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, यह अपने कार्यकाल को बता रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- यह होगी। मैं आपको आगाह कर रहा हूं। इस नीति से सरकार का नुकसान होगा। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हमारी सरकार के कार्यकाल में धान का उठाव बहुत अच्छे से हुआ था। बोरा की भी कमी नहीं हुई थी। यह आपके कार्यकाल में हो रहा है। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, संग्रहण केन्द्र में धान को रखने के लिए भूसा नहीं है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप बैठिये। निषाद जी, इसके बाद आपका नंबर है।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन last में इही सब ला बोलिहो। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- यह इनके कार्यकाल में हो रहा है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- द्वारिकाधीश जी, 10 मिनट हो गये। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, मुझे आपका सचेतक बोलने ही कहां दे रहा है।

सभापति महोदय :- आप उधर क्यों देखते हैं? आप इधर देखकर बोलिये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मैं आपको ही देख रहा हूं, लेकिन वह मुझे उधर देखने के लिए मजबूर कर देते हैं।

सभापति महोदय :- आप उधर बात मत कीजिए। आप इधर बात कीजिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- वह हमारे भांजा इधर आने के लिए कह रहे हैं।

श्री आशाराम नेताम :- एक तरफ यह बोलते हैं कि धान को चूहा खा गया और दूसरी तरफ बोलते हैं कि धान की खरीदी नहीं हो रही है। धान को कहां से चूहा खाया? (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आशाराम जी, आप बैठिये।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, आप ओती ला थोड़ा दबाओ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, पूरे सत्ता पक्ष और हर किसी को इसपर बोलना है। आप स्थगन की ग्राह्यता पर चर्चा करवा रहे हैं, इससे अच्छा तो पूरी चर्चा ही करवा लीजिए। वह पक्ष भी भाग ले लेगा और हम भी भाग ले लेंगे। आप इस पर एक बार पूरी तरह से चर्चा करा लीजिए। फिर हम सब लोग इस चर्चा में भाग ले लेंगे।

सभापति महोदय :- आप बोलिये। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता की चर्चा में हमारे बीच अब तक जो बातें आ चुकी हैं, जो सभी सदस्य बोल रहे हैं तो जो बातें छूट गई हैं या जो तथ्य बच गये हैं, उसपर आप ज्यादा फोकस करें। सभी सदस्य एक ही बात को बार-बार न दोहराएं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में स्वीकार कर लिया है कि जो बोरा आया है, उसमें वजन वास्तव में कुछ में ही ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कुछ संख्या 250 या कितनी बतायी है। आपने 250 बोरे को वापस किया। केवल 250 बोरे आये तो हम यह चाहते हैं कि कम्प्लीट सोसायटी में कम्प्लीट जितने बारदाने आये हैं, उसकी आप विधायक दल से जांच करवाने के लिए क्यों सहमत नहीं हैं? आपको क्या परेशानी है? हम तो आपके हित में बोल रहे हैं। यदि बोरी गलत आयी है तो आप उसको वापस कर दीजिए। आखिर ऐसी क्या व्यवस्था है? मैं समझ रहा हूं कि आप इसको बोल नहीं पा रहे हैं। उसकी सप्लाई दिल्ली की सरकार मोदी जी के खास आदमी के द्वारा की गई है। आप उसको वापस करने की स्थिति में नहीं हैं। (शेम-शेम की आवाज) केवल और केवल दिखावा के लिए 250 की संख्या को वापस किया गया है। माननीय सभापति महोदय, हर भण्डारण में आज ऐसी अव्यवस्था है। 19 तारीख से हर प्रभारी लोग हड़ताल पर जाने वाले हैं। आज की परिस्थिति में मेरे विधान सभा क्षेत्र में 5 ऐसी सोसायटी हैं, जहां पर धान खरीदी बंद हो चुकी है। आप जिले के प्रभारी मंत्री हैं। आप पता कर सकते हैं। हर रोज 3 या 4।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- सभापति महोदय, आपको कैसे मालूम है कि 19 तारीख से वह हड़ताल पर जाने वाले हैं?

श्री सुशांत शुक्ला :- लगता है कि यही हड़ताल करवा रहे हैं।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- मतलब, इसके पीछे कहीं आप लोगों का तो हाथ नहीं है ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मंत्री जी, आप मंत्री हैं। उनका ultimatum है। उनके यूनियन का बयान है।

सभापति महोदय :- द्वारिकाधीश जी, आप समाप्त कीजिए।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- राठिया जी, आप बोल चुके हैं। द्वारिकाधीश जी, आप बोलिये।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, मैं केवल 1 मिनट बोलना चाहूंगा।

सभापति महोदय :- नहीं। यह प्रश्नोत्तरी नहीं है। सवाल-जवाब नहीं कर सकते हैं। राठिया जी, आप बैठिये।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- आप भी राइस मिलर हैं। आपके बगल में खाद्य मंत्री जी बैठे हैं। आप लोग कम्प्रोमाइस क्यों नहीं कर पा रहे हैं ?

सभापति महोदय :- राठिया जी। द्वारिकाधीश जी, आप समाप्त कीजिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सही बात तो यह है कि व्यक्तिगत रूप से जायसवाल जी तो 130 चाहते हैं।

श्री रामकुमार यादव :- आप जायसवाल जी से सवाल नहीं पूछ सकते हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अपनी बात समाप्त करने के पूर्व फिर से निवेदन कर रहा हूं कि मिलर्स और मुख्यमंत्री जी के बीच जो समझौता हुआ है, वह केबिनेट में पारित क्यों नहीं हुआ ? मुख्यमंत्री जी यूनियन के साथ समझौता करके उस बात को लागू क्यों नहीं कर रहे हैं ? यह जवाब जरूर आना चाहिए। आपने बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जय जवान-जय किसान।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, हमारे मामा जी अपनी बात बोल नहीं पा रहे थे और अपने अंदर की पीड़ा नहीं बता पा रहे थे। जो बार-बार बोलना चाह रहे थे।

सभापति महोदय :- सुशांत जी, आप बैठिये। नहीं तो फिर आपको इधर बैठना पड़ेगा। इन्द्रशाह मण्डावी जी। (हंसी)

श्री इन्द्रशाह मण्डावी (मोहला-मानपुर) :- आदरणीय सभापति महोदय, आज किसानों के साथ जो छलावा हो रहा है, उसके संबंध में मैं बोलना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूं। मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी में लगभग 5 दिन से पूरी सोसायटी बंद हैं, जो कि किसानों के साथ बहुत बड़ा छलावा है। (शेम-शेम की आवाज) अब ऐसे में कैसे चलेगा ? साथ ही साथ वहां पर एक अनियमितता और हो रही है कि जैसे हम लोगों को 50 प्रतिशत बारदाना लाने के लिए बोला जाता है। 50 प्रतिशत बारदाना लेकर आओ, उसके बाद धान लेंगे, कहा जाता है। हम लोग 50 प्रतिशत बारदाना लेने के लिए पहले सेठ लोगों के पास धान बेचने जाना पड़ता है। जब हम सेठ के पास 5 बोरी, 10 बोरी धान लेकर जाते हैं तो वहां अधिकारी लोग पकड़ लेते हैं कि ये कहां से लेकर आये हो, उसका प्रूफ दो, ये करो, वो करो। इस तरह अभी बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद हम बारदाना लेंगे, वह बारदाना भी 20 रूपये में नहीं मिल रहा है, 40 रूपये, 50 रूपये, 60 रूपये तक में बारदाना ले रहे हैं। जबकि हमको 25 रूपया देने की बात कर रहे हैं और 25 रूपये भी कब देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं अपने क्षेत्र के साथ पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं। यह किसानों के साथ अन्याय है। किसान हमारे अन्नदाता हैं और हम किसान का ही अन्न खाते हैं। जिसका खाये अन्न उसका रहे स्वस्थ तन, मन। इस तरह किसानों के साथ ऐसा काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो मोदी की गारंटी और विष्णुदेव का सुशासन बोलने के लिए रोज खड़े होते हैं। परन्त यहां पर कोई सुशासन नहीं है ना कोई गारंटी है, इसकी वारंटी भी नहीं है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि इसको ग्राह्य किया जाकर इस पर चर्चा कराई जाये।

सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र की एक और बात बताना चाह रहा हूं। औंधी नाम की एक सोसायटी है, गोटाटोला नाम की भी एक सोसायटी है। औंधी सोसायटी में एक व्यक्ति का 84 कट्टे का टोकन कटा, जब वहां पर धान लेकर गया तो वहां जो धान की तौलाई करता है, बोरी की गिनती करता

है, उसने 120 क्विंटल का बनाया। उसमें 136 कट्टा अपनी तरफ से मिला दिया। जबकि वहां पर 136 कट्टे का कोई अदान-प्रदान नहीं है। उसकी शिकायत करने के लिए एस.पी. के पास गये तो एस.पी. ने कहा कि यह तो भा.ज.पा. वाले हैं, यह छोटा सा कर सकते हैं। तो इस तरह ये शासन के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। वैसे ही गोटाटोला सोसायटी में किसान धान लेकर भी नहीं गया है और 3 सौ कट्टा लिख दिया गया था। किसान ने मुझे लिखकर दिया है, यदि आप अनुमति दे तो मैं दोनों किसानों की शिकायत पटल पर रख सकता हूं। स्वीकार भी किये हैं और दिए भी हैं। 3 लाख 72 हजार सरकार का घाटा हो रहा है। इस तरह बहुत सारी अनियमितताएं पाई जा रही है। वहां भा.ज.पा. के द्वारा जो अध्यक्ष बनाया गया है, उपाध्यक्ष बनाया गया है, उनके द्वारा भारी अनियमितताएं की जा रही हैं। मैं स्थगन ग्राह्यता पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और अपनी बात को रख रहा हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुण्डरदेही) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा लाये गये स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

किसान को धरती का भगवान कहते हैं और छत्तीसगढ़ धान का कटोरा के नाम से विख्यात भी है। लेकिन आज ये धरती के भगवान वर्तमान सरकार से, प्रशासनिक व्यवस्था इतनी पीड़ित हो चुकी है, वह जाये तो जाये कहां ? राईस मिलर्स परेशान, किसान परेशान, जनता परेशान, चुनाव में जो वादा किये थे, बड़ी-बड़ी बाते किये थे, 3100 रूपया प्रति क्विंटल पंचायत के माध्यम से धान खरीदने का वादा किये थे, लेकिन आज दिख रहा है कि धान खरीदी केन्द्रों पर क्या स्थिति है, समितियों में है। हम रोज 4-5 समितियों का दौरा करते हैं, वहां किसानों के साथ अमूमन बातें हो रही हैं, उनके साथ छलावा हो रहा है, 2300 रूपये में धान खरीदा जा रहा है, मोटा-पतला धान का कोई मापदण्ड नहीं है। अभी हम लोग भानुप्रतापपुर दौरे में गये थे, माननीय सावित्री मण्डावी जी के विधानसभा क्षेत्र में गये थे, केवटी नाम से एक धान खरीदी केन्द्र है। वहां 6 पंचायत के लगभग 26 गांव के लोग अपना धान लेकर आते हैं, लेकिन 3 दिसम्बर तक धान की खरीदी चालू नहीं हुआ था। जिस दिन हम लोग गये, उसी दिन वहां धान की खरीदी चालू हुआ। एक तो आपको 1 नवम्बर से धान खरीदी चालू करना था, लेकिन आपने 14 दिन बाद चालू किया, 3 दिन छुट्टी हो गई और विधिवत रूप से धान खरीदी चालू माना जाये तो 18 तारीख से धान की खरीदी चालू हुआ। उसके बाद भी वहां केवटी धान खरीदी केन्द्र में धान खरीदी चालू नहीं हुआ था और वहां 3 दिसम्बर को धान खरीदी चालू हुआ है। आप सोचिये, आपके सरकार के द्वारा यह स्थिति निर्मित है। किसानों को कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। वहां की समिति के लोग लगभग 28 से 30 लाख रूपये गबन किये हैं। समिति के लोग वहां अंदर हैं, लेकिन उसका खामियाजा किसान भुगत रहे हैं, क्योंकि वहां धान खरीदी नहीं हो रही है । सभापति महोदय, उसके बाद हम लोग गये पुरी, वहां पता चला कि किसानों से 41 किलो 500 ग्राम धान खरीदा जा रहा है । आपके परिमाप के हिसाब से 40

किलो और 700 ग्राम तक भी लेंगे तो चलेगा । सभापति महोदय, सोचिये कि 300 और 500 ग्राम यानी 800 ग्राम प्रति बोरे के हिसाब से और क्विंटल के हिसाब से आप सोच लीजिए। सभापति महोदय, प्रदेश भर में यह स्थितियां निर्मित है, उसके बाद भी आप लोग बोलते हैं कि विष्णु का सुशासन है तो इससे बड़ा कुशासन कहीं दिख नहीं सकता ? आपने जो लगातार कहा है कि 3100 रूपये में धान खरीदेंगे तो खरीदये, लेकिन अंतर की राशि कब देंगे, इस बारे में आपके पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है और न ही कोई तारीख है ? सभापति महोदय, एम.एस.पी. के बारे में तो बोल ही नहीं रहे हैं, 117 रूपया जो एम.एस.पी. आप देंगे, वह वाकई उसके साथ देंगे कि नहीं देंगे, आप देते हैं तो 3100 के साथ 3217 होगा । उस बारे में भी आप चर्चा नहीं कर पा रहे हैं ? रही बात आपके राईस मिलर्स की, आपके राईस मिलर्स एसोसियेशन के अध्यक्ष का एक विडियो में बयान जारी हुआ है कि भाजपा की वर्तमान सरकार द्वारा किसानों के साथ-साथ राईस मिलर्स को भी परेशान किया जा रहा है, यदि सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं बनी तो ऐसा हो सकता है कि राईस मिलर्स को आत्महत्या करना पड़े । यह राईस मिलर्स ऐसोसियेशन के अध्यक्ष का बयान है, इसे चाहे तो मैं पटल पर रख सकता हूँ ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- इससे अच्छा कांग्रेस की सरकार थी, वह भी अध्यक्ष जी बोल रहे हैं और वह [xx][5]

श्री कुंवर सिंह निषाद :- यह भी उन्होंने कहा है ।

सभापति महोदय :- द्वारिकाधीश जी, आप अपने समय में बोल चुके हैं, आप अपने जगह पर भी नहीं है ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, उसके बाद सबसे बड़ी बात यह आती है कि लुआई चालू है, कटाई चालू है, आपको अपने राजस्व विभाग के अधिकारी पर भरोसा नहीं रहा है । गिरदावरी करने के लिये महिला आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता जा रहे हैं, मास्टर लोग जा रहे हैं, अनुविभाग के कर्मचारी जा रहे हैं, यह स्थितियां निर्मित है । उनको एप्स दे दिया गया है, वह एप्स में डाऊनलोड करके भेज रहे हैं, उनको यह पता नहीं है चांदामुनारा क्या है, कोना क्या है, प्रदेश में यह स्थितियां निर्मित है कि आपको अपने सरकारी कर्मचारियों के ऊपर भी भरोसा नहीं है । सभापति महोदय, मैं आपको मेरे विधान सभा की बात बता देता हूँ और पूरे बालोद जिले की अगर बात करूं तो लगभग 139 खरीदी केन्द्रों में दो दिनों के बाद लगभग ताला लगने वाला है और केवल आपके परिवहन व्यवस्था के कारण बहुत से खरीदी केन्द्रों में अभी ताला लग चुका है और खरीदी बंद है । छत्तीसगढ़ कर्मचारी संघ जिला बालोद ने आवेदन भी दिया है कि 18 तारीख तक आप परिवहन नहीं करेंगे तो पूरे धान खरीदी केन्द्रों में ताला लग जायेगा । यह स्थिति बालोद जिले में निर्मित है। सभापति महोदय, आपकी सरकार के द्वारा जो स्थिति लगभग हर धान खरीदी केन्द्रों में निर्मित है, आप उससे कैसे निजात दिलायेंगे, कैसे छुटकारा लेंगे, यह

[xx][5] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

सबसे बड़ी बात है । सभापति महोदय, बालोद जिला में जो संग्रहण केन्द्र है, वहां पर भी ट्रक की लाईने लगी है और कतार में खड़े हैं । संग्रहण केन्द्रों में जहां पर धान रखते हैं, वहां पर रखने के लिये आपके पास भूसा नहीं है । वहां ट्रक दो दिन से खड़े हैं । राईस मिलर्स परेशान है, उसके बाद आपके कर्मचारी, आपके अधिकारी, दो नये संग्रहण केन्द्र खोलने के लिये जगह तलाश रहे हैं और वहां पर मुआयना कर रहे हैं । आप पहले की व्यवस्था बना लीजिए और उसके बाद दूसरी व्यवस्था पर बात करिये। सभापति महोदय, यह जो पूरी व्यवस्था की जा रही है, धान खरीदी केन्द्र के संग्रहण में ले जाने का हो और संग्रहण केन्द्र में जो डम्प हो जायेगा, उसके बाद प्रति किलोमीटर के हिसाब से फिर आप लोग तय करेंगे कि राईस मिलर्स कितने में वहां से उठाकर ले जायेगा । सरकार का जो इतना नुकसान होगा, उसके लिये जिम्मेदार कौन होगा, उसकी भरपाई कौन करेगा, इस संबंध में भी आप लोगों को सोचना पड़ेगा। यह बड़ा खेल होने वाला है । हमारे भाई द्वारिकाधीश जी निश्चित ही संग्रहण केन्द्रों में जो घालमेल होगा, चूहा खागे, खीज गे, जरई आगे, हजारो क्विंटल धान आपकी अवस्था के कारण बरबाद होने के कगार पर है ।

सभापति महोदय :- निषाद जी, आपकी बात आ गई है । समाप्त करें ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, आपने कहा कि 100 लाख 60 हजार मिट्रिक टन धान खरीदेंगे, अभी तक आपने 50 लाख मिट्रिक टन धान खरीदा है । 110 लाख मिट्रिक टन धान खरीदी की व्यवस्था जिस प्रकार से आप नहीं कर पा रहे हैं, उससे संभव नहीं है कि आप लोग इसे खरीद पायेंगे । सभापति महोदय, जिस प्रकार से अव्यवस्था आपने पैदा की है और पहली बात एक चीज और कि सार्वजनिक मंच में आपके वर्तमान उप मुख्यमंत्री जी ने बड़ी-बड़ी बातें की थी कि हम किसानों का दो लाख रूपए तक कर्ज माफ करेंगे । उसकी न कोई बात आती है, न पटल पर रखा जाता है, न कोई ध्यान देते हैं । आपने किसानों को गुमराह करने के लिए ऐसी बातें की हैं । इसका खामियाजा आज किसान भुगत रहा है, सड़कों पर घूम रहा है, अमानक बोरे की बात आई है, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने बोरे के संबंध में बातें कही हैं, लेकिन यह डबल इंजन की सरकार है, वहां से भेजे हुए बोरों पर खामियां नहीं दिखा सकते, भले ही वह 480 ग्राम का बोरा है, लेकिन इनको 545 ग्राम ही दिखेगा तो यह स्थिति पूरे छत्तीसगढ़ में आज निर्मित है । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस हिसाब से आज छत्तीसगढ़ में किसानों के हालात हैं, किसानों के साथ जो परिस्थितियां निर्मित हैं, उन परिस्थितियों के लिए कौन जिम्मेदार है, उसकी भरपाई कौन करेगा ? इस संबंध में प्रशासनिक रूप से हो या विभागीय माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके, आप व्यवस्था बना लीजिए । नहीं तो किसान एक बड़ा आन्दोलन करेंगे, आपकी पूरी खरीदी व्यवस्था ठप हो जाएगी, पूरे धान खरीदी केन्द्रों में ताला लग जाएगा और इस हिसाब से आपकी व्यवस्था कहां तक

ठीक है और आपने जो बातें की हैं, उसे आप किसानों के हित में करना चाहते हैं तो आपने जो वादा किया है, उसे पूरा करें । धन्यवाद ।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- धन्यवाद सभापति महोदय । सबसे महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आज ये सदन में हम सब बइठे हन और पूरा प्रदेश भर ह आज यह चर्चा ला देखथे । चूंकि देश में छत्तीसगढ़ के पहिचान अगर हे तो किसान मन से हवय तो आज मैं वह बात याद करथौं । ए देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी कहे रिहीस हवय - जय जवान, जय किसान और यह बात ला केहे रिहीसे, ओ समय जे प्रदेश में किसान खुश हे, अउ जे देश में जवान खुश हे, ओ देश अउ प्रदेश ला आगे बढ़े से कोई रोक नहीं सकय । ऐला पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ह कहे रिहीसे । आज लेकिन मैं एक जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार ला देखत हवव तो मोला ताजुब्ब लगत हवय अउ जतका ये किसान मन ह ये बात ला महसूस करथें अउ सरकार में बईठइया मन सुनव, ये पहिली सरकार अइसना हे, जे सरकार में किसान मन ह दर-दर के ठोकर खात हें अउ दारू पीने वाला मन बर तुमन ए.सी., पंखा और कुलर लगात हवव । एक पहिली सरकार हे, जेन दारू भट्ठी में, मंत्री जी, सुन लौ, दारू भट्टी में आप मन पंखा, ए.सी. अउ कुलर लगात हवव, ताकि कोई दारू पीने वाला आए तो ओला कोई घबराहट मत होवय, ओला बइठेबर असुविधा मत होवय । वाह रे मेरे सरकार । अउ जे किसान ह धरती ला सीना ला चीर करके अन्न उपजावत हवय, ए मेर बड़े-बड़े अधिकारी बइठे हवय, प्रमुख सचिव मन बइठे हें, काकरों दो लाख, तीन लाख वेतन हे, लेकिन खाबो तो अनाज ला ही खाबो न, पईसा ला थोड़ी खाबो ।

श्री सुशांत शुक्ला :- तोर तो ओतना महीना में आवत रिहीसे ।

श्री रामकुमार यादव :- तुहर हिसाब-किताब ला तो मैं जानत हवव, चिन्ता मत करौ । (हंसी) ये गरीब सबके बारे में जानत हे । अउ ई.डी., सी.डी. कतेक दिन ले बइठे रहिही । जे दिन हमर हाथ में आ जहि, तेन दिन तुंहर फिडी निकल जही ।

सभापित जी, ये हंसी-मजाक करथे, लेकिन सुन लौं । छत्तीसगढ़ के जनता सबला महसूस करथें । दारू के भट्ठी से निकलत हवय तो आज जनता ह नहीं देखथे का कि ओमा ए.सी. लगाए हव तेला अउ किसान धान बेचे बर जावथे, ओ दर-दर के ठोकर खात हे, ओला नहीं महसूस करथें, अईसे बात नो हवय, लेकिन तुमन जनता ला भड़का के चुनाव ला जीत जात हवव तो अईसे लगथे कि बहुत बड़ा तोपचंद बन जावत हवव । ठीक हे, तु मन ला वईसने कुर्सी मुबारक हो, लेकिन आह लगही, ओ किसान जेन दिन कहिही कि तुमन हमर मन के धान ला खरीदे नहीं सकत हवव तो तुहर कुर्सी के का मतलब । सभापति जी, एकर खारित मैं कहना चाहथौं कि ए सदन में हमन अतका दिन ले सुने रेहेंन कि इहां के जो घोषणा होथे, ओ हर कानून हे । महात्मा गांधी जी देश का आजाद करिस, बाबा साहब अंबेडकर जी ह कानून बनईस । ए सदन प्रदेश के सबसे बड़े सदन हे, ए ह जेन कहिथे, तेन कानून ए । हमर चौधरी

साहब आए हे, एक कनिक बईठे रिहिसे, अभी कहां गे हे अउ ओ कलेक्टर घलो रिहीसे। गरीब किसान के दुश्मन हे, मैं अईसने नहीं कहात हवव । यहीं पर केहे रिहीसे कि मेरे छत्तीसगढ़ में जितने लोग इंदिरा आवास बना रहे हैं, सबका रेता फ्री है कहि दे रहिसे। पूरा लोक सभा चुनाव में गरीब आदमी मन वोट ला दे दीन। एखो जगह रेत फ्री होयेहे? ये सदन में बइठे हुए मंत्री हो, भले ठीक हे, तुम्हर सत्ता हवय, ज्यादा गोठियाहूं त मोर जगह छापा मरवा देहू, बार-बार कहत हंव, कोई बात नई हे, लेकिन आप मन ये बात याद रखिहा कि ओ गरीब आदमी, वो इंदिरा आवास पाने वाला भले बोल नई सकत हे, तूमन सपना देखाए रहेव रेत के।

श्री सुशांत शुक्ला :- छापा घर में नहीं रेस्टहाऊस में पड़थे।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, विषय पर बोलिए। रेत का विषय नहीं है, किसान का विषय है।

श्री रामकुमार यादव :- विषय इहिच हरे। गरीब अऊ किसान एकेच हे महाराज। किसान ह तो गरीब हे। आज मैं आप ला कहना चाहत हों, आज ये मन के सरकार बनिस, एकठन सोसायटी नई खोल पाइन। मोर भूपेश बघेल जी के सरकार रहिस, मोर चरण दास महंत जी ह अध्यक्ष रहिस, किसान हितैषी सरकार रहिस ते ह प्रदेश में अतकाकन सोसायटी खोलिस कि किसान मन आज जाके कथे कि आज इमन के सरकार रहिस त खुलिस हे अऊ ऐमन ह सोसायटी ला बंद करे के काम करत हे। वाह रे मेरे हितैषी सरकार हो। लेकिन आज मैं आप मन ला कहना चाहत हौं, छत्तीसगढ़ी में कहे गेहे कि “जीत गए तो इतराना मत और हार गए तो घबराना मत”। भले तूमन जीत गे हौ, सत्ता तुम्हर साथ में हवय लेकिन किसान ला अतेक दबावव मत। सभापति जी, किसान मन के बात ला अपन क्षेत्र में देखो कि अपने खुद के पइसा ला लेबर तीन बजे रात के उठके जावथे काबर कि ओला अपन बेटी के शादी करे बर हे, फलदान करे बर हे। ओमन बर तीन बजे रतिया में जाकर के पइसा ला झोकावथे अऊ ओखर बावजूद कहत हे कि हमर विष्णुदेव जी के सरकार अऊ विष्णुदेव जी भगवान हा छीरसागर में गहरा नींद में सूते रहिस, तइसने येमन गहरा नींद में सूते हवय। जागा मोर प्रभू हो, जागा-जागा। छत्तीसगढ़ में हाहाकार मच गेहे। “सूते मत रह बोर्री में तेल लगाके”।

सभापति जी, आज इस अवसर पर मैं कहना चाहत हौं कि छत्तीसगढ़िया आदमी बहुत सीधा सादा हवय लेकिन जब वो भड़क जाथे, अब ये दारी आंदोलन होही त ओला कांग्रेस आंदोलन झन कहिहो। ये किसान मन आंदोलन करिही अऊ खाद्य मंत्री के घर में जाहि त ओला भूपेश बघेल के नाम झन ले ह कि वही भेजे रहिस करके। जब वहां जाकर हमर सतनामी समाज के भाई मन आंदोलन करथे, उहू में हमर भूपेश बघेल जी के नाम लेथो, हमर देवेन्द्र यादव जी ला जेल में बोथ दे हा। मैं आपसे कहना चाहत हौं कि छत्तीसगढ़ ला आंदोलन करे बर आप मन मजबूर कर देवथो। ऐखर खातिर आपसे प्रार्थना है। मैं ज्यादा समय नइ लेवंव। मैं एक शब्द अऊ बोलहूं सभापति जी कि अभी मूल किसान ह परेशान हे

त अधिया, धोधिया रहने वाला गरीब किसान के का गति होही। जइसे तू सभापति बनगेहा, हमर खाद्य मंत्री जी हा मंत्री बन गेहे ओखर जमीन ला गांव के गरीब मन बोथे खाथे ये कहके कि मालिक तू तो मंत्री बनगेहा बड़का प्रदेश के त तुम्हर खेत ला हमन ला बोवन देवव। अब गरीब आदमी जेखर एक चास जमीन नई हे, हमर गौटिया साहब के खेत ला बो लीस। अब ओला बेचे त बेचे कहाँ। जब मूले किसान के धान नई बिचात हे, ओ बिचारा के दुख ला कौन देखिही। काबर कि मैं भी किसान नो हों। मैं गरीब घर के हों। जब मैं फारम भरेंव त मोर जमीन एक टुकड़ा नई रहिस। अऊ आज सदन के माध्यम से भी कहत हौं कि आपमन देख सकथौ मोर एक चास जमीन नई हवय, त गरीब के बात ला मैं महसूस करत हौं। त मूल किसान के साथ साथ में ओ रेगहा, गहना-गूठा करके जिन्दगी जीयत हे, त उहू मन के चिन्ता करव कि ओला कइसे आप मन आगे बढ़ा सकथव। आप मोला बोले के मौका देय, आपके भावना ला मैं समझथंव। आप अइसने बोले के मौका देत रहिहौ, गरीब के बात हे। आप ये मन के बात में मत फसिहौ, सभापति जी, ऐखर लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्रीमती संगीता सिन्हा जी, आप कम समय में ठोस बात के साथ समाप्त कीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति जी, आप संगीता जी को बहुत बढ़िया मौका दिए। मुझे लग रहा था कि ये लोग महिला विरोधी हैं, खुद ही खुद बात कर रहे हैं, एक भी महिला को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- महिला विरोधी हमन नहीं, तूमन हवव। हमर मोदी जी हा छोड़ दे हे। हमन विरोधी हन कि तूमन विरोधी हो?

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- आदरणीय सभापति महोदय, हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को ग्राह्य कर आपसे चर्चा की मांग कर रहे हैं और ये पूरे छत्तीसगढ़ के धान खरीदी का मामला है। हमने देखा कि जब से विष्णुदेव साय की सरकार आई है, तब से धान खरीदी पर बोला जाए तो हम नहीं बल्कि पूरी जनता पिछले पंचवर्षीय से तुलना कर रही है। हमारे पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में जो धान खरीदी हुई, उसे लोग याद कर रहे हैं। इससे हमको भी गर्व महसूस होता है। लोग यह समझ रहे हैं कि हमारा कार्यकाल बहुत अच्छा था। आज विष्णु देव साय जी की सरकार है। जब इस सरकार में धान खरीदी शुरू हुई तो धान खरीदी को लगभग एक सप्ताह हुआ था और किसान भाई लोगों से 50 प्रतिशत बोरे की मांग की गयी थी और जब उसकी सुनवाई नहीं हुई तो किसानों ने बोलना शुरू किया। उसके बाद लोगों ने वहां विधायकों को बुलाया। उसके बाद जब हमने वहां जाकर बात की तो वहां के किसानों ने बताया कि बोरे का मूल्य 50 रूपये हो गया है और पूरे मार्केट में बोरा उपलब्ध है परंतु सोसायटी में बारदाना नहीं है। एक सप्ताह में बारदाना कैसे खत्म हो सकता है ? उसके बाद जब वजन को देखे, तो जो भी वजन होना चाहिए वह सिस्टम से होना चाहिए। अधिकारियों ने

जो वजन तय किया था, उसके अनुसार 40.600 कि.ग्रा. या 40.700 कि.ग्रा. वजन धान लेने का नियम था। लेकिन जब हम सोसायटी में गये तो वहां पर 41.300 कि.ग्रा., 41.400 कि.ग्रा. और 41.500 कि.ग्रा. तौला जा रहा था। जब हमने उनका विरोध किया तो उनका कहना था कि ऊपर से आदेश है। सभापति महोदय, यह आदेश करने वाला कौन है ? मैंने वहां सोसायटी में कहा कि यहां पर बोर्ड लगाईये कि 40.600 कि.ग्रा. और 40.700 कि.ग्रा. से ज्यादा धान किसी को नहीं लेना है, लेकिन किसी ने इसका पालन नहीं किया। इसका मतलब किसानों से सूखत की भी वसूली की जा रही थी। यह पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे विधान सभा क्षेत्रों का मामला है। जब मैंने बाकी विधायकों से बात की तो वहां पर भी 41.400 कि.ग्रा. और 41.500 कि.ग्रा. धान लिया जा रहा है। किसान एक-एक दाना उपजाता है और सरकार उसको फोकट में ले ले रही है। आज सुबह से बोरी के विषय में चर्चा हो रही है। उसमें भी विष्णु देव साय जी की सरकार ठगने का का काम कर रही है।

सभापति महोदय, मैं सरकार के समर्थन मूल्य में एकमुश्त राशि देने वाले वायदे पर चर्चा करना चाहूंगी। यह जो विष्णु देव साय जी की सरकार है, इन्होंने घोषणा की थी कि पंचायत में काउंटर लगाकर धान का 3100 रूपये समर्थन मूल्य देंगे और एकमुश्त राशि देंगे। मैं एक बात पूछना चाहती हूं। यहां जो सदस्य बैठे हैं, उन्होंने पुष्पा-2 फिल्म देखी होगी ? यदि आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग जाकर देख लीजिए। वहां पर फिल्म में जब इंटरवेल होता है तो उसमें बड़ा-बड़ा पोस्टर आता है कि एकमुश्त राशि 3100 रूपये प्रति क्विंटल। अब आप हमें बताईये कि आप कहां पर एकमुश्त 3100 रूपये प्रति क्विंटल राशि दे रहे हैं ? सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इसका जवाब चाहूंगी कि आप इंटरवेल में एकमुश्त राशि का विज्ञापन चला रहे हैं। यह मैसेज पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में जा रहा है लेकिन किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है क्योंकि उनको प्रति क्विंटल केवल 2300 रूपये की राशि मिल रही है। यह बहुत बड़ी बात है।

सुश्री लता उसेण्डी :- संगीता जी, पुष्पा-2 के साथ साबरमती भी देख लीजिएगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, हम उसको भी देखेंगे लेकिन उस फिल्म में एक डायलॉग है कि मैं झुकता नहीं। इसके आगे का शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी। यहां तो जनता के सामने सरकार ही झुक गयी है। सभापति महोदय, बहुत सारी बातें हैं, जिनको हमारे वक्ताओं ने कहा हैं। मैं मिलर्स की तरफ से बात करना चाहूंगी कि उनकी कस्टम मिलिंग की जो वर्ष 2022-23 और 2023-24 की राशि है, उसको आपने नहीं दिया है। वह राशि लगभग 4000 करोड़ रूपये है। अब वे बेचारे अपना घर देखे कि आपको देखे। सभापति महोदय, आपने कल के और आज के अखबारों में देखा होगा कि सब जगहों पर छापामारी हो रही है। उन राईस मिलर्स के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप धान उठाईये। उन्होंने सिर्फ इतनी मांग की है कि उन्हें पिछले बकाया का भुगतान कर दिया जाये। लेकिन विष्णु देव साय जी की सरकार में जो लोग उनकी बात नहीं मान रहे हैं, उनके ठिकानों पर छापामारी की कार्रवाई

की जा रही है। उसके अतिरिक्त हमारे बृजमोहन भैया हमारी विधान सभा से बाहर क्या हुए, उनको सभी तरफ से बाहर किया जा रहा है, उनके यहां भी छापामारी की जा रही है। यह स्थिति हो गयी है कि जो अच्छे-अच्छे मिलर्स हैं, जो आपकी बात नहीं मान रहे हैं आप उनके यहां छापामारी कर रहे हैं, आप उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं। यह इसी क्षेत्र में नहीं सभी जगहों पर हो रहा है। यदि आपके कार्यकर्ता की बात नहीं मानी जा रही है तो वे लोगों का ट्रांसफर करवा देते हैं। यह मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी हुआ है। यहां पर जो धान खरीदी का मामला है, यह पूरे छत्तीसगढ़ राज्य की बात है और जो हमारे प्रदेश के किसानों को प्रभावित करता है। चाहे धान का उठाव हो या कोई भी घटना हो, इससे हमारे किसान प्रभावित होते हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इसको ग्राह्य करके, इस विषय पर चर्चा करवाईये। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय सभापति महोदय, हम लोगों ने धान उपार्जन के मामले में स्थगन दिया और आसंदी ने बहुत कृपापूर्वक उसकी ग्राह्यता पर चर्चा स्वीकार किया। हम सब विपक्ष के साथियों को बोलने का अवसर मिला। यदि इस विषय पर ग्राह्य करके चर्चा करवाते तो निश्चित रूप से सदन के सत्तापक्ष के लोगों को भी बोलने का अवसर मिलता, लेकिन जिस प्रकार से माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने ग्राह्यता पर चर्चा स्वीकार की। मैं, उन्हें इसके लिए भी धन्यवाद् देता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, यह बात कही गई थी कि 3100 रूपये प्रति क्विंटल, नगदी, एक मुश्त, पंचायत और 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी । पिछले साल तो हमारी सरकार ने धान खरीदी शुरू की थी और बाद में हम लोगों ने 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी की थी और फिर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी तब उन्होंने 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी किया।

माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार में जहां सोसायटियों की संख्या 1300 थी और धान खरीदी केन्द्रों की संख्या 1900 थी तब हम लोगों ने सोसायटियों की संख्या बढ़ाकर 1900 की और हमने धान खरीदी केन्द्रों की संख्या 2700 से अधिक की। ताकि हमारे प्रदेश के किसानों को दूर जाना न पड़े। खासकर जो वनांचल क्षेत्र में रहते हैं चाहे वह बस्तर हो, सरगुजा हो, चाहे राजनांदगांव हो, रायगढ़, गरियाबंद के इलाके हों, वहां उन्हें दूर तक न जाना पड़े। इसलिये हमने धान खरीदी केन्द्रों की संख्या में भी वृद्धि की और उन्हें पैसा लेने और दूर न जाना पड़े इसलिए हमने सोसायटियों की संख्या 1300 से बढ़ाकर 1900 की। क्योंकि हर साल प्रदेश में धान खरीदी होना है जब से सरकार बनी है, जब से छत्तीसगढ़ प्रदेश बना है तब से पिछले 25 सालों से धान खरीदी हो रही है। इसमें सभी सरकारों ने अपना योगदान दिया है। हमने यह देखा कि लगातार धान जमीन में रखे होने के कारण से बहुत सारे धान खराब हो जाते हैं हमने उसके लिए प्लेटफार्म बनावाएं। अब बहुत सारे धान खरीदी केन्द्रों में शेड भी हैं। बारिश के समय तालपत्री की बड़ी शिकायत आती है तो हमने उसके लिए भी व्यवस्था की। उसमें

बहुत कुछ सुधार हुआ था और उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी। लेकिन इस सरकार ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। इस प्रदेश के किसानों को सुविधा हो, उसके लिए इनकी तरफ से कोई प्रयास नहीं हुआ। बल्कि यह हुआ कि उसमें अड़ंगा कैसे लगाया जाये। क्योंकि पहले धान खरीदी होती थी, फिर संग्रहण केन्द्र ले जाते थे, उसके बाद डी.ओ. कटता था, फिर राईस मिलर्स ले जाते थे उसके बाद राईस मिलर्स मिलिंग करके, रेट में देते थे फिर उसके बाद एफ.सी.आई. में जाता था। पूर्व में यह व्यवस्था थी जिसमें हमने सुधार किया। हमने उस व्यवस्था में यह सुधार किया कि किसी भी धान खरीदी केन्द्र से सीधे डी.ओ. काटो, उसे राईस मिलर्स उठायेंगे, क्योंकि वहीं से डी.ओ. कटेगा। जहां धान है वहां से उठाना है। धान संग्रहण केन्द्र ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टिंग का चार्ज है वह नहीं लगेगा, उसकी बचत होगी। दूसरी बात सूखत भी नहीं आना है ताकि सोसायटी बचा रहे। यदि अभी वहां पर धान रखा है, वहां जितने दिन रहेगा उतने दिन समय बीतते-बीतते धान में सूखत आना है चाहे दो किलो आएगा, तीन किलो आएगा, एक किलो आएगा चाहे जितना भी आये, उस धान में सूखत आना है और यह सारा भारा आपको, सरकार या सोसायटियों को पड़ेगा । यदि आपने सोसायटियों की सहायता नहीं की तो फिर वह सोसायटी खत्म हो जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, उस समय हमने यह भी व्यवस्था की थी कि आपको 72 घण्टे के अन्दर में सोसायटी, धान संग्रहण केन्द्र से धान उठा लेना है, लेकिन यह सरकार आने के बाद उसको भी बदल दिया गया। अब 72 घण्टे नहीं, फरवरी माह में डी.ओ. कटेगा। मतलब वहां पर नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी ढाई-तीन महीने तक धान पड़ा रहेगा। जो 72 घण्टे का क्लॉज था उसे आपने खत्म कर दिया। दूसरा, पूर्व में हम जो प्रोत्साहन राशि देते थे उसको भी आपने मना कर दिया । जो समितियों को मिलता था, आपने कहा कि बैंको को मिलेगा। यदि वहां जीरो धान में खराबी आई, निष्पादन बढ़िया रहा तो उसको प्रोत्साहन राशि मिलेगी। राईस मिलर को भी समय पर देने पर प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। सभापति महोदय, 1998 में 40 रुपये था, उसको बढ़ाकर हमने 120 रुपये किया ताकि मिलिंग हो।

समय
4.45 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए)**

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से धान की खेती को 2500 रुपये प्रति क्विंटल और ऋण माफी करने के बाद हमने लाभदायक बनाया। निश्चित रूप से उसमें उत्पादन बढ़ा, रकबा में वृद्धि हुई, किसानों की संख्या में वृद्धि हुई। हमारे पहले जो सरकार थी उसमें 60-70 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी नहीं हुई, लेकिन आपने पिछले साल 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की। इसका मतलब यह है कि 5 साल में ढाई गुना ज्यादा धान की खरीदी हुई। कहां 12 लाख किसान धान बेचते थे, अभी

रजिस्ट्रेशन देख लीजिए 27 लाख 78 हजार किसानों ने सोसायटी में धान बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, उसमें ढाई गुना वृद्धि हुई। जहां 22 हेक्टेयर रकबे में धान उत्पादन करते थे जो रजिस्ट्रेशन होते थे, अब वह बढ़कर 32-33 लाख हेक्टेयर हो गया है। जिस प्रकार से धान का उत्पादन बढ़ा, यदि हम मिलिंग को, मिलर को लाभदायक धंधा नहीं बनायेंगे तो जितने मिल पहले थे, उतने में हम मिलिंग भी नहीं कर सकते। जैसे हमने रेट में वृद्धि की, 02 साल में 700 से अधिक राईस मिल नये खुले और इसके कारण से धान निष्पादन करने में हमको सहुलियत हुई। अब आप उसमें अडंगा डाल रहे हैं, अडंगा डालने के कारण से अब जो नई राईस मिल बना रहे हैं, वह बन भी नही पाये हैं, वह बेचने को तैयार हैं। जो नई राईस मिल खुल गई हैं अब वह बंद होने की कगार पर हैं। नहीं तो हमारे समय में पुरानी राईस मिल फिर से शुरू होना शुरू हो गई थी। यह व्यवस्था थी, उसको आपने खत्म किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं किसानों की बात करूंगा। किसान को आपने सबसे पहले अनावारी में रूलाया। पहले पटवारी कर लेते थे, आपने कमेटी बना दी। उसमें जनपद का भी कर्मचारी है, शिक्षक भी है, आंगनबाड़ी के हैं, वह सब को मिलाकर कमेटी बना दी। अनावारी रिपोर्ट आये और अनावारी रिपोर्ट के हिसाब से धान खरीदी करना है। कोरबा में आप देखेंगे किसी गांव में 9 क्विंटल, किसी गांव में 10 क्विंटल, किसी गांव में 11 क्विंटल, किसी गांव में 15 क्विंटल आया है। कोंटा में 8 क्विंटल आया है। मेरे पास वहां से फोन आया। आपने पूरे प्रदेश में 15, 10, 8 क्विंटल खरीदना शुरू किया। हम लोगों ने विरोध किया तब मुख्यमंत्री जी की तरफ से बयान आया कि 21 क्विंटल खरीदना है। जो भी अफवाह फैलायेगा, उसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की जायेगी। यह पहली बात। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात बारदाना की है। यह डबल इंजन की सरकार है, बरदाना की क्यों कमी है? हमारे समय में तो जिस समय कोरोना था, जिस समय सारी फैक्ट्रियां बंद थीं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आपकी सरकार थी तब 2022 में बारदाना की कितनी कमी थी और आपके लोग हमारे किसानों को किस दाम पर बारदाना दिया करते थे? जो आप रकबा कटौती की बात कर रहे हैं, आपके समय में रकबा कटौती हुई थी, आपने उस समय में ध्यान नहीं दिया।

श्री भूपेश बघेल :- मंत्री जी, मैंने तो अभी रकबा कटौती का उल्लेख भी नहीं किया। आप ही बोल रहे हैं। इसी को ग्राहय करके स्वीकार कर लेते तो आपको भी बोलने का मौका मिलता। अब आप बीच में बोल रहे हैं। वैसे भी नहीं बोलना था, अब बोल रहे हैं। अब जो किसान 8, 12, 16 क्विंटल बेचने के लिए मजबूर हो गया, हल्ला हुआ तब 21 क्विंटल हो गया। दूसरी बात अनावारी रिपोर्ट के चक्कर में बहुत सारे किसान अभी भी भटक रहे हैं, जिसका रकबा कम हो गया। बहुत सारी शिकायते हैं, आप कहेंगे तो मैं आपके पास भिजवा दूंगा। तीसरी बात जो किसान पहले अधिया, रेगहा लेते थे।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री भूपेश बघेल :- भैया, अभी मैं बैठा नहीं हूं। इसीलिए बोल रहा हूं कि अभी भी ग्राह्य करके स्वीकार कर लीजिए।

श्री केदार कश्यप :- मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुमति ले रहा हूं।

श्री भूपेश बघेल :- आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, आप बोल लीजिए।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार पूरी तरह से 21 क्विंटल धान खरीदने के लिए कटिबद्ध है लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को लेकर अफवाह फैला रहे हैं । यदि हम पूरे प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों का धान का रिकॉर्ड देखें, जैसा अभी आपने सुकमा-कोंटा का कहा तो सुकमा-कोंटा में कितना धान उत्पादन होता है ? यदि पिछली सरकार वहां पर रोक लगाती, जो बाहरी लोग आकर वहां पर धान बेचकर जाते थे तो आज उस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता । आज सरकार ने पूरी तरीके से उनको प्रतिबंधित किया है तो उसके कारण से इनको पीड़ा हो रही है ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- बालोद-धमतरी जिला में बम्पर धान होता है तो वहां सोसायटियों में क्यों रोक लगा दी गयी ?

श्री भूपेश बघेल :- अब मुंगेली में कौन से धान का उत्पादन कम होता है भई? आपके पीछे वाले को पूछ लीजिये, यदि पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे बढ़िया ज़मीन है तो मुंगेली है, कवर्धा है, बेमेतरा है यहीं की ज़मीन तो सबसे उपजाऊ ज़मीन है । वहां भी आपने 16 क्विंटल खरीदने का निर्णय लिया है इसमें कौन अफवाह फैला रहा है ? आपके उपमुख्यमंत्री जी वहीं से आते हैं, धरमजीत जी वहीं से आते हैं, यह भी वहीं से आते हैं उससे उन्नत किसान हैं ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- हमारे यहां तो 21 क्विंटल खरीदा जा रहा है ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वही तो बोल रहा हूं । आपकी ही बात बोल रहा हूं कि हम लोगों ने बोला, नेता जी का बयान आया, मेरा बयान आया, सब लोग बोले तब जाकर 21 क्विंटल शुरू हुआ, नहीं तो आप उसमें निपटाने वाले थे, आखिर 3-3 लोगों की समिति बनाने का क्या औचित्य था ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अधिया-रेगहा लेते हैं और रजिस्टर्ड हैं । मैं महासमुंद जिले की बात कर रहा हूं । पिछले समय जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया कि हम रेगहा ले रहे हैं, हम अधिया ले रहे हैं । वहां यह स्थिति है कि 3100 की जो अंतर की राशि है, 2200 में धान बेचे थे, 3100 यानी अंतर 800 का, न उस किसान को मिला, न रेखदार को मिला और अभी भी वही स्थिति है कि जितने भी आपके ट्रस्ट की ज़मीन है उसमें रोक लगी है । अधिया-रेगहा में रोक लगी है । यह कौन सा तरीका है ? अधिया-रेगहा लेने की परम्परा तो कब से है । उसमें आपने नियम बदल दिया कि रेखदार को अंतर की राशि नहीं दी जाएगी और मैं आखिरी बात यह कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने बीज निगम से धान-बीज का प्रोग्राम लिया है । अब बीज निगम भी रिजेक्ट कर दिया और उधर

society में भी नहीं खरीद रहे हैं तो उनको तो दोहरी मार पड़ गयी । दुबले के दो आषाढ़ । यह कैसी सरकार है ? यदि आपने रिजेक्ट कर दिया, सरकार ने ही रिजेक्ट किया, आपके ही विभाग ने रिजेक्ट किया तो यदि वह आपकी सोसायटी में लेकर जाता है तो उसे धान बेचने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए ? बारदाना के बारे में कह रहे थे, मंत्री जी चले गए । कोरोना काल था, भारत सरकार ने लॉकडाऊन लगाया और पूरे देश की फैक्ट्रीज बंद थीं । बारदाना की फैक्ट्री भी बंद थी, जब वहां से बारदाना ही नहीं आया तब हमने किसानों से मांगा कि आज तो बारदाना फैक्ट्री बंद नहीं है फिर आप किसानों से पहले दिन से ही क्यों 50 परसेंट ले रहे हैं ? क्या आपको पता नहीं है कि आपको 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करनी है तो आपको कितने बारदाने की आवश्यकता पड़ेगी उसके हिसाब से आपने व्यवस्था क्यों नहीं की ? जो 18 रुपए का पुराना बारदाना है । किसानों को 50 रूपये- 55 रूपये में खरीदने के लिए बाध्य कर दिए उसका नुकसान हुआ । बारदाने में वजन की कमी के बारे में नेता प्रतिपक्ष सदन में उठा रहे हैं और उसको मंत्री जी यह कहते हैं कि आपके अधिकारियों ने जाकर जांच कर ली मतलब नेता प्रतिपक्ष के बनिश्बत् आपके अधिकारी ज्यादा प्रमाणित हो गये । इससे ज्यादा लज्जाजनक बात और क्या हो सकती है ? आप ही ने यहां कहा है, मैंने अधिकारियों को भेजा है । (शेम-शेम की आवाज) यह बेहद दुर्भाग्यजनक बात है । यदि नेता प्रतिपक्ष स्वयं कह रहे हैं कि मैंने खुद तौलवाया है तो मंत्री जी उसे प्रमाणित मानना चाहिए था ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, समाप्त करें ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी शुरू किया है । बारदाने के बाद अब तौल की बात । तौल में स्थिति यह है कि नमी के नाम से 500 से एक किलो, डेढ़ किलो, 2 किलो तक की ज्यादा धान खरीदी हो रही है और जो सोसायटी में पदस्थ लोग हैं वे किसानों को बता देते हैं कि नमी ज्यादा है यह धान ले जाओ । अब धान किसान ले जाएगा, घर में सुखाएगा फिर पलटी करके लाएगा फिर 2 बार ट्रांसपोर्टिंग करेगा उससे अच्छा हज़ार-पांच सौ दे दो । हज़ार-पांच सौ में ठीक हो जाता है । मेरे सामने सिमगा की बात है, किसानों ने धान संग्रहण खरीदी केंद्र के जो अधिकारी हैं उसके सामने बोला । क्या करवाई किये, मैंने कलेक्टर को phone करके बोला कि यहां इस प्रकार की बात है उसके बाद कोई करवाई नहीं । तो 40 किलो 580 ग्राम खरीदना है। कोई बोरी आप उठा के जांच कर लीजिए। यदि 41 किलो से कम मिले तो बताइएगा। यहीं पर चल दीजिए। मैं मार्ट में गया, वहां 41 किलो। बगल में खरोरा रोड में। तो ये 40 किलो से कम किसी धान का नहीं आ रहा है। किसान को ठगने का काम है। तीसरी बात अब ये है कि ट्रांसपोर्टिंग हो नहीं रहा है। आपने दबाव बनाने के लिए दर्जनों राइस मिल पर छापा मार दिया। आप डराकर काम करा रहे हैं, प्रेम से आपसे नहीं हो सकता। प्रेम से काम नहीं कर सकते, उससे बात नहीं कर सकते। योगेश अग्रवाल जो राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वे रो-रो कर कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो कांग्रेस की सरकार थी। अब उसके यहां उसके भतीजे के यहां छापा,

उसके मित्र के यहां छापा। ताकि डराने से वे बोल न सकें। सदन चल रहा है और डराने धमकाने का काम सरकार रही है। आप समझते हैं कि उनकी आवाज नहीं उठेगी, हम जरूर उठाएंगे। किसानों की बात भी उठाएंगे, राइस मिलर की बात उठाएंगे। ये बात अलग है कि कोई राइस मिलर हमारे साथ नहीं हैं, सभी आपके साथ हैं। लेकिन फिर भी उनके साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि खरीदी की व्यवस्था चरमरा गई है। जितने भी धान खरीदी केंद्र हैं, जितना स्टॉक होना चाहिए, इससे दो गुना तीन गुना धान सभी सोसाइटियों में पड़ा हुआ है। आप उठा नहीं रहे हैं और नहीं उठाने के कारण से धान खरीदी बंद है, प्रभावित है और स्थिति ये है कि एक महीने से ऊपर आपकी धान खरीदी हो गई। जो लक्ष्य है उससे एक तिहाई धान आपने नहीं खरीदा। एक तिहाई किसान धान नहीं बेच पाए हैं। ये स्थिति आपकी है और बचत डेढ़ महीने में किस प्रकार से खरीदी करेंगे? जब उठाव ही नहीं होगा तो टोकन कैसे कटेगा? टोकन के ऑफलाइन-ऑनलाइन के बारे में चर्चा कर चुका हूं। लेकिन आज जो स्थिति है उससे हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान छत्तीसगढ़ सरकार को होने वाला है। जो आपकी व्यवस्था है उससे नुकसान के अलावा कुछ नहीं होने वाला है। किसान अलग नुकसान में रहेंगे। मिलर अलग नुकसान में रहेंगे और सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ सरकार नुकसान में रहेगी। क्योंकि पिछले साल का धान का निष्पादन अब जाकर हो रहा है। अभी तक का हो ही रहा था। इतने दिन का ब्याज कितना होता है? अभी बजट आएगा तो उसमें चर्चा भी करेंगे कि आपने कितना ब्याज भरा। तो जितना ब्याज का पैसा, जितना सूखती का पैसा है, जितना डैमेज का पैसा है, हिसाब करेंगे तो इन राइस मिलरों को देने से बहुत सस्ता पड़ेगा और इसी कारण से हमने दिया था और यही कारण है कि जब हमने ये शुरुआत की थी। मार्च महीने में धान खरीदी केंद्रों में झाड़ू लग गया था । कोई धान नहीं बचा था। कोई नुकसान नहीं हुआ था। उसके पहले कोरोनाकाल में जरूर हुआ जब ट्रांसपोर्टिंग बंद था। धान खरीदी नहीं कर पाए। हमको बेचना भी पड़ा और सोसाइटी को 240 करोड़ रूपये का अनुदान देकर सहायता देकर उसको बचाने का काम किया। आज आपकी सोसाइटी खत्म हो जाएंगी। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- महंत जी।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने ग्राह्यता पर सुनने का जो निर्णय लिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे लगभग सभी साथियों ने इस पर काफी गंभीरता से इस बात को कही है कि अगर आप हमारा स्थगन सुनेंगे तो हम आपको और तथ्य देंगे। मैं कुछ प्रमाण सहित आपसे बात करना चाहता हूं। छोटी बात करूंगा, आपको परेशान नहीं करूंगा। मोदी की गारंटी प्रमुख वादे। ये तो मैं यहां पर ला सकता हूं। हम कृषक उन्नति योजना की शुरुआत करेंगे। जिसके अंतर्गत 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी 3100 में की जाएगी। किसानों का पैसा बिना लम्बी कतारों के एक ही किस्त में पूरा भुगतान सुनिश्चित करने के लिए

हर पंचायत भवन में बैंकों के नगदी आहरण काउंटर स्थापित करेंगे। प्रदेश में धान खरीदी से पहले ही बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। ये मोदी की गारंटी क्रमांक एक है। उप मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री जी तो नहीं है, आप ही देख लीजिये। आज के लिए आपको मुख्यमंत्री मान लेते हैं। आपने 2 दिन पहले जनादेश परब उत्सव, क्या मनाया? आप लोगों ने 1 साल की रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत की है। उसमें आपकी भी फोटो है।

समय
5.00 बजे

ये आपके द्वारा किए गए वायदे हैं । क्या आपने किसानों से किए गए वायदों को पूरा किया ? नवजवानों के वायदों को पूरा किया ? अध्यक्ष महोदय, डबल इंजन की सरकार, दोनों इंजन एक साथ लगे हैं या आगे-पीछे लगे हैं, मुझे पता नहीं । डबल इंजन की सरकार की गारंटी नम्बर वन, मोदी जी की गारंटी को पूरा करने में क्यों हिचकिचा रही है ? क्या आप मोदी जी की गारंटी को पूरा नहीं करना चाहते ? हम तो आपको याद दिला रहे हैं कि आपकी गारंटी है, पूरा करो । यदि हमारा स्थगन स्वीकार कर लेते तो दोनों पक्ष के लोग बोलते । हर क्षेत्र में किसान है, हर गांव में किसान है, वहां से लोग चुनकर आए हैं और यह परेशानी सबको है । मगर इस बात को अपने मुंह से कह नहीं पा रहे हैं । बार-बार उठकर कहना कुछ चाहते हैं और उनके मुंह से कुछ और निकल रहा है । अभी ऐसा लग रहा है कि पूरी सरकार, जैसा कि भूपेश जी ने अभी बताया कि आप ऐसी कुव्यवस्था, अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं । किसान भी परेशान हो रहा है, मिलर भी परेशान हो रहा है, कर्मचारीगण परेशान हो रहे हैं, परिवहनकर्ता परेशान हो रहे हैं, खरीदी केन्द्रों में काम करने वाला हमाल भी परेशान हो रहा है । हम सब लोग देखने गए थे, हम देखकर आए हैं । हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जो अनदेखी हो । "मैं तो कहता आंखन देखी" वाला हूं मैं । आप भी कबीरपंथी ही हैं और मैं यहां कोई झूठ नहीं बोलना चाहता । मगर मुझे यह पूछना है कि आप लोग मोदी जी की गारंटी को पूरा करने में परहेज क्यों कर रहे हैं? आप सीधे-सीधे 21 क्विंटल की खरीदारी क्यों नहीं कर रहे हैं ? क्यों आप 3100 रूपए हमारे पंचायतों में बैंक खोलकर भुगतान क्यों नहीं कर रहे हैं ? यदि नहीं कर रहे हैं तो आपको यह अधिकार नहीं है कि आप सीना तानकर कहें कि हमने एक साल में अपने वायदे पूरे किए हैं । हमारे सब साथियों ने बताया कि 3100 का भुगतान कब होगा, यह न तो आपको पता है न हमको पता है ? 21 क्विंटल की खरीदी कब होगी, यह न तो आपको पता है न हमको पता है ? इस साल जो किसान हम लोगों को लिए अन्न उपजाता है, वह हर मामले में परेशान है । आप चाहे मिलर्स पर दबाव डालकर करें, या दबाव न डालें, हमें कोई लेना देना नहीं है । मगर हमारा कहना है कि धान का उठाव शुरू कर दीजिए । धान कहीं भी जाए, मिलर के पाए जाए, वह मिलिंग करे, एफ.सी.आई. भेजे । रेल से भेजे या कहीं भी भेजें, मगर जब आप धान का

उठाव ही शुरू नहीं करेंगे तो हमारा किसान वहां जाकर लाईन में खड़ा रहेगा । टोकन में भी आप टाईम दे रहे हैं, किसी को 15 जनवरी, किसी को 26 जनवरी । जनवरी तक खरीदेंगे, अगर धान रखने की जगह ही नहीं है तो उसे आप कहां करेंगे ? अपने घर में रख नहीं सकता, सूखत के नाम पर वैसे ही परेशान कर रहे हैं । माननीय, हम आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं कि आपका इरादा किसानों के प्रति नेक है या नहीं ? आप किसानों को धोखे में तो नहीं रखना चाहते कि किसी बहाने आप कम फसल खरीदें । 160 की जगह और कम खरीदें ताकि अगले साल और कम हो जाए, उसके अगले साल और कम हो जाए और आप उसके साथ हो, उसको दूसरे रास्ते पर जाने के लिए मजबूर करें । हमारी चिंता केवल इस बात की है कि आपने बारदाना का संकट पैदा कर दिया, बारदाना वाले मंत्री जी जानते नहीं कि कैसे खरीदी हो रही है, क्या है ? कस्टम मिल की व्यवस्था लगभग बंद है, उठाव शुरू नहीं हुआ है । किसानों से धान की गारंटी का अक्षरश: पालन होना चाहिए था, आपने अभी तक नहीं किया । इसलिए हम लोग जानना चाहते हैं कि जब आपके पास कहीं भी भंडारण की जगह कहीं नहीं है, संग्रहण केन्द्र में नहीं है, एफ.सी.आई. आप भेज नहीं रहे हो, एफ.सी.आई. वाले मील के जो पुराने धान रखे हुए हैं, उसको ले नहीं सकते तो हमारा किसान क्या करे ? आपने जिस ढंग से बारदाना में, जिस ढंग से मशीनों में, जिस ढंग से भ्रष्टाचार का उदाहरण दिया है, एक तरफ आप दिल्ली में चिल्ला रहे हैं कि जीरा टालरेंस ? यह कौन सा जीरो टालरेंस है ? साफ-साफ नजर आ रहा है कि करोड़ों रूपये की खरीदी में गड़बड़ हो रही है, हम इस बात को आपको विस्तृत रूप से बताना चाहते हैं। हमारी नीयत साफ है, हमारा ईरादा साफ है, हम आप पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहते। इस बुरी परिस्थिति में जो किसान आज खड़ा है, हम उसके साथ खड़े होना चाहते हैं, उनके दुख के साथ भागीदारी करना चाहते हैं और आपको सब बातें बताना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारी बातों पर, मेरी बातों पर, साथियों की बातों पर ध्यान देते हुए इसे ग्राह्य करें ताकि आप और हम बेहतर ढंग से चर्चा कर सकें, आपसे यही निवेदन है। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में किसानों से खाद्य विभाग भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। खरीफ वर्ष 2024-25 में 2739 धान खरीदी केन्द्रों के माध्यम से धान उपार्जन का कार्य किया जा रहा है। खरीफ वर्ष 2024-25 में एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से 27.78 लाख किसान पंजीकृत हुए हैं। धान खरीदी का कार्य 14 नवम्बर, 2024 प्रारंभ हो चुका है। दिनांक 15.12.2024 की स्थिति में 10.66 लाख किसानों द्वारा कुल 50.02 लाख टन धान का विक्रय किया गया है। बेचे गये धान की राशि 10485 करोड़ रूपये का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। उपार्जित धान का मिलर्स एवं परिवहनकर्ता के माध्यम से धान उठाव का कार्य निरंतर जारी है।

अभी तक की स्थिति में परिवहनकर्ता द्वारा 3.69 लाख टन एवं मिलर्स द्वारा 1.04 लाख टन इस प्रकार कुल 4.73 लाख टन धान का उठाव किया जा चुका है एवं खरीदी केन्द्रों में 45.29 लाख टन धान रखा हुआ है, जिसका उठाव कार्य जारी है। गत वर्ष 15.12.2023 की स्थिति में कुल 7.33 लाख किसानों द्वारा 36.30 लाख टन धान का विक्रय किया गया था जिसकी राशि 7939 करोड़ थी गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 3.33 लाख अधिक किसानों द्वारा 13.72 लाख टन अधिक धान विकय किया गया है जिससे किसानों को गत वर्ष इसी अवधि की तुलना में 2546 करोड़ अधिक राशि का भुगतान किया गया है। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत खरीफ 2023 में धान बेचने वाले कृषकों को कृषि आदान सहायता के रूप में प्रति एकड़ रूपये 19257 के मान से कुल 13260 करोड़ की राशि का एकमुश्त भुगतान धान बेचने वाले 24.72 लाख किसानों को किया गया है।

खरीफ वर्ष 2024-25 में विपणन संघ द्वारा 68 धान संग्रहण केन्द्र स्थापित किये गये हैं, जिसमें धान के भण्डार हेतु आवश्यक तैयारियां कर ली गई है। धान संग्रहण केन्द्रों में 40 लाख टन धान भण्डारण करने की कार्य योजना है। परिवहनकर्ता को 9.02 लाख टन धान का परिवहन आदेश जारी किया गया हैं जिसके विरूद्ध 3.69 लाख टन धान का उठाव किया जा चुका है। खरीफ सीजन 2024-25 में राईस मिल के पंजीयन का कार्य प्रचलित है। अभी तक 1672 राईस मिल पंजीकृत हो चुके हैं। राईस मिलों द्वारा 93.61 लाख टन धान का मिलिंग हेतु अनुबंध किया गया है। मिलर्स द्वारा 3.35 लाख टन धान का डिलीवरी ऑर्डर जारी कराया गया है, जिसके विरूद्ध 1.04 लाख टन धान का उठाव किया जा चुका है।

श्री रामकुमार यादव :- मंत्री जी, जवाब मांगत हन, पढ़े बर थोड़ी कहेन।

श्री केदार कश्यप :- समितियों में धान के व्यवस्थित रख-रखाव के लिए स्टेक लगा कर रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं। आवश्यकतानुसार फड का विस्तार किये जाने को कहा गया है। उच्च स्तर पर बैठक एवं वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से धान खरीदी कार्य एवं धान का परिवहनकर्ता एवं मिलर्स के द्वारा उठाव कार्य की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। खरीफ सीजन 2024-25 में अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी के निर्देश हैं। खरीदी केन्द्रों में इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन के माध्यम से धान की खरीदी की जा रही है। किसानों से धान प्रति बारदाना 40 किलो की भर्ती में खरीदे जा रहे हैं। खरीफ सीजन 2024-25 में जूट कमिश्नर के माध्यम से नये जूट बारदाने की व्यवस्था की गई है। बारदानों का औसत न्यूनतम वजन 580 ग्राम होना चाहिए। इस वजन में विचलन -6 प्रतिशत एवं +8 प्रतिशत मान्य है। अर्थात 545 ग्राम से तथा 626 ग्राम तक वजन वाले बारदाने मानक माने जाते हैं। यह वजन 22 प्रतिशत नमी के साथ है। किन्तु कालान्तर में मौसम के साथ नमी में कमी/वृद्धि होती है तो बारदाने के वजन में कमी या वृद्धि हो सकती है, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप है। यदि बारदाने अमानक किस्म के पाये जाते हैं तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जूट

कमिश्नर कोलकाता को क्लेम किया जाता है। अतः प्रदेश में किसानों से धान खरीदी की समुचित व्यवस्था किये जाने एवं खरीदी केन्द्रों से धान का उठाव निरंतर होने से तथा मिलर्स द्वारा धान का निराकरण कार्य प्रचलित होने के कारण किसानों में किसी प्रकार रोष व्याप्त नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह करता हूं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो पूरा झूठ पुलिंदा है। किसान को लूटा जा रहा है। चाहे वह तौलाई के मामले में हो, चाहे बारदाने के मामले में हो। धान संग्रहण केन्द्र में कहीं भी बारदाना नहीं है। यह सरकार केवल किसानों को लूट रही है। इस कारण से हम इस सदन से बहिर्गमन करते हैं।

समय :
5.12 बजे

बहिर्गमन

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव अग्राह्य करने के विरोध में

(श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव अग्राह्य करने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय मंत्री जी, आप कुछ करिये।

श्री रामकुमार यादव :- दारू पियइया मन बर तुमन व्यवस्था करा सकत हो।

अध्यक्ष महोदय :- आप सुनते भी जाइये। प्रदेश में धान खरीदी में व्याप्त अव्यवस्था होने के संबंध में माननीय श्री भूपेश बघेल एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों के विचार सुनने तथा इस विषय पर माननीय मंत्री जी के वक्तव्य को सुनने के पश्चात् मैं स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- सदन की कार्यवाही मंगलवार, 17 दिसम्बर, 2024 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।

(सायं 05 बजकर 13 मिनट पर विधान सभा मंगलवार, 17 दिसम्बर, 2024 (अग्रहायण-26, शक संवत् 1946) के पूर्वाह्न 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित हुई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छत्तीसगढ़)
दिनांक : 16 दिसम्बर, 2024

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं